हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 जून, 2005

खण्ड–2, अंक–5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बीरवार, 16 जून, 2005

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(5)22
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	(5)25
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली से उत्तर प्रदेश सीमा तक यमुना नदी के पूर्वी किनारों के साथ बांधों के निर्माण सम्बन्धी	
वक्तव्य—	(5)26
राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	
स्वतन्त्रता सेनानी का अभिनन्दन	
वक्तव्य—	(5)28
राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बंधी (पुनरारम्भ)	(5)28
गैर सरकारी संकल्प—	(5)30
हरियाणा में महिला एवं पुरुष लिंग अनुपात संतुलन सम्बन्धी	(5)30

मूल्य :

HVS/Lib/8
Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 16 जून, 2005

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात : 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष (सरदार एच०एस० चट्ठा) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्स अब सवाल होंगे।

Declaration of Gohana as District

*17. **Shri Dharam Pal Singh Malik :** Will the Minister for Revenue be pleased to state :-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Gohana as district by including some areas of Israna, Julana and Kharkhoda sub Tehsils;and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) No, Sir.

(b) In view of (a) above, question does not arise.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब हरियाणा बना था उस समय साढ़े पांच जिले थे और आज करीब-करीब 20 जिले हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके बाद जितने नये जिले बनाये गये उनको बनाने का क्राईटेरिया क्या था। क्या नये जिले केवल राजनैतिक आधार पर बनाये गये हैं। जब चौधरी बंसी लाल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भिवानी को अलग जिला बना लिया और जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सिरसा को अलग जिला बना लिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या राजनैतिक लाभ व हानि पहुंचाने के लिए नये जिले बनाये जाते हैं क्या प्रशासनिक लाभ को देखकर नहीं बनाये जाते। अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से गोहाना को जिला बनाने के बारे में प्रश्न किया

[चौ० धर्मपाल सिंह मलिक]

था। मंत्री जी ने अपने जबाब मे कह दिया कि गोहाना को जिला नहीं बनाया जायेगा। मंत्री जी मुझे नया जिला बनाने के क्राईटेरिया के बारे में बतायें कि वे क्या हैं और गोहाना को किस आधार पर जिला नहीं बनाया जा रहा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहा तक गोहाना को अलग से जिला बनाने की बात है, इस बारे में हमें पब्लिक की तरफ से कोई मैमोरंडम नहीं आया है और न ही डिविजनल कमीशनर की तरफ से इस बारे में कुछ आया है। अध्यक्ष महोदय, ये 166 गांवों को अलग करके गोहाना जिला बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ गांव पानीपत जिले के भी हैं । इसराना पानीपत जिले में पड़ता है और जुलाना जींद जिले में पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, पहले ही बहुत जिले बन चुके हैं। जहां तक क्राईटेरिया का सवाल है, जिला बनाने के लिए कोई फिक्स क्राईटेरिया नहीं है। जिले तो लोगों की सहूलियतों के हिसाब से, प्रशासनिक ग्राउंड के हिसाब से बनाये जाते हैं । मैं समझता हूं कि पहले ही काफी जिले बन गये हैं अब और जिले बनाना ठीक नहीं होगा ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय साथी ने गोहाना को जिले बनाने का जिक्र किया है इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से हरियाणा बना है तब से गोहाना पिछड़ा हुआ है । अध्यक्ष महोदय, जब लोकदल और बीजेपी की ज्वायंट गवर्नमैंट हरियाणा में बनी थी और डाक्टर मंगल सेन जो रोहतक से थे और वे उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने रोहतक की जनता से कहा था कि वे रोहतक को लुधियाना बना देंगे। कुछ दिनों के बाद रोहतक के लोग उन्हें कहने लगे कि आप तो रोहतक को लुधियाणा बनाने की बात कर रहे थे लेकिन आपने तो रोहतक को गोहाना बना दिया। यानि गोहाना पहले से ही पिछड़ा हुआ माना जाता है। अब मैं मेरे साथी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह इनकी अपनी सरकार है और अब गोहाना को पिछड़ा नहीं रहने दिया जायेगा। वहां पूरा विकास कराया जायेगा।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, हमारे मौजूदा ढाचे में बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन्हें हमें दूर करना ही होगा। मेरे हल्के में भारती गांव है। उस गांव की तहसील सोनीपत है, पुलिस स्टेशन गोहाना है और ब्लोक गन्नोर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस गांव के लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा होती है और एक काम के लिए अलग-अलग जगह जाने से खर्चा भी ज्यादा होता है । इस बारे में मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस और ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, ऐसा यह एक गांव नहीं है पूरे प्रदेश में और भी गांव ऐसे होंगे। यह तो मैंने एक उदाहरण दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे ढांचे में जो इस तरह की विसंगतियां हैं उनका सर्वे करवाकर उन्हें दूर किया जाये ताकि आम जनता को परेशानी न हो । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि उस स्थिति को तर्कसंगत तरीके से ठीक करवाने के लिए क्या सरकार इस पर विचार करेगी या कोई कमेटी गठित करके इसको टाईम बाउंड करवाएंगे।

Mr. Speaker : I think Delimitation Commission has stopped all this .

Ch. Dharam Pal Singh Malik : Sir, Delimitation Commission has not stopped all this. They have stopped only delimitation of Districts. सर, यह सब ठीक है लेकिन मैंने थाना और ब्लॉक की बात की थी वह असैम्बली के लिए ठीक है । अब डी-लिमिटेशन कमिशन बना है वह छः महीने में इसे पूरा करेगा । स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी जगह यह काम होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर एक कांस्टीच्यूएंसी में ब्लॉक है, दूसरी में पुलिस स्टेशन है और तीसरी में तहसील है वह सब अलग-अलग हैं और लोगों को अपने काम करवाने के लिए जगह -जगह पर चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने के लिए कोई तर्कसंगत ढांचा बनाने के लिए क्या कोई कमेटी गठित करने का सरकार का विचार है या नहीं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इससे पहले एक कमेटी बनी थी जिसको चौधरी बीरपाल जी ने हैड किया था। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी लेकिन उस वक्त के हमारे जो चीफ इलैक्शन कमिश्नर थे उन्होंने यह कहा कि आफटर 28-04-2004 तक जितनी रिऑर्गेनाईजेशन हो चुकी हैं उनको बन्द नहीं किया जाएगा। जैसे इन्होंने क्वैश्चन किया है हमारी सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है which would be headed by Mrs. Kartari Devi जो हैल्थ मिनिस्टर हैं। मैं भी उस कमेटी का मैम्बर हूं और उसमें डा० रघुवीर सिंह कादयान जी, जितेन्द्र मलिक जी, के०एल० शर्मा जी, भी मैम्बर है और हमारे इलावा चारों कमिशनर अम्बाला, रोहतक, गुड़गांव और हिसार भी उस कमेटी के मैम्बर्ज हैं। इस कमेटी का मेन परपज यह है कि ..to rationalize and allocate the villages to Block, Sub Tehsil, Police Station, Tehsil, Sub Division or District by transferring areas from one District to another. लेकिन दूसरी बात यह है कि हमने एफ०सी०आर० को और हमारे जो स्टेट इलैक्शन ऑफिसर हैं उनको हमने फाईल में लिखा है कि वे जा कर इलैक्शन कमिश्नर से बात करें क्योंकि अभी गवर्नमैंट चेंज हुई है। पिछली सरकार ने कुछ ऐसे चेंजिज किए थे जो कि राजनीतिक तौर पर किए थे। उसके बारे में हमने उनसे कहा है कि हमारी गवर्नमैंट अभी आई है अगर रिऑर्गेनाईजेशन का कुछ कार्य होगा तो इसके बारे में हम कदम उठा सकेंगे और कार्यवाही कर सकेंगे तथा हम कार्यवाही कर भी रहे हैं ।

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, भिवानी जिले में बवानी खेड़ा, लोहारू और बाढड़ा उनके डिस्टिक्ट एक ही हैं। जब तक डिलिमिटेशन का काम पूरा नहीं होता तब तक उस जिले के बहुत से गांवों की चकबन्दी का काम पूरा नहीं होता। और आज के दिन सारी स्टेट में चकबन्दी का काम होना मुश्किल है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि जब तक चकबन्दी न हो इन गांवों की फिल्लाबन्दी करवाई जाए ताकि उन गांवों में आने जाने के रास्ते बन जाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह सवाल मेन सवाल से लिंक तो नहीं करता है लेकिन फिर भी मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि ये मुझे सैपरेटली लिख कर दे दें हम इस पर गौर कर लेंगे और जहां तक हो सकेगा उसके लिए हम कोशिश कर लेंगे।

Procurement of Bajra

***71. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state :—

a) the district wise quantity of production and procurement of bajra crop during the year 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 and 2004-2005 in the State

b) the details of the disposal of the Bajra crop so procured as referred to in part (a) above;and

c) whether the State Government has suffered any loss on account of procurement of Bajra crop during the period as referred in part (a) above;if so, the year-wise details thereof ?

उप-मुख्यमंत्री (श्री चन्द्र मोहन) : (क) और (ख) विवरणी सदन के पटल पर रखी है :

(ग) राज्य की एजेन्सियों द्वारा बाजरे की खरीद (अधिप्राप्ति), भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर मोटे अनाजों की खरीद नीति के अन्तर्गत की जाती है । मोटे अनाजों की खरीद तथा निपटान में जिस नीति का अनुसरण किया जाता है, वह निम्न प्रकार से है :—

i) राज्य सरकार/उसकी एजेन्सियां, भारतीय खाद्य निगम /भारत सरकार की तरफ से खाद्यान्नों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति के अन्तर्गत समर्थन मूल्यों पर करेंगी;

ii) राज्य सरकार खरीदी गई मात्रा में से उतना अपने पास रखेंगी जितनी कि जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मांग है तथा बकाया मात्रा का निपटान भारतीय खाद्य निगम "जैसा है जहां है" के आधार पर खुली बोली /निविदा द्वारा करेगी ; तथा

iii) राज्य सरकार को, उस द्वारा खर्च की गई रकम तथा निपटान की कीमत का अन्तर, सबसिडी के रूप में दिया जाएगा ।

उपरोक्त वर्णित स्थिति को देखते हुए, उपरोक्त समय में हुई बाजरे की खरीद में राज्य सरकार तथा इसकी एजेन्सियों को, किसी प्रकार के नुकसान होने की संभावना नहीं है ।

विवरणी

District	2000-01				2001-02				2002-03				2003-04				2004-05			
	Prod.	Arrival	Proc.	Disposal	Prod.	Arrival	Proc.	Disposal	Prod.	Arrival	Proc.	Disposal	Prod.	Arrival	Proc.	Disposal	Prod.	Arrival	Proc.	Disposal
Bhiwani	1,56,00	3,835	0	0	2,43,000	2,714	0	0	1,18,000	1,504	0	0	2,42,000	13,571	11,462	11,462	1,88,000	1,569	1,028	1,023
Faridabad	19,000	5,057	0	0	19,000	1,530	0	0	7,000	1,433	0	0	14,000	31,974	30,879	30,480	12,000	10,059	8,279	6,941
Fatehabad	14,000	0	0	0	15,000	0	0	0	14,000	0	0	0	18,000	0	0	0	23,000	0	0	0
Gurgaon	78,000	10,174	0	0	80,000	4,864	0	0	43,000	7,508	0	0	84,000	45,832	43,490	43,332	67,000	35,179	34,8555	29,697
Hisar	74,000	2,840	0	0	96,000	1,308	0	0	88,000	1,070	0	0	1,33,000	15,072	14,600	14,600	1,02,000	9,015	8,177	8,066
Jind	64,000	16,787	0	0	53,000	0	0	0	43,000	2,727	0	0	84,000	30,674	30,674	30,411	67,000	35,000	34,991	30,027
Jhajjar	31,000	0	0	0	32,000	1,340	0	0	32,000	0	0	0	39,000	89	75	74	30,000	0	0	0
Kaithal	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	9,000	0	0	0	14,000	2,700	2,700	2,690	17,000	7,128	7,128	1,206
Karnal	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0
Narnaul	1,20,000	15,257	0	0	1,58,000	17,880	0	0	49,000	2,128	0	0	2,13,000	39,157	33,208	33,038	1,05,000	11,659	8,785	8,785
Panchkula	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	2,000	0	0	0	3,000	0	0	0
Panipat	0	40	0	0	0	4	0	0	1,000	0	0	0	2,000	0	0	0	3,000	0	0	0
Rewari	59,000	8,710	0	0	91,000	14,376	0	0	26,00	3,097	0	0	99,000	30,169	21,268	21,154	78,000	22,917	18,071	14,326
Rohtak	27,000	1,615	0	0	22,000	414	0	0	15,000	422	0	0	30,000	2,773	2,725	2,725	25,000	1,097	923	913
Sirsa	3,000	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	15,000	3,013	3,013	3,009	8,000	0	0	0
Sonepat	12,000	3,784	0	0	11,000	312	0	0	5,000	1,396	0	0	11,000	5,932	5,027	5,027	11,000	7,996	7,685	7,685
Y.Nagar	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0
Total	6,56,000	68,099	0	0	8,32,000	44,742	0	0	4,58,000	21,285	0	0	10,04,000	2,20966	1,99,121	1,98,002	7,49,000	1,40,719	1,30,122	1,08,669

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मुख्यमंत्री जी ने सदन की पटल पर जो विवरण प्रस्तुत किया है उसके हिसाब से 2004-05 में जो खरीददारी की गई है और उसको देखने से पता चलता है कि उस साल बाजरे का उत्पादन ठीक था । स्पीकर सर, उससे पहले के वर्षों में बाजरे की खरीद जानबूझकर नहीं की गई थी जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ था और इससे फसल के विविधिकरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है । क्या उप-मुख्यमंत्री जी आश्वासन देंगे कि इस साल जो बाजरे का उत्पादन होगा उसकी गिरदावरी करके किसानों को फायदा देने का काम किया जाएगा ।

श्री चन्द्र मोहन : स्पीकर सर, मैं सदन में आश्वासन देना चाहूंगा कि बाजरे की जो भी फसल होगी उसको सरकार खरीदने का काम करेगी ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जितनी भी बाजरे की प्रोडक्शन होती है उससे ज्यादा बाजरा मण्डियों में आता है और वह पलवल में भी आता है । इस बारे में कर्ण सिंह दलाल जी, आप भी विजिलैंट रहे ताकि हमारे किसानों की भी फसल की खरीद हो सके ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा है वह ठीक है । लेकिन जो पिछली सरकार थी वह और उनके लोग जो हरियाणा के नहीं थे, वे अलग-अलग मण्डियों में जाकर जबरन खरीद करते थे चाहे वे मण्डियां पलवल में हों या दूसरी जगहों पर हों । मैं इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप-मुख्यमंत्री से आश्वासन चाहूंगा कि ये भी इस बारे में ध्यान दें । इसके साथ ही उप-मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में आश्वासन दिया है उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं । स्पीकर सर, मैं यह चाहता हूंकि बाजरे के उत्पादन को रेतिले इलाके में बढ़ावा देने का भी काम यह सरकार करे और उनकी फसल की खरीददारी का भी प्रबन्ध सरकार करे । स्पीकर सर, इसके स्पोर्ट प्राईस केन्द्र की सरकार निश्चित करती है और एफ०सी०आई०, इसकी खरीद करती है । क्या सरकार हरियाणा में सरकारी विभाग से मिलकर किसानों को बाजरे को बढावा देने का और उसकी खरीददारी का काम करवाएगी ।

श्री चन्द्र मोहन : स्पीकर सर, जैसा कि हमने हमारे जवाब में बताया है और मैं सम्मानित साथी को आश्वासन देना चाहूंगा कि हम जितना भी होगा किसानों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेंगे और उनकी बाजरे की फसल को खरीदेंगे ।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि इन्होंने कहा है कि गेहूं, बाजरा, पैडी और सरसों की फसल की खरीद होगी । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने खरीददारी के लिए कोई नीति निर्धारित की है । इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मार्किट सोसाईटी और विलेज सोसाईटी बनाई गई हैं वह इतनी सक्षम नहीं हैं कि खरीददारी कर सके ।

Mr. Speaker : Please confine to the question. It is not possible for the Minister to reply on all the crops.

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैंने तो खरीद नीति का जिक्र किया है। वह चाहे किसी भी एजैंसी से की जाए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मार्किट सोसाईटी और विलेज

सोसाईटी बनाई गई हैं वह इतनी सक्षम नहीं हैं कि वो खरीददारी कर सकें। इस वजह से हरियाणा के किसानों को नुकसान होगा। यह जो गिरदावरी होगी उससे किसानों को नुकसान होगा और इस वजह से जो एजैन्ट्स हैं वे इसका फायदा उठा लेंगे।

Mr. Speaker : Please put the question. Do not deliver the speech.

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, इस तरह से किसानों को करोड़ों रुपयों का नुक्सान न हो और बिचौलिये करोड़ों रुपये किसानों के न खा जाएं तो इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की इस बारे में क्या नीति है ?

श्री चन्द्र मोहन : स्पीकर साहब, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसका मेन सवाल से कोई संबध नहीं है । लेकिन जहां तक बिचौलियों का सवाल है वे इनके ही आदमी थे, हम उनको भगाएंगे ।

Opening of Government College

***67. Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Government College at every Constituency in the State particularly in Narnaund ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : नहीं, श्रीमान जी ।

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, मैंने कल भी नारनौंद में शिक्षा मंत्री जी से एक आई०टी०आई० खोलने का आग्रह किया था । जो गांव डाटा और बास हैं ये बहुत बड़े गांव हैं और इसी तरह से हमारा नारनौंद गांव भी बहुत बड़ा गांव है यह कम से कम बीस गांवों का वह केन्द्र है। इसलिए वहां पर कालेज खोलना बहुत ही महत्वपूर्ण है । मैं चाहता हूं कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गौतम तेरे हल्के में सारे काम करेंगे तो क्या यह कालेज मेरे हल्के में खोला जाएगा ? स्पीकर सर, इस सैशन में पिछले बार दिन की प्रैक्टिस के दौरान हाउस में मैंने देखा है कि, कि कहकर टाल दिया जाता है कि Questions Hour is Over.

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, यह टालने की बात नहीं है । क्वैश्चन ऑवर का टाईम ही एक घंटे का होता है। हाउस इस बारे में रूल्ज को अमैंड कर दे मुझे क्या तकलीफ है। (interruptions) I am not going to listen you, Gautum ji, please take you seat.

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर सर, माननीय सदस्य की भावना यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार हो । मैं उनको बताना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार की नीति है किसी भी छात्र को 25 या 30 किलोमीटर से दूर उच्च शिक्षा के लिए न चलना पड़े । इसी तरह से छात्राओं के लिए 67 परसैंट तक की पास की भी हमने सुविधा दी हुई है । जहां तक इनके क्षेत्र का सवाल है, यह क्षेत्र का सवाल है यह क्षेत्र हिसार जिले में पड़ता है और हिसार में दस कालेजिज हैं इनका क्षेत्र भी बीस किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं पड़ता है । जब हरियाणा बना तो उस समय राज्य में 39 कालेजिज थे जबकि आज 201 कालेजिज हैं इसलिए अब किसी नये कालेज को खोलने की आवश्यकता नहीं है । इनकी भावना को मैं समझता हूं और ये भी यह समझते हैं कि हर काम इनके क्षेत्र में हो लेकिन सरकार की नीति किसी क्षेत्र विशेष की न होकर सारे प्रान्त की है ।

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, मैं एक बात बताना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, आप बताओ नहीं बल्कि पूछो ।

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, हमारे अनेक गांव ऐसे हैं जो कालेजिज से बीस किलोमीटर से ज्यादा दूर पड़ते हैं । बास गांव है, पूठी गांव है जो कालेज से 40 या 45 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं । इसी तरह से चिलंगा गांव है, इसलिए अगर नारनौंद में एक कालेज मुख्य मंत्री जी खोल देंगे तो इनकी बल्ले-बल्ले हो जाएगी ।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, जहां तक गौतम साहब ने यह कहा कि कई गांव इनके बीस किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पड़ते हैं । ज्यादा दूर के लिए हमारे पास आदमपुर, हिसार,डांसी, और नलवा के कालेजिज हैं । इस तरह से सभी गांव कहीं न कहीं नजदीकी कालेज से जुड़े हुए हैं ।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, कैथल एक ऐसा जिला है जिसमें आज तक भी पिछली सरकारों ने सरकारी कालेज नहीं खोला है । मंत्री जी के डिपार्टमैंट ने यह शर्त रखी थी कि अगर वहां पर 12 एकड़ जमीन आप डोनेट करवा देंगे तो ये सरकारी कालेज खोलने पर विचार करेंगे । मैंने 12 एकड़ जमीन जगदीशपुरा गांव में जो चण्डीगढ़ अम्बाला रोड़ पर पड़ता है वहां राइट आन दा रोड़ कैथल के पास दिलवा दी है और इस बारे में चिट्ठी लिख दी गई है । वहां पर गवर्नमैंट कालेज में नये सब्जैक्ट हों पुराने विषय न हों जिन्हें पढ़कर जब बाहर बच्चे जाते हैं तो उनको नौकरी या रोजगार मिल जाता है ?

श्री फूल चंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, कैथल में गवर्नमैंट का तो कोई कालिज नहीं है लेकिन कई और कालेजिज हैं । जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि वे भूमि उपलब्ध करवा देंगे तो हम और भी सुविधाएं देंगे । सरकार का काम हर क्षेत्र में शिक्षा प्रसार करना है और जो प्रपोजल आएगी, उस पर विचार किया जाएगा ।

श्री राज रानी पूनम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि असंध में कोई गवर्नमैंट कालेज नहीं है क्या वहां गवर्नमैंट कालेज खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री फूल चंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, असंध में कोई गवर्नमैंट कालेज नहीं है लेकिन असंध तो करनाल का हिस्सा है और करनाल में कई कालेजिज हैं ?

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि जैसाकि अभी बताया गया कि कैथल जिले में कोई सरकारी कालेज नहीं है । हमारे कलायत में मार्किट कमेटी की 9 एकड़ लैंड है और वहां पर एक प्राईवेट महिला कालेज की शुरुआत की गई है लेकिन फंडस की कमी की वजह से वहां की मैनेजिंग कमेटी यह चाहती है कि उसको गवर्नमैंट टेकओवर कर ले । क्या सरकार इस पर विचार करेगी क्योंकि कलायत में महिलाओं का शिक्षा स्तर कम है ?

श्री फूल चंद मुलाना : स्पीकर सर, जैसा मैंने कहा कि सरकार की नीति शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार करने की है। कैथल में एक डी०ए०वी० कालेज पूंडरी, एक कन्या महाविद्यालय,फतेहपुर पूंडरी, आर०के०एस०डी० महाविद्यालय, कैथल, इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय, कैथल डी०ए०वी०

कालेज,चीका और कन्या महाविद्यालय,डांड है। फिर भी माननीय सदस्या ने इस बारे मे कहा है और अगर ये इस बारे में कोई प्रपोजल भेजेंगे तो उस पर विचार कर लिया जाएगा ।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि बहल भिवानी से करीब 60 किलोमीटर दूर है जहां पर कालेज है और यह लोहारू से 45 किलोमीटर दूर है। वहां पर कालेज खोलने के लिए 15 एकड़ जमीन का रेजोल्यूशन मेरे पास है क्या मंत्री जी वहां पर कालेज खोलने का आश्वासन देंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, जब आएगा तो विचार कर लिया जाएगा।

आई० जी० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से पूछना चाहता हूं कि जैसा कि शिक्षा नीति में बढ़ोतरी की जा रही है मेरा हल्का जुलाना जीन्द से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है लेकिन जो उसकी पैरीफेरी में गांव हैं वे बहुत दूर-दूर पड़ते हैं हम वहां पर गवर्नमैंट कालेज खोलने के लिए 30 एकड़ जमीन तक देने को तैयार हैं ताकि आसपास के गांवों के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने में सुविधा हो । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वहां कोई कालेज खोला जाएगा ?

श्री फूल चंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि वहां नया कालेज खोलने का अभी ऐसा कोई विचार नहीं है लेकिन जब आप सुझाव भेजेंगे तो सरकार खुले दिल से विचार करेगी ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : मैं यह कह रहा था कि सरकार की नीयत अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार करने की है प्रदेश के हित में तो जो कालेजिज या शिक्षा का प्रसार और जो संस्थाएं खुली हुई हैं और जहां एम०ए० की क्लासिज अब तक चल रही थी वहां पर फस्ट ईयर के एडमिशन यह कह कर नहीं किए गए कि युनिवर्सिटी में ही एडमिशन होंगे । वहां क्लासिज नहीं लगेगी । (विघ्न)

Mr Speaker : This question was particularly for Narnaund but now the colleges of the entire State are being discussed here. It is very difficult for the Education Minister to reply all this.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां फस्ट ईयर के एडमिशन यह कह कर बन्द कर दिए कि ये एडमिशन यूनिवर्सिटी में होंगे और वहां क्लासिज लगेंगी। क्या मंत्री महोदय इस बारे में इन्कवायरी करवा कर उन क्लासिज में दोबारा एडमिशन करवायेंगे। कृप्या यह बताने का कष्ट करें।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, एम०ए० की क्लासिज किसी भी कालेज में बन्द करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । अगर किसी भी कालिज ने ये क्लासिज बन्द की हुई हैं और किस कारण से हुई हैं, अगर आदरणीय सदस्य लिखकर भेज दें तो हम पता करवा लेंगे ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पर्टीकुलर कालेज का नाम बता दिया है ।

Mr. Speaker : I think that is sufficient.

Smt. Kiran Chaudhery: Honble Speaker Sir, I would ask Hon'ble Education Minister whether there is any scheme to bring vocational colleges for women in every district of the State because our Government is committed to the upliftment of women; if yes, when the proposal is going to be made.

Sh. Phool Chand Mullana: Honble Speaker Sir, as I have answered in another question that the Government is introducing new vocational courses in Government as well was private colleges. If the proposal from any college comes, we will openly grant the permission to start vocational courses.

डा० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय में केन्द्र की एन.डी.ए. सरकार के शिक्षा मंत्री ने डबवाली में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए मन्जूर किया था ... ।

Mr. Speaker: It is very difficult for the Minister to reply about every college or school.

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे केन्द्र से बात करके पता करवा लें कि उस विद्यालय का फ्यूचर क्या है ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने खुद कहा कि यह केन्द्रीय विद्यालय केन्द्र सरकार द्वारा मन्जूर किया गया है अगर केन्द्र सरकार मन्जूर करती है तो स्टेट गवर्नमैंट इसमें कोई ना नहीं करेगी इसके बारे में हम पता करवा लेगें ।

श्री दूडा राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि फतेहबाद हैडक्वार्टर पर लडकों का कोई कालेज खोलने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, फतेहबाद पहले सिरसा जिले का ही हिस्सा था सिरसा जिले में कई कालेज हैं और उधर हिसार में और हिसार के आसपास भी कई कालेज हैं इसलिए फतेहाबाद में कोई कालेज खोलने का सरकार का विचार नहीं है ।

कुमारी शारदा राठौर : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि बल्लबगढ़ में एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने खाली जमीन पर कई कमरे बनाये हुए हैं और उसमें एक प्राईवेट स्कूल चल रहा है अगर वह जमीन हम कालेज के लिए सरकार को दिलवा दें तो क्या वहां पर लड़कियों का कालेज खोलने के लिए सरकार विचार करेगी क्योंकि उस जमीन पर कई कमरे बने हुए हैं ।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद जिले में महिलाओं के लगभग 10-12 कालेज हैं इसलिए वहां पर कालेज खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 1991 से 1996 तक हमने आई०टी०आई० खोलने के लिए सारे स्टेट में बहुत बड़ा नैट वर्क बनाया था बाद की सरकारों ने आई०टी०आई० के काफी ट्रेड बन्द कर दिए । वे क्यों बन्द कर दिए क्या मंत्री जी बतायेंगे ? क्या ऐसी कोई सरकार की स्कीम है कि जो बन्द कर दिए हैं उनको फिर से रिव्यू करेंगे ।

10.00 बजे **श्री फूल चन्द मुलाना :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस सवाल से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन क्योंकि यहां इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी मैं देख रहा हूं , इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि सरकार की पूरी कोशिश है कि जो संस्थाएं बीमार हैं उनकी सेहत को ठीक किया जाएगा ।

डा० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि भिवानी में जो बूमैन कालेज है वह किराए की बिल्डिंग में चल रहा है क्या इस साल सरकार कोई सरकारी बिल्डिंग बनाने बारे सोच रही है और अगर सरकार विचार कर रही है तो कब तक ?

Shri Phool Chand Mullana : Sir, Bhiwani is an important station, There is a proposal under consideration of the Government and the land is also available there, Proceedings have already been started in this regard. As and when the land is transferred to the Education Department, we will start the proceedings of construction of the building.

Augmentation of Sub-Station, Mithi

***45. Shri Somvir Singh, MLA :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the execution of the augmentation of 33KV Sub-Station Mithi from 2MVA to 4MVA and 33KV Sub-Station Isharwal from 2 Nos. transformers by providing additional 6.3KVA transformer is likely to be completed ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : Sir, the capacity of the 33 KV substation at Mithi shall be augmented by the end of June 2005.

There is no necessity of augmenting capacity at 33 KV Sub-Station Isharwal.

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरी नोलेज है कि 33 के०वी०ए० सब स्टेशन, इसरवाल की क्षमता बढ़ाने का प्रपोजल चीफ इंजीनियर हिसार के पास पहले से ही गया हुआ है, अगर जरूरी नहीं है तो प्रपोजल किस लिए भेजा हुआ है ? 33 के०वी०ए० सब स्टेशन इसरवाल की जो क्षमता है वह उससे बहुत ज्यादा ओवर लोडिड है ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि जहां तक प्रपोजल का सवाल है प्रपोजल गई हुई है लेकिन वह इस तरह से नही है। जो प्रपोजल है वह इस प्रकार है कि इसरवाल सब स्टेशन मीरान सब स्टेशन से फीड होता है मीरान में 132 के०वी०ए० का सब स्टेशन है और उससे 5 सब स्टेशन फीड हो रहे हैं । प्रपोजल जो है उसके अनुसार मीरान से 2 सब स्टेशनों को घटाकर उनको अलग से फीड करेंगे । इससे उसकी समस्या खत्म हो जाएगी । यह ओवर लोडिड है इसमें कोई दो राय नहीं मीरान से जो सब स्टेशन फीड होते हैं वे हैं इसरवाल, तोशाम, निगानी, शिवानी और थारवा । अब 2006 -2007 में इसकी अगूमैंटेशन करके 2 सब स्टेशन शिफ्ट कर देंगें । तोशाम और नगीना को तोशाम के 132 के०वी०ए० के सब स्टेशन पर शिफ्ट कर देंगें । मीरान पर 3 रह जाएंगे, उसके बाद समस्या हल हो जाएगी और यह काम 2006-2007 तक पूरा हो जाएगा ।

श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि बावल में 266 के०वी०ए० का एक सब स्टेशन है और बावल बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है । गांव के लोगों के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए यही सब स्टेशन है । क्या सरकार इंडस्ट्रीज के लिए अलग से सब स्टेशन बनाने का कोई प्रावधान करेगी ?

Shri Bhupinder Singh Hooda : This does not relate to this question. However, information in this regard will be sent later.

कुमारी शारदा राठौर : अध्यक्ष महोदय, बल्लभगढ़ में फतेहपुर बिलोच ...

Mr. Speaker : It is not possible to give answer. Madam ji take you seat, please (Interuption) No, I am sorry.

Opening of Poiy technic at Hassanpur

***55. Shri Udai Bhan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govoernment to open Polytechnic in the Hassanpur town of Hasanpur Constituency ; if so, the time by which it is likely to be opened ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : No, Sir.

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हसनपुर क्षेत्र फरीदाबाद जिले में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । हसनपुर में न तो कोई ITI है और न ही कोई पोलीटैक्नीक कालेज है । उटावड़ में पोलीटैक्नीक कालेज है जो हसनपुर से 40-45 कि०मी० की दूरी पर है । हसनपुर में जैसा कि मैने कहा न कोई I TI है, न वोकेशनल इन्स्ट्रीच्यूट है और न ही पोलीटैक्नीक कालेज है इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हसनपुर में या उसके आसपास कोई पोलीटैक्नीक कालेज बनवायेंगे ? यदि जमीन की समस्या है तो वह भी वहां के लोगों द्वारा उपलब्ध करवा दी जायेगी ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में टोटल 38 पोलीटैक्नीक कालेज हैं जिनमें 17 सरकारी हैं, 17 प्राईवेट हैं और 4 एडिड कालेज हैं। जिनमें से मेरे ख्याल में 6 पोलीटैक्नीक कालेज केवल फरीदाबाद जिले में हैं। इन सभी कालेज में कुल इनटेक 8640 बच्चों की है और इनमें टोटल डिसीप्लीन 29 हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय हरियाणा बना था उस समय 6 पोलीटैक्नीक कालेज हरियाणा में थे। जिनमें 4 सरकारी और 2 प्राईवेट थे और उनमें 1140 बच्चे पढ़ते थे। मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि 6 पोलीटैक्नीक कालेजों के अलावा फरीदाबाद जिले में बहुत सारे इन्जीनियरिंग कालेज भी चल रहे हैं पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा पोलीटैक्निक कालेज फरीदाबाद जिले में हैं इसलिए वहां पर एक और पोलीटैक्निक कालेज खोलना उचित नहीं है ।

प्रो० दिनेश कौशिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पुण्डरी हल्के के पपनाला गांव में पोलीटैक्निक कालेज बनना मंजूर हुआ था और चौधरी बंसी लाल जी उसका फाउंडेशन स्टोन भी रखकर आये थे उसके बाद उनका राज चला गया और वह पोलीटैक्निक कालेज आज तक नहीं बना है पता नहीं कहां चला गया । क्या हमारे मुख्यमंत्री महोदय उसे बनवाने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे । मैं इस बारे में आगे बताना चाहूंगा कि उसके लिए लैंड भी एक्वायर हो चुकी थी और उस समय आर्डर भी पास हो गये थे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पुण्डरी हल्के में पोलीटैक्निक कालेज बनाने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया उसी तरह से पिछली सरकारों द्वारा बहुत से स्थानों पर पोलीटैक्निक कालेज बनाने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखे

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

गऐ थे और कार्य शुरू नहीं हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि 50 करोड़ रुपये का बजट पोलीटैक्निक कालेजिज़ के लिए रखा गया है। हमारी सरकार इनकी गुणवत्ता बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रही है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एम०पी०, नवीन जिंदल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है क्योंकि जो कनवंशनल डिसीप्लीन थे उससे हटकर आजकल डिसीप्लीन है इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों की इनटेक ज्यादा हो और हम उस तरफ ध्यान देंगे । इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि हमारा जो नीलोखेड़ी पोलीटैक्निक कालेज है उसमें जितनी इनटेक है उसकी 100 प्रतिशत placement है । हम इस प्रकार की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं । प्रश्न पूछने के लिए मेरे कई साथी हाथ उठा रहे हैं, ऐसी कई जगह हैं जहां पोलीटैक्निक कालेज नहीं हैं । अभी मैं रिवाड़ी गया था वहां हमारी सरकार ने धामलावास गांव में एक पोलीटैक्निक कालेज बनाने का निर्णय लिया है । अध्यक्ष महोदय, हमारे सीमित साधन हैं पहले हम गुणवत्ता बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं । तीन महीने में जिंदल साहब कमेटी की रिपोर्ट दे देंगे । उसमें प्राईवेट इन्ट्रप्राईजिज जो अच्छी-अच्छी हैं हम उनसे चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इन कालेजिज़ की गुणवत्ता बढ़ाई जाये और वे इनमें ट्रेनिंग लेने वाले युवको को नौकरियां दें । इसी तरह से पानीपत जिले के डाहर गांव में जो पोलीटैक्निक बनना है उसको AICTE से एप्रूवल नहीं मिली है, कई जगह पर AIITE से एप्रूवल लेनी पड़ती है, वह प्रोसैस में है । हमारी सरकार सारी डिटेल्ज का अध्ययन कर रही है और सभी की तरफ ध्यान दे रही है जो भी संभव होगा वह हम करेंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो बात मैं पूछना चाहता था माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने उसका जवाब दे दिया है और यहां पर तसल्ली करने की कोशिश की है । जीन्द में वर्ष1995-96 में पोलीटैक्निक कालेज सैंक्शन हुआ था और 25 एकड़ लैण्ड डिपार्टमैंट/गवर्नमैंट को हैण्ड ओवर भी कर दी गई थी । आज 10-11 साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उस बारे कोई कदम नहीं उठाया गया है । आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज जीन्द पर बहुत मेहरबान हैं और उनका जीन्द पर हक भी बनता है इसलिए मैं यह चाहूंगा कि तुरन्त इस पोलिटैक्निक पर कार्यवाही करके इसको चालू किया जाए ।

Mr. Speaker : I think you were Minister at that time and you continued as Minister for one year more.

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, यह पोलीटैक्निक मैंने उसी समय तो मन्जूर करवाया था और उसके बाद मैं मिनिस्ट्री से हट गया था बाद में सरकार ने इस स्कीम को रद्द कर दिया था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने चर्चा की जो पोलीटैक्निकस हैं उनमें जीन्द में राजपुरा गांव में पोलिटैक्निक का फांउडेशन स्टोन रखा गया था और 25 एकड़ जमीन नहीं बल्कि 20 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत ने दी थी। इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र में उमरी है, पंचकूला में नानकपुरा है, इसी प्रकार से सिरसा, डबवाली, यमुनानगर, रिवाड़ी में पोलिटैक्निकस का मैंने जिक्र किया है, कैथल में, पवनावा में, टोहाना में और फतेहाबाद में भी पोलिटैक्निकस बनने हैं। इनमें से कुछेक की जमीन दी जा चुकी है और एक आध जगह पर जमीन अवेलेबल नहीं है। कहीं पर जमीन 20 एकड़ दी गई है और कहीं पर 21 एकड़ जमीन दी गई है। स्पीकर सर, यह सारा मामला हम देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इन पोलिटैक्निक्स को जल्दी चालू किया जाए लेकिन इसके साथ हमारा ध्यान इस बात पर भी ज्यादा है कि क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को बढ़ाया जाये ताकि उससे हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद की आबादी 22 लाख है और नगर निगम से बाहर रूरल ऐरिया भी है जिसमें एक भी पोलिटैक्निक नहीं है। मेरा हसनपुर ऐरिया सबसे पिछड़ा हुआ ऐरिया है और उत्तावड़ मेवात जिले में है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो छः पोलिटैक्निकस बताएं हैं वह कहां कहां पर हैं और जो रूरल ऐरियाज नगर निगम के बाहर हैं वहां पर और हसनपुर जो कि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है क्या वहां पर पोलिटैक्निक बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि YMCA इन्स्टीच्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग है और इसकी इनटेक कैपेसिटी 30 बच्चों की है। अल्फा स्कूल ऑफ इन्जीनियरिंग टैक्नोलोजी फरीदाबाद, बी०एस० आंगनपूरिया, इन्स्टीच्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी मैनेजमैन्ट, फरीदाबाद, कैरियर इन्स्टीच्यूट ऑफ टैक्नोलोजी मैनेजमैंट, फरीदाबाद (विध्न) जैसे कि मैंने पहले कहा है आई०आई०टी० होता है, सैकण्ड कैटेगरी में पोलिटैक्निकस और इन्जीनियरिंग इंस्टीच्यूट हैं । अकेले फरीदाबाद में छः इन्जीनियरिंग कॉलेज हैं, छः एम०बी०ए० कालिज है,छः एम०सी०ए० कॉलेज, एक फार्मेसी कॉलेज और पोलिटैक्निकस हैं और सभी में कोर्सिज चल रहे हैं । इन सबका परपज एक ही है इसलिए मैं समझता हूं कि अभी फरीदाबाद में किसी और पोलिटैक्निक इंस्टीच्यूट की कोई जरूरत नहीं है।

Construction of Drainage/Channel

***93. Shri Tejinder Pal Singh Mann :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether the State Government has received any complaint in regard to the use of sub-standard material in the construction of drainage/ channels in the State during the regime of previous Government ; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to conduct any enquiry into the matter referred to part (a) above ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Yes, Sir.

(b) The complaints are under investigation.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान एक बात की और दिलाना चाहूंगा । कैथल जिले में जहां से भी हम गुजरते हैं एक भी ऐसा गांव नहीं मिला जहां ड्रेनेज का कोई फायदा हुआ हो । यह पैसा सैंट्रल गवर्नमैंट से आया था वह वाकेय ही down the drain वाली बात है । जगह-जगह पर लोगों ने मिट्टी डाल कर रास्ते बनाए हुए हैं और उन जगहों पर गन्दा पानी इक्ट्ठा हो कर मच्छर पालने की जगह बनी हुई हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी नीति के तहत सरकार इस परियोजना की चैकिंग करवाएगी क्योंकि इसमें टोटल पैसा खाया गया है । मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि पाई हल्के में सिर्फ एक ठेकेदार ने सारा काम किया है । उस ठेकेदार ने हमारे उस वक्त के मन्त्री का घर भी बनाया । आज भी गांव में 300 कट्टे पंचयाती राज के इस घर में लगाने के लिए पड़े हुए थे। मैंने

परसों ए०डी०सी० और डी०सी० के नोटिस में लाकर उनको चैक करवाया है। कल भी मैंने गलियों के बार् में एक सवाल किया था कि पंचायती राज का जो काम होता है, उसमें जो भी पैसा लगता है । आमतौर पर उसमें से 10-20% अधिकारी लोग खाया करते हैं लेकिन इसमें तो 60-70% पैसा खाया गया है । जिन गलियों में चार इंच की कंक्रीट डालनी थी उसकी बजाय दो-दो इंच की कंक्रीट डाली गई है और हमारे यहां पर ये सारी क्रम्बल कर चुकी हैं । साईडज़ पर बर्मज़ नहीं हैं, कहीं गलियों के अन्दर ईंटे नहीं लगाई गईं और सारी नालियां गिरी पड़ी हैं । मैंने एक कम्पलेंट विशेषकर कैथल जिले के पाई गांव के बारे में की है । क्या मंत्री जी डी०सी० से पंचायतों की सामूहिक रूप से इन्क्वायरी करवाएंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, माननीय साथी ने जो कैथल जिले में ड्रेनों के बारे में बात रखी है तो ये इस बारे में जो इनकी स्पैसिफिक कम्पलेंट है उसको चीफ विजिलैंस आफिसर और एस०सी० विजिलैंस पंचकूला को लिखकर दे दें । पहले इस बारे में ये हालात थे कि अफसर रिटायर हो जाते थे और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर नहीं होती थी अब हमने यह आर्डर दे दिया है कि जो डिफाल्टिंग आफिसर हैं उनके खिलाफ एक महीने में चार्जशीट दाखिल की जाए और उनके खिलाफ तीन महीने में इन्क्वायरी की रिपोर्ट दी जाए । माननीय सदस्य ने जो कहा है है, उस केस में अगर अनियमिताएं पाई गईं तो जरूर कार्यवाही की जाएगी ।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में यह बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के वक्त में मुख्यमंत्री श्री ओमप्रकाश चौटाला जी पाई में सिसला और सिरमौरा गांवों में आए थे और उनको वहां पर 5 से लेकर 7 लाख रूपए की मालाएं डाली गई थी । वह सारे का सारा पैसा वहां की गलियों का और नालों का था जो इनको मालाओं के रुपये में डाला गया था । स्पीकर सर, उस वक्त वहां पर बड़ा भारी सूखा पड़ा हुआ था। जब इनको मालाएं डाली गई थी तो उन्होने वहां पर यह कहा था कि भगवान करे यहां पर हर साल ऐसा ही सूखा पड़ता रहे और मुझे इस तरह मालाएं जलती रहें। स्पीकर सर, वहां का पैसा भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनकी सरकार के मंत्री और वहां के विधायक खा गए थे। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह जो धोटाला उस वक्त किया गया था इस बारे में इन्क्वायरी करवाई जाए जिससे पता चलेगा कि यह करोड़ों रूपए का धोटाला है ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, यह मामला इनसे भी और हमसे भी कन्सर्न्ड है । हमारे पास पिछली सरकार के बारे में काफी कम्पलेंटस आई हुई हैं । हमने यह विचार किया है कि इसमें इन्कवायरी के लिए हम हमारे डिपार्टमैंट के नुमायदों के अलावा बाहर से किसी दूसरी एजैंसी को भी इन्वालव करेंगे और जो अनियमितताएं पाई जाएंगी उस बारे में कार्यवाही करेंगे ।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, ...

Mr. Speaker : Mr. Indora, I told you in the very beginning . I gave you time to speak. Now please sit down.

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, यह क्रप्शन का मामला है ।

Mr. Speaker : Indora Ji, please take your seat.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, जिस तरह से मेरे माननीय साथी ने श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम लेकर सदन में बात कही है तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वे सदन के सम्मानित सदस्य हैं और बीमारी की वजह से सदन से अनुपस्थित हैं । मेरा आपसे निवेदन हैं कि इन्होंने जो उनके बारे में बात कही है वह एक्सपंज कर दी जाए । स्पीकर सर, यह मामला चाहे क्रप्शन का है, चाहे वह सड़क का मामला है या कोई दूसरा मामला है । इस बारे में स्पीकर सर, ट्रिब्यून में 16.6.2005 को एक खबर है कि M.L.A. is still to serve the notice ....(विघ्न) यहां पर एक्साईज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर जी भी बैठे हुए हैं ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इन्दौरा जी का यह प्रश्न उससे सम्बन्धित नहीं जो प्रश्न चल रहा है।

Dr. Sushil Indora : * * * * * *

Mr. Speaker : Mr. Indora, please take your seat. Nothing is being recorded.

डा० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, * * * * * *

Mr. Speaker : Indora Ji, I gave you the time because you are a seasoned man. You are a seasoned parliamentarian and you should know when supplementary can be asked for.

डा० सुशील इन्दौरा : * * * * * * * *

Mr. Speaker : You know the procedure of putting the supplementary. Please take your seat.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह भान : सर, मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि मैंने इस बारे में सारी खबरें एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जी की नालेज में ला दी हैं । (शोर एंव व्यवधान) स्पीकर सर, आज की तारीख में मैंने एक भी पैसा सरकार का नहीं देना है । पिछली सरकार ने मेरे खिलाफ ये केसिज पोलिटीकल वैंडेटा की वजह से फ्रेम किए थे । (शोर एंव व्यवधान)

Mr. Speaker : Mann Sahib please take your seat Next question.

Promotion of Sports in the State

***89. Shri Ranbir Singh Mahandra :** Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the steps being taken by the Government to spread the culture of sports in the State of Haryana; and

(b) whether the Government intends to involve the local bodies in promotion of sports; if so, the details thereof ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : A Statement is laid on the table of the house.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

Statement

Various steps have been taken by the Government to spread the culture of sports in the State of Haryana as per details given below :—

1. To provide more facilities to players a comprehensive Sports policy has been implemented.

2. Cash award of Rs. 1.00 crore, Rs. 50 lacs and Rs. 25 lacs are given to the players who bring laurels to the State and Country by winning Gold, Silver and Bronze Medals respectively in Olympic games :—

The position holders of International/National tournaments shall be awarded as under :—

Sr. No.	Level of tournament	Gold Medal	Silver Medal	Bronze Medal
1	2	3	4	5
(a)	World Cup/ Championship	3,00,000/-	2,00,000/-	1,00,000/-
(b)	Asian/Afro Asian Games	10,00,000/-	7,00,000/-	5,00,000/-
(c)	Commonwealth Games	7,00,000/-	5,00,000/-	3,00,000/-
(d)	Asian Championship	1,00,000/-	75,000/-	50,000/-
(e)	National/SAF Games	51,000/-	31,000/-	21,000/-
(f)	National Championship	31,000/-	21,000/-	11,000/-
(g)	National School Games	10,000/-	7,000/-	5,000/-
(h)	All India Inter University	10,000/-	7,000/-	5,000/-
(i)	National Women Sports Festival	10,000/-	7,000/-	5,000/-
(j)	All India Rural Sports Tournament	10,000/-	7,000/-	5,000/-
(k)	International Veteran Athletic Championship	20,000/-	15,000/-	10,000/-

1	2	3	4	5
		Age Group 45-50 years		
(l)	National Veteran Athletic Championship	7,000/-	5,000/-	3,000/-
		Age Group 45-50 years		
(m)	Special Olympic (International) for Mentally/Physically Challenged sports persons	5,00,000/-	3,00,000/-	2,00,000/-
(n)	World Marathon for Mentally/ Physically Challenged sports persons	1,00,000/-	75,000/-	50,000/-
(o)	Asian /Common-wealth games for Mentally/Physically Challenged sports persons	1,00,000/-	75,000/-	50,000/-
(p)	Special Olympic (National) for Mentally/Physically Challenged sports persons	7,000/-	5,000/-	3,000/-

2. Rs. 94,54,000/- were given as Cash Awards under this scheme to 672 players last year.

3. Haryana Govt. is providing 3% reservation to sports persons in Govt. jobs.

4. Bhim Awards are given to honour the five outstanding players of Haryana every year. Each "Bhim Awardee" is given a prize of Rs. 1.00 lac and other facilities.

5. An Award has been instituted to honour Coaches, who produce players of International/National repute. This award will be given to 5 Coaches of Haryana every year. A sum of Rs. 1.00 lac in cash and other facilities will be provided to each Awardee.

Note : The amount of cash award for each member of position holder team will be equal to the amount to be given to position holders of individual events.

6. (i) Scholarship of Rs. 1800/- (Rs. 150/- PM) for first position holder at National/State level tournament/championship for college students.

(ii) Scholarship of Rs. 1200/-(Rs. 150/- per month) for second position holder at National/State level tournament/championship for college students.

7. (i) Scholarship of Rs. 1200/- (Rs.100/- per month) for first position holder at National/State level Tournament/Championship for School students.

(ii) Scholarship of Rs. 900/- (Rs. 75/- per month) for second position holder at National/State level tournament/championship for college students.

8 Players from Haryana State who are admitted for diploma in coaching at NSNIS are given stipend @ Rs.300/- per month for 10 months.

9. Unemployed Olympians are given pension @ of Rs. 2000/-per month.

10. Under the old age sports pension scheme, financial assistance of Rs.300/- to Rs.700/- is given to National/International players.

11. 75% concession in the Haryana Roadways bus fare has been granted to all players for participating in all State/National Level Competitions. Free travel facilities in Haryana Roadways buses are given to Arjuna Awardees & Bhim Awardees and medal winners in Olympics, Asian Games & Common Wealth Games.

12. A scheme for grant of special financial Assistance to sports persons and their families has been introduced. If a player gets injured during International or National competition, he/she shall be given a grant of Rs. 3.00 lacs & Rs, One lac respectively. In case of death Rs. 5.00 lacs shall be given to the family.

13. Diet money of Rs. 50/- per player, per day is provided to all players participating in National/State Level competitions.

14. Diet money of Rs. 50/- per player, per day is provided to all players enrolled in Sports Nurseries and Sports Hostel.

15. Players of Sports Wing are provided refreshment @ Rs.30/- per player, per day.

16. Diet money @ Rs. 100/- per player, per day is provided for the participants of Camps prior to National Games.

17. Coaching Camps of 4 weeks duration are organized by the Sports Department for National Championships. Services of Coaches are provided for these Camps and players are given diet worth Rs. 50/-per player, per day.

18. Stadia with facilities for all games have been constructed at all District Headquarters, except Fatehabad and Kaithal, to enable players to gain proficiency in different sports.

19. Modern sports facilities have been provided to the students of Motilal Nehru School of Sports, Rai (Distt. Sonipat).

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

20. The following Boards and Corporations have adopted 13 Sports Nurseries, in which facilities for boarding, loadging, study, sports kit, coaching etc. are provided free of cost :—

(a) H.S.I.D.C.	Volleyball, Boxing
(b) H.F.C.	Judo
(c) H.U.D.A.	Kabaddi (Two)
(d) Haryana Warehousing Corporation	Wrestling(Two), Table Tennis
(e) HARCO Bank	Hockey (Three)
(f) HAFED	Wrestling, Badminton.

21. 20 Sports Nurseries and 44 Sports Wings were being run by the Sports Department last year.

22. HSIDC has raised a team of Volleyball and Lawn Tennis.

(b) Haryana Government involves local bodies i.e.Municipal Committees/Corporations, Distt. Sports Councils, Stadium Committees, Gram Panchayats etc. for the promotion of sports in the State of Haryana. Most of the sports facilities have been constructed and are being maintained with the help of local bodies at various places in the state. Stadiums in villages have been constructed & are being maintained with the help of Gram panchayats. These Local Bodies have made an important contribution in the promotion of sports in the State. Government intends to continue to seek participation of local bodies in the promotion of sports.

Shri Ranbir Singh Mahendra : Mr. Speaker Sir, I would like to know from the Hon'ble Chief Minister, whether any grant is being given to the local bodies.

Shri Bhupinder Singh Hooda : Yes, local bodies are being helped by the Sports Department. Somewhere matching grants are given in different shapes. जितनी नर्सरी मेनटेन करते हैं उनके लिए now, this year our Government is taking special care of the sports. Sports is the index of health of the State. That is why we have doubled the budget of sports. Last year it was only Rs.4.7 crore and now in the year 2005-2006, It is Rs. 9 crore. We have increased one budget from Rs. 4.7 crore to Rs. 9 crore. The proposed expenditure in this is Rs. 2.7 crores infrastructure,rupees one crore for equipments, Rs. 1.50 crores for cash awardsss and Rs. 1.25 crores for sports and nurseries, But I feel one thing, which I must say

that diet money of our sports persons is very less. So, we have decided to double to the diet money of our sports persons.

Shri Ranbir Singh Mahendra : I welcome the decision taken by our Hon'ble Chief Minister as far as diet money is concerned . But I think the doubled diet money is also too less. I would again request the Hon'ble Chief Minister to increase it from Rs. 50/- to Rs. 150/-. The player has to spend a whole day and now a days, unemployment is also there. A boy when comes to the camp or to attend the tournament, it is very difficult to live on in Rs.50/-, as far as diet money is concerned. I would,there fore earnestly request the Hon'ble Chief Minister to increase it from Rs. 50/- to Rs.150/-. Secondly, I would also like to propose that as far as the Sports Camps are concerned, they should be held at place where accommodation is fairly good. I would like to tell the Hon'ble Chief Minister that the Boards and Corporations such as HSIDC, HFC, HUDA, HARCO, HWC have adopted the 13 sports nurseries, in which facilities of boarding, lodging, study, sports, coaching etc.are being provided free of cost. I would request that they should give the players good accommodation and good food. They should also specify in details about their activities. They should mention that whether two teams are being sponsored by them or two players are being sponsored by them.

Shri Bhupinder Singh Hooda : Speaker Sir, as I have already stated, regarding the first part of his question, which the Hon'ble Member has raised about the diet money. This year we have doubled the diet money and if it is felt that it is not adequate then we will again give a thought to it. But I think we should start with doubling it. Second part, which he has raised about the facilities being provided by these nurseries which these organizations are running.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना भी चाहती हूं और उनको बताना भी चाहती हूं कि हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए अलग से स्विमिंग पूल बनाए गए थे,किन्तु पिछली सरकार ने डेढ़ साल पहले अपने जान पहचान के लोगों को और रिश्तेदारों को ये स्विमिंग पूल 3-3 और 5-5 साल के ठेके पर दे दिए हैं और हमारे खिलाड़ियों को मात्र एक घण्टा प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि पहले करनाल के खिलाड़ी नेशनल लैवल पर टॉप पर आते थे किन्तु इस बार एक भी खिलाड़ी नहीं आया है एक घंटा उनको दोपहर के समय 3-4 बजे के बीच दिया जाता है बाकी का समय जो शौकिया तैराक हैं उनके लिए है । ज्यादातर खिलाड़ी तैराक गांव से आते हैं और कई खिलाड़ी इस वजह से आना भी छोड़ गए हैं इस लिए मेरा अनुरोध है कि उन ठेकों को रद्द किया जाए ।

Shri Bhupinder Singh Hooda : Speaker, Sir, we are looking into it.

Smt. Kiran Chaudhary : Mr. Speaker Sir, will Hon'ble Chief Minister be pleased to state whether he has written to the Sports Minister for retaining the Sports Hostel in Bhiwani as it was discussed earlier with Shri Sunil Dutt Ji ?

Shri Bhupinder Singh Hooda : Sir, I have discussed this matter with the Sports Ministry but unfortunately our Hon'ble Sports Minister Shri Sunil Dutt has died. So, no correspondence could be made after that.

चौ० धर्म पाल सिंह मलिक : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा में राई के अंदर एक स्पोर्टस स्कूल है वह बहुत पुराना सा है और स्पोर्टस को अहमियत देने के लिए एक संस्था पिछली सरकार द्वारा बनाई गई थी । बहालगढ़ के पास 84 एकड़ जमीन पंचायत से जबरदस्ती लेकर चौधरी देवी लाल स्पोर्टस अकादमी के नाम करा ली ।

Mr. Speaker : I think the time will be over in your supplementary. Only one minute is left.

चौ० धर्म पाल सिंह मलिक : अध्यक्ष जी, कल चर्चा आई थी कि फरीदाबाद में जो स्टेडियम हैं वहां पर खिलाड़ी पौल्यूशन की वजह से खेलना नहीं चाहते तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि क्रिकेट स्टेडियम स्पोर्टस स्कूल राई या चौधरी देवी लाल अकादमी में स्थापित किया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि फरीदाबाद में पौल्यूशन की वजह से खिलाड़ी क्रिकेट खेलना नहीं चाहते तो गुडंगाव में हमारा बहुत ही अच्छा स्टेडियम है। माननीय सदस्य से भी मेरी इस बारे में चर्चा हुई है हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

Mr. Speaker : Question hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Shortage of Drinking Water

***103. Dr. Sushil Kumar Indora :** Will the Minister for Transport be pleased to state---

(a) whether Government is aware of the fact that there is shortage of drinking water in the State ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to supply the sufficient drinking water?

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) जी हां, दिसम्बर, 2004 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के कुल 6759 गांवों में से 1971 गांवों में पानी की कमी है ।

(ख) इन 1971 पानी की कमी वाले गांवों में 31 मार्च, 2008 तक पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है, जो कि पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

Repair of Roads in Chhachhrauli Constituency

***94. Shri Arjan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the roads in Chhachhrauli Constituency are in very bad condition; and

(b) if the reply to part (a) above be in affirmative, the time by which these roads are likely to be repaired ?

मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : (क) तथा (ख) कुछ सड़कों की हालत अच्छी नहीं है । इनमें से कुछ सड़कों पर काम चल रहा है शेष सड़कों का विभिन्न योजनाओं के तहत मुरम्मत करने का प्रस्ताव है । यद्यपि इसकी कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती, फिर भी राज्य सरकार इनकी जल्दी मुरम्मत करने का प्रयत्न करेगी ।

Education City

***73. Shri. Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the State Government to develop an education city in the State ; if so, the location and the vision behind thereof .

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : हां, श्रीमान् जी । राज्य में शिक्षा शहर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार भूमि उपलब्ध करवायेगी तथा शिक्षा शहर में उत्कृष्टता वाले संस्थान स्थापित करने के लिए मानदण्ड/दायरा निर्धारित करेगी । शिक्षा के नये उभरते क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले तथा राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की स्थापना पर ध्यान दिया जायेगा ।

जहां तक प्रस्तावित शिक्षा शहर के स्थल का सम्बन्ध है, इसका चयन करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया है । समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

Contract Farming

***90. Shri Ranbir Singh Mahendra :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to adopt contract farming in the State for achieving the goal of crop diversification; if so, the detail thereof, togetherwith the steps being taken to educate the farmers in this regard?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : हाँ, श्री मान जी । राज्य में अनुबन्धित खेती (कान्ट्रैक्ट फार्मिंग) को बढ़ावा देने के लिए पंजाब कृषि उत्पाद मण्डी एक्ट, 1961 में संशोधन करने के लिए कार्यवाही की जा रही है । इस सम्बन्ध में किसानों को शिक्षित करने के लिए किसान प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ।

Opening of a Government College

***95. Shri Arjan Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College for boys/girls in the Chhachhroli Constitutency; and

(b) if so, the time by which the aforesaid college is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : नहीं, श्रीमान जी ।

Providing of Sewarage and Water Facilities

***16. Shri Dharam Pal Singh Malik :** Will the Minister for Transport be pleased to state :-

(a) whether Union Government has approved any project for providing sewerage and drinking water facilities to the towns of Haryana State falling under National Capital Region during the year 2002-2003; and

(b) if so, the total amount released out of the whole amount earmarked for the project mentioned in part (a) above and the time limit for the completion of the project ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) श्रीमान जी, केन्द्रीय सरकार द्वारा सीवरेज व पीने के पानी की सुविधा हेतु कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है । फिर भी 87.48 करोड़ रुपये की 2 परियोजनाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से, परियोजना की लागत का 75 प्रतिशत ऋण सहायता के तहत सितम्बर, 2002 में स्वीकृत करवाई गई ।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा परियोजना की लागत के 75 प्रतिशत हिस्से में से अब तक कुल 45.80 करोड़ रुपये का ऋण जारी किया गया है । प्रथम परियोजना अक्तूबर, 2006 तक एवं द्वितीय परियोजना जनवरी, 2008 तक पूर्ण की जानी है ।

Providing of Job to Retrenched Employees

***66. Shri Ram Kumar Gautam, Shri Dharam Pal Singh Malik:** Will the Finance Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide jobs to the employees retrenched by previous Government during the period from 2000-2005; if so, the details thereof ?

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : सरकार ने छंटनी किये कर्मचारियों के आग्रहों पर विचार करने के लिए मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है ।

Abolition of Reservation Policy in Category 'A' & 'B"

***104. Shri Sushil Kumar Indora:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government has abolished the reservation policy of category 'A' and category 'B' of the reserved class; if so, the reasos thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : जी, नहीं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली से उत्तर प्रदेश सीमा तक यमुना नदी के पूर्व किनारों के साथ बान्धों के निर्माण सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion No. 2 from Shri Udai Bhan, M.L.A. regarding construction of 28 Kms. long Jewar Tapple marginal dam by the U.P. Government, which has been bracketed with Calling Attention Motion No. 5 regarding construction of bunds along the eastern banks of Yamuna river by the U.P. Government from Delhi to U.P. Broder given notice of by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. I admit it. Shri karan Singh Dalal, will also be allowed to ask supplementaries. Shri Udai Bhan may please read his notice.

श्री उदय भान : स्पीकर सर, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जिला फरीदाबाद के साथ लगती यमुना नदी की बाईं ओर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से गांव रामपुर बांगड़ से गांव मालब खुर्द तक लगभग 28 किलोमीटर लम्बा जेवर टेप्पल सीमांत बांध बनाया जा रहा है। उक्त बांध की यमुना नदी के दाईं ओर, जहाँ हरियाणा राज्य के जिला फरीदाबाद के गांव स्थित हैं, ऊंचाई लगभग 20 फुट से 25 फुट से ज्यादा है। यदि उक्त बांध निर्मित किया जाता है तो हरियाणा के सैंकड़ों गांव जैसे कि राजुपुर खादर, दोस्तपुर, मोलड़ा, सोलड़ा बागपुर, भूड़ खेड़ली, माला सिंह फार्म, नगला पेहलका, अम्बरी, गुरवाड़ी, रहीमपुर, सुल्तानपुर, मोहबलीपुर, फुशाक, बिलोचपुर, लालपुर, फाट नगर, सतुआगढ़ी, लक्करपुर, माहौली, इत्यादि तबाह और बर्बाद हो सकते हैं। जब कभी भी बरसात के मौसम में, ताजेवाला हैड से अतिरिक्त पानी छोड़ा जायेगा तो इससे हरियाणा के सैकड़ों गांवों में भारी तबाही, जन हानि, फसलों को क्षति तथा अन्य प्रकोप होंगे। बहुत से गांव यमुना नदी में डूब सकते हैं।

विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से इस संबंध में उठाये जा रहे पगों के बारे में सदन में एक वक्तव्य देने के लिए अनुरोध करता हूं।

वक्तव्य—

राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Mr. Speaker Sir, it is true that the Irrigation Department of State of U.P. has taken up the construction of Jewar Tappol Marginal Bund on left bank of River Yamuna in Gautam Budh Nagar and Aligarh districts in 28.20 Kms. length at an estimated cost of Rs. 9682.41 lacs. The Bund has been designed for discharge of 2,75,000 Cs. in River Yamuna with a free board of 1.8 meters. The top width of the Bund has been kept as 5.5. Meters. There is a provision of stone pitching of the bund on the river side along with launching appron. The average height of the bund is about 18 ft.

U.P. Irrigation Department reportedly started construction of this embankment some time in May, 2003 and by this time has nearly completed the work in about 12 Kms. The part of the Bund where work is under progress and is nearing completion is upstream of Palwal-Aligarh Road. U.P. Irrigation Department got approval of the scheme from the Planning Commission on the basis of clearance of the scheme by the Ganga Flood Control Commission (GFCC) in the year 2001. The scheme needed revision and when the revised scheme was taken to the GFCC, U.P. Irrigation Department was advised to get clearance of the Yamuna Standing Committee. In fact the scheme, at the first instance, was required to be cleared by the Yamuna Standing Committee and therefore, the GFCC, at the first instance, should have referred the scheme to the Yamuna Standing Committee. The Yamuna Standing Committee is a committee comprising of members (Chief Engineers) of Basin States presided by Member (River Management), Central Water Commission to examine and clear all the flood schemes on River Yamuna. The scheme was for the first time considered by Yamuna Sub Committee, a committee constituted by Yamuna Standing Committee for the purpose of consideration of such schemes from the Basin States in its 3rd meeting held on 19.04.2005 Superintending Engineers of the concerned States are the members of the Sub Committee which is headed by Chief Engineer (FM), Central Water Commission. The scheme, therefore, came to the notice of Haryana Irrigation Department for the first time when Agenda Item for the 3rd meeting of Yamuna Standing Committee was received from the Director (FM-I), Central Water Commission dated 8.4.2005.

The Superintending Engineer YWS Circle, Faridabad, attended the 3rd meeting of the Sub Committee and opposed the scheme.The Sub Committee advised State of U.P. to calculate the likely increase in flood level in the river due to proposed construction so as to assess its impact on villages in Haryana. In the meantime U.P. Irrigation Department was advised to slow down the work. Haryana sought a meeting at the level of Chief Engineers and a meeting of the Chief Engineers was held on 16.05.2005 in the Chamber of Chief Engineer (FM), Central Water Commission. The Chief Engineer, Haryana, contended in the meeting that it was irregular on the part of U.P. to bye-pass Yamuna Standing Committee/ Yamuna Sub Committee and get the scheme cleared by GFCC, Patna/the Planning Commission and start the work, without referring to the Yamuna Standing

Committee (Y.S.C.). It was further contended that the scheme is in violation of YSC guidelines and the work should be stopped immediately irrespective of the contractual consequences. Chief Engineer (Ganga) U.P. informed that there was no intention on the part of U.P. Irrigation Department to bye-pass the YSC and it may be that the scheme was not referred to YSC out of ignorance of the then officers handing the project. He also stated that GFCC should have considered interstate aspect and directed the Government of U.P. to get it cleared by YSC in the first instance. The Chief Engineer, Haryana, however, reiterated his stand that all works should be stopped by U.P. immediately pending completion of the study and clearance by the Yamuna Standing Committee. This view was not accepted by the Chairman of the Sub-Committee who advised the Government of U.P. to concentrate on the works upstream of Palwal Aligarh Road and not take up the works downstream of it till the studies were completed and considered by the Committee.

The Government of Haryana has lodged a strong protest with the Government of Uttar Pradesh and asked them to stop construction work forthwith. The Central Water Commission has been requested for urgent intervention. A detailed D.O. letter by the Financial Commissioner and Principal Secretary, Irrigation Haryana, has already been sent to the Principal Secretary to Government U.P., Irrigation Department on 03.06.2005 with copies to Chairman Central Water Commission for urgent intervention and also to Advisor, Planning Commission. A detailed reference has also been made to the Member (River Management) Central Water Commission, Chairman of the Yamuna Standing Committee.

I agree with the Hon'ble Members that this is a matter of serious concern. The construction of this bund could endanger a number of villages on Haryana side in Palwal and Hodal Tehsils during floods in Yamuna. The Government has already lodged a very strong protest with the Government of Uttar Pradesh. We will further pursue the matter with the U.P. Government. We are directing the Irrigation Department to examine the impact of this bund on Haryana villages and propose adequate protection measures. I assure the Hon'ble Members that the Government will take all apporopriate and adequate measures to safeguard the life and property of the residents of the areas under threat.

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी के जवाब से ही स्पष्ट है कि बहुत गम्भीर मामला है, मैं चाहूंगा कि इस पर शोक और समय डिस्कशन के लिए हो क्योंकि यह हमारे हजारों आदमियों की जिन्दगी और मौत का सवाल है । अगर यह बांध बन जाता है तो इससे हमारे कितने ही गांव बाढ़ में बह सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस गम्भीर मसले को हल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करने का कष्ट करेंगे और क्या केन्द्र की सरकार पर इस काम को रोकने के लिए दबाव बनाएंगें ? इस बांध का कार्य 12 किलोमीटर तक हो गया है और 16 किलोमीटर बाकी रह गया है उस पर अभी पत्थर डलना जारी है । और मैटीरियल आ रहा है, कार्य अभी रुका नहीं है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कार्य में हस्ताक्षेप करके उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्र की सरकार से बातचीत करके इस बारे में कोई कार्यवाही सरकार की तरफ की जा रही है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम इस मामले में बड़े गम्भीर हैं । मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से इस बारे में डी.ओ. लैटर लिखवाया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगें । इसके साथ-साथ मैंने अपने अधिकारियों को भी कहा है कि विदइन 7 डेज, जो रिंग बांध आपके गांव के आस पास है उसकी प्रोटैक्शन के बारे में हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं इस बारे में रिपोर्ट लाकर दें । जो रिंग बांध है उसको थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा । अभी बरसात आने में थोड़ा समय है, जुलाई के महीने में बरसात आ जाती है उससे पहले हम इस बारे में कदम उठाएंगे और इसके साथ साथ जिन अधिकारियों ने इस मामले में कोताही बरती है उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे । ये हमारे जो साथी इधर बैठें हैं जिन की सरकार में यह सारी कार्यवाही हुई है । ये पता नहीं कहां सोये हुए थे, जो 12 कि. मी. तक बांध बन गया । इस बारे में जिन अधिकारियों ने इसकी सूचना नहीं दी उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे ।

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, whether I have been allowed two supplementaries or one ?

Mr. Speaker : Maximum two supplementaries are allowed to you.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक तो यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है । क्या ये उस वक्त के इरीगेशन मंत्री और मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ भी कार्यवाही करायेंगे, जो तीन-चार साल लम्बी नींद सोते रहे और यह बांध 12 कि.मी. तक बन गया । जिन्होंने प्रदेश के हितों को नकार करके फरीदाबाद जिले की जनता के साथ खिलवाड़ किया । उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लेंगे ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो बांध यू.पी. सरकार बना रही है और मंत्री जी ने माना है कि इस बांध का बनना फरीदाबाद जिले के लिए चिंता का विषय है । क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जिस तरह का बांध यू.पी. सरकार बनवा रही है उसी तरह का बांध हमारी तरफ भी बनवायेंगे या बैराज बनायेंगे जिसमें बाढ़ का पानी एकत्रित किया जा सके । यू.पी. सरकार ने गोकुल में एक बड़ा बैराज बनाया है जिसमें बाढ़ का पानी एकत्रित होता है क्या उसी तरह का बैराज हमारे यहां बनाया जायेगा जिसमें बाढ़ का पानी एकत्रित हो जाये ताकि वह पानी मेवात तथा फरीदाबाद इलाके के किसानों को सिंचाई के लिए दिया जा सके । ऐसा करने से फरीदाबाद जिले में बाढ़ की जो चिंता है वह भी दूर हो जायेगी । इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि वहां बैराज बनाने की योजना बनाई जाये ।

स्वतन्त्रता सेनानी का अभिनन्दन

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am very glad to inform the House that Ch. Ranbir Singh Hooda, a freedom fighter, former Minister and father of the present Chief Minister is present in the VIP Gallery. I welcome him.

वक्तव्य-

राजस्व मन्त्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरे साथी ने पिछली सरकार के इरीगेशन मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जी की बात की है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हम

इन्क्वायरी करवा रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे । दूसरा मेरे साथी जो बैराज बनाने की बात कर रहे हैं इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह टैक्नीकल मामला है । इस बारे में हम क्या-क्या कदम उठा सकते हैं यह टैक्नीकली एग्जामिन करवायेंगे और जो भी उपयुक्त होगा वह फरीदाबाद की जनता के लिए किया जायेगा । यदि रिंग बांधों से वहां के गांवों को लाभ पहुंचेगा तो इन्हें बनवाएंगे । जहां भी बांध बनाने की जरूरत है वहां बांध बनवायेंगे ।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि वहां पर जो रिंग बांध बने हुए है वे 1952 के बने हुए हैं । उनको बने हुए 50 साल से ज्यादा समय हो गया । वे पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं । (विघ्न) क्या फोरी तौर पर 15-20 दिन में उनको बनवाया जायेगा ताकि आने वाली बरसात में वहां के लोगों को बाढ़ से राहत मिल सके ? दूसरा मैं मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि अभी 16 कि.मी. का बांध बनना बाकी है तथा उस काम को तुरंत बंद होना चाहिए । चाहे उसके लिए हमारे मंत्री जी यू.पी. सरकार के मुख्यमंत्री जी से टैलीफोन पर बात करें या मीटिंग करे लेकिन उसका काम तुरंत रुकना चाहिए । 12 कि.मी. तक बांध पिछली सरकार की नालायकियों की वजह से बन गया । मई, 2003 से लेकर जनवरी , 2005 तक तीन साल तक उस पर काम चलता रहा लेकिन पिछली सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । अब मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारी तरफ वहां स्टड जरूर लगवायें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं वह रिंग बांध वर्ष 1952-53 में बने हुए थे उनकी रेजिंग के लिए हम बाकायदा और जगह वहां पर देखेंगे ताकि विलेजर्ज को प्रोटैक्शन मिल सके और जहां जिन अधिकारियों ने कार्य नहीं किया उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने का सवाल है । 12 किलो मीटर तक काम हो गया है और बाकी आगे के काम के बारे में रोक लगाने के बारे में पहले ही मैं कह चुका हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन्हें डी.ओ.लैटर लिख रहे हैं और अगर आवश्यक हुआ तो मैं स्वयं वहां के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से इस मामले में बात करूंगा । इस मामले में हम पूरी तरह से कंसर्ड हैं और उचित कार्यवाही करेंगे ताकि वहां के लोगों के जान माल और प्रोपर्टी को पूरी प्रोटैक्शन मिल सके ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से मैंने बैराज के बारे में जो सवाल किया है उसके बारे में उन्होंने केवल आश्वासन ही दिया है । अध्यक्ष महोदय, हमारा जो यमुना का इलाका है वहां अण्डर ग्राउंड वाटर 200 फुट से नीचे तक जा रहा है । यमुना का पानी वहां से वैसे ही बह कर जा रहा है और किसी भी प्रदेश को उसकी जरूरत नहीं है । बारिशों के दिनों में और बिना बारिशों के दिनों में भी वह पानी बिना किसी इस्तेमाल के अगले प्रदेश में बहता रहता है । उत्तर प्रदेश सरकार ने गोकुल में, जहां भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वहां पर बैराज बना रखा है और वे उस पानी का इस्तेमाल करते हैं । जब उत्तर प्रदेश सरकार यमुना पर बैराज बना कर उस पानी का इस्तेमाल कर रही है तो दूसरी तरफ हरियाणा फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात जैसे इलाकों में पीने के पानी को तरसता है । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम रेनी वैल स्कीम मेवात और फरीदाबाद के लिए लागू की है । वहां का अण्डर ग्राउंड वाटर और नहरों में चलने वाला पानी कन्टैमिनेटिड है और वह पानी पीने के लायक नहीं है । रेनी वैल स्कीम यहां पर पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने ऑलरैडी मन्जूर की हुई है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं और जनहित में यह आश्वासन भी चाहता हूं कि अगर सम्भव है तो वहां पर वे मौका देखने के

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

लिए चलें हम लोग भी इनके साथ चलेंगे । जहां यू.पी. की सरकार ने दूसरी तरफ यमुना के ऊपर बांध बनाने की गुस्ताखी की है क्या उस गुस्ताखी का लाभ उठाते हुए यह सम्भव है कि वहां पर बैराज बना कर गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवात के लोगों को पानी दिया जा सकता है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को पहले ही इस बात का जवाब दे चुका हूं कि इसके बारे में टैक्नीकल तौर पर हम पूरा जायजा लेंगे और अगर बैराज बनाने से वहां के लोगों को फायदा होता है तो उसको बनाने के लिए स्टैप्स लेंगे लेकिन इससे पहले इस के बारे में हम रिपोर्ट ले लें । जहां तक रिंग बांध का सवाल है, इसके दो ही तरीके हैं एक तो यह कि हम कोर्ट में जाएं । अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो आप जानते हैं कि इसमें बहुत वक्त लगेगा । दूसरा तरीका यह है कि हम पी.एल.आई. डाले । अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से पी.एल.आई. डाल कर हम तुरन्त कार्यवाही कर सकते हैं । हम अगर ऐसा कुछ करें तो हो सकता है उस पर जल्दी ही कुछ कार्यवाही हो सके । पी.एल.आई. तो तुरन्त हो सकती है और इस मामले में जो भी सार्थक कार्यवाही होगी वह करने की हम कोशिश करेंगे । Speaker Sir, the Haryana Government is taking up this matter very seriously.

गैर सरकारी संकल्प —

हरियाणा में महिला एवं पुरुष लिंग के अनुपात संतुलन संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, there are four resolutions received. The following non-official resolution are in the order, When it is over then second will be taken up. Thereafter third and fourth resolutions will be taken up.

Hon'ble Members, now, Dr. Shiv Shankar Bhardwaj, will move that this House recommends to the State Government to take all necessary steps to reduce the ratio of female and male in the State of Haryana and to take all necessary steps to restore the balance of the female and male sex ratio in order to aviod the existing alarming situation of the said sex ratio in the State.

डा० शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी) : स्पीकर सर, मैं अपना प्रस्ताव मूव करता हूं —

> कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि हरियाणा राज्य में महिला एवं पुरुष अनुपात को कम करने तथा राज्य में उक्त लिंग अनुपात की वर्तमान संकटग्रस्त स्थिति से बचने के लिए महिला तथा पुरुष लिंग अनुपात के संतुलन को पुन: स्थापित करने हेतु सभी आवश्यक पग उठाएं ।

Speaker Sir, the sex ratio in india has been generally adverse to women, i.e. the number of women per 1,000 men has generally been less than 1000. Apart from being adverse to women, the sex ratio has also declined over the decades. Kerala has a Sex ratio of 1,058 females per 1,000 males in 2001. It is the only State with a sex ratio favourable to females. I may bring to the notice of the House about the sex ratio of Haryana in various districts. Sir, I have the figures of districtwise sex ratio. In Panchkula it is 823 per 1000. In Panipat it is 830, in

Faridabad it is 839, in Sonepat it is 839 in Rohtak it is 847, in Jhajjar, it is 848, in Hisar it is 852, in Jind it is 853, in Kaithal it is 854, in Yamunanagar it is 863, in Karnal it is 864, in Kurukshetra it is 866, in Ambala it is 869, in Gurgaon it is 874, In Bhiwani it is 880, In Sirsa it is 882, in Fatehabad, it is 886, in Rewari it is 901 and in Mahindergarh it is 919. That means the sex ratio is most favourable to the women in the District of Mahindergarh. I must congratulate Rao Dan Singh in this regard. The sex ratio is something different in the age group of 0 to 6 years. The best is in Gurgaon. In Gurgaon, it is 853 per 1000. स्पीकर सर, 1 मार्च, 2000 को भारत की आबादी 1.03 अरब हो गई थी इसके साथ ही दुनियां में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन के बाद दूसरे नम्बर पर भारत का नाम आ गया था । (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1991 से लेकर 2000 तक भारत की आबादी में 21.34 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई थी जो कि अब बढ़ी नहीं है बल्कि यह परसैंटेज घटी है । अब मैं शिशु लिंग अनुपात के बारे में कहना चाहूंगा कि जन्म के समय लिंग अनुपात लड़कों के पक्ष में होता है । इसका मतलब यह है कि बालिकाओं की तुलना में बालकों की जन्म दर ज्यादा होती है । यह प्राकृतिक घटनाचक्र है । जन्म के समय लिंग अनुपात साधारणत: 1000 लड़कों की तुलना में 940 से 950 लड़कियां होती हैं । डिप्टी स्पीकर सर, 0 से 6 साल की उम्र में 1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंग अनुपात कहा जाता है । भारत में 1991 की जनगणना में 1000 बालकों की तुलना में 945 बालिकाओं का शिशु लिंग दर्शाया गया है । जो कि 2001 की जनगणना में घटकर 927 हो गया है । पिछले कई सालों से यह अनुपात घटता जा रहा है ।

सन् 1961 में 976 लड़कियां, 1971 में 964 लड़कियां, 1981 में 962 लड़कियां थीं । इस तरह से बिल्कुल ऐसी खराब स्थिति अब उत्पन्न हो सकती है । लेकिन इन लापता होती हुई लड़कियों की भरपाई करना असंभव न सही मुश्किल अवश्य हो जाएगा । डिप्टी स्पीकर सर, समाज द्वारा इस भेदभाव को पहचानने की जरुरत है । जैसे बालकों को जीने का अधिकार है वैसे ही बालिकाओं को भी जीने का अधिकार है । इसके अलावा किसी भी लिंग की घटती संख्या और उस द्वारा उत्पन्न असन्तुलन, सामाजिक व मान्य ढांचे को नष्ट कर सकता है । डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और गुजरात जैसे प्रदेशों में यह अनुपात घटकर प्रति एक हजार बालकों की तुलना में 900 से भी कम बालिकाओं का हो गया है । हरियाणा में यह लिंगानूपात 861 बालिकाओं का है । 16 प्रदेश व केन्द्र शासित क्षेत्रों के 70 जिलों में 1991 से लेकर 2000 तक के दशक में शिशु लिंगानूपात में यह कमी 50 अंकों से भी ज्यादा दर्ज हुई है । उपाध्यक्ष महोदय, यह लिंगानूपात हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में 770 है । अहमदाबाद में यह लिंगानूपात 814 और दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले में 845 है हालांकि इनकी गिनती देश के सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्रों में होती है । देश में जन्म से पहले भ्रूण अवस्था में भ्रूण के लिंग निर्धारण एवं अगर स्त्री भ्रूण हो तो उसका समापन करना एक आम बात होती जा रही है । जन्म से पहले स्त्रियों के हनन के प्रचलन को प्री बर्थ ऐलिमिनेशन ऑफ फिमेल कहा जाता है । इसके दो चरण होते हैं भ्रूण का लिंग निर्धारण और अनचाहे लिंग का भ्रूण समापन । यह विश्वास किया जाता है कि स्त्री भ्रूण समापन का प्रचलन भारत में प्रतिकूल शिशु लिंगानूपात के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है । भारतीय संदर्भ में पुत्रों के पक्ष में अत्याधिक झुकाव है। इस झुकाव के पीछे नाना प्रकार के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक हैं । जैसे पुत्र ही परिवार के नाम और व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाला होता है । उपाध्यक्ष महोदय, पुत्रों की कामना इसलिए भी की जाती है क्योंकि यह माना जाता है कि वे ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं

[डा० शिव शंकर भारद्वाज]

तथा अन्त्येष्टि एवं उसके बाद के धार्मिक कार्यों के लिए भी उनकी जरुरत होती है। दहेज की प्रथा और पुत्रियों को पराये धन के रूप में मानना, शादी करके पराए घर भेज देना भी बेटियों के मुकाबले बेटों के प्रति झुकाव का कारण है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो उदाहरण हाउस के सामने रखना चाहूंगा । राजस्थान की और हमारी स्थिति में ज्यादा अंतर नहीं है । हाई एंड लार्ज वही स्थिति हमारे हरियाणा में भी लागू होती है । उपाध्यक्ष महोदय, रानू, एक पुत्र की माता ने जन्म देने के एक दिन के अंदर ही अपनी दो बच्चियों की गला घोटकर हत्या कर दी थी । वे दोनों ही शिशु बालिकाएं थीं । रानू न के बराबर स्कूल गई, रानू 18 साल की उम्र में ब्याही गयी थी । उसने बीस साल की उम्र में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था और उसके बाद वह सात बार गर्भवती हुई । उसके बेटों की मौत बीमारी की वजह से हुई और दो बार स्त्री भ्रूण होने के कारण उसने गर्भपात कराया एवं दो शिशु पुत्रियों की हत्या की गयी और एक बालक उसका जीवित है । रानू ने एक और बेटा चाहा है । वह साफ-साफ और दृढ़ता से कहती है कि अगर उसके और लड़कियां हुईं तो वह उनको भी मार देगी क्योंकि उनकी शादी में देने के लिए उसके पास न के बराबर पैसे हैं । उसका पति मुख्तयार दो हजार रुपये या तीन हजार रुपये मासिक वेतन की नौकरी करने वाला सैनिक है। वह उदासीन प्रतीत होता है लेकिन न तो रानू और न ही उसके परिवार के सदस्य उन बालिकाओं की मौत पर दुःख प्रकट करते हैं क्योंकि वे बेटियों को समस्या पैदा करने वाली मानते हैं। इसी प्रकार से दूसरा एक और उदाहरण है । श्रीमती रवि के तीन संताने हैं । उनकी सबसे बड़ी बेटी 23 वर्ष की आयु की है । दूसरी बेटी 21 वर्ष की आयु की है और एक 10 वर्षीय उनका पुत्र है। अपने पुत्र को जन्म देने से पहले श्रीमती रवि और श्री रवि ने 9 बार लिंग निर्धारण परीक्षण करवाएं और 8 बार चिकित्सों द्वारा गर्भपात करवाए । अपने पुत्र को जन्म देने के दो दिन बाद ही उसकी मौत हो गयी। उसके चिकित्सक ने उसको और गर्भधारण करने से मना किया था क्योंकि इससे उसके जीवन को खतरा हो सकता था । श्री रवि एक बहु-राष्ट्रीय संस्था में सीनियर ऐग्ज़क्यूटिव हैं और स्वर्गीय श्रीमती रवि एक पब्लिक स्कूल की शिक्षिका थी । कहने का मतलब यह 11.00 बजे है कि जो लड़का होने की चाह है वह जितनी गरीब में है उतनी ही अमीर में भी है । हर वर्ग में है और हर जाति में है । इसी संबंध में मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि पित्र सत्तात्मक ढांचा, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक ढांचा, विकास के तथाकथित आयामों एवं प्रजनन से जुड़ी नयी तकनीक, लिंग चयन तथा लिंग आधारित गर्भपात, दो बच्चों के परिवार की धारणा, सरकारी नीति, जनसंख्या नीति, महिलाओं से जुड़े भेदभाव पूर्ण कानून और उनका सही पालन न होना, महिलाओं के प्रति हिंसा और घरेलू हिंसा, काम करने के स्थान पर यौन शोषण, गर्भपात और गर्भनिरोध साधनों की ही इसका पर्याय मान लिया जाना, और बढ़ रहे उपभोक्तावाद आदि ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां 2001 की जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि 0 से 6 साल तक की 60 लाख लड़कियां गायब कर दी गई हैं यानी लड़कों के मुकाबले कम हैं । दूसरे शब्दों में प्रकृति से खिलवाड़ करते हुए उन्हें जन्म से पहले ही गायब कर दिया जाता है उन्हें जीने के अधिकार से जन्म लेने से पहले ही वंचित कर दिया गया है । ये स्थिति अब उन क्षेत्रों में भी पहुंच गई है जो क्षेत्र पहले पित्र सत्तात्मक ढांचे से मुक्त थे । शायद उनको लिंग तथा लिंग आधारित गर्भ समापनों से कोई अपराध बोध जुड़ा महसूस नहीं होता होगा । इससे पहले कि गायब लड़कियों की स्थिति लुप्तप्राय रेस बन जाए, आओ हम एक जुट होकर इस स्थिति के विरुद्ध अभियान में शामिल हों । महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति-जिसमें पुत्र की कामना और पुत्रियों को जन्म

लेते ही विभिन्न ढंगों से मार देना, यह हमारे देश के लिए नया नहीं है । इसी अमानवीय परम्परा की अगली कड़ी में आधुनिक तकनीकों के गलत प्रयोग से कन्याओं को गर्भ में से ही बाहर न आने देना या फिर गर्भ में शिशु के विकारों की जानकारी प्राप्त करने वाली तकनीकों के गलत प्रयोग, लिंग की जानकारी प्राप्त करके गर्भ में समाप्त करके उसे जन्म लेने के अधिकार से वंचित कर देना आदि बातें हैं । पहले जहां विभिन्न सामाजिक, धार्मिक कारणों के चलते लड़कियां अपने अधिकारों से वंचित थी, वह परिवार तथा समाज के शोषण का शिकार थीं तो आज पुत्र की कामना की कमजोरी को बखूबी समझते हुए उसके खिलाफ बाजार की ताकत भी इसमें शामिल हो गई हैं । प्रजनन तकनीकों के चित्र सत्तात्मक ढांचे में महिलाओं के सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम न करके ऐसे सिद्धांत पर काम करते हैं जिसमें अवांछित लड़कियों को समाप्त करना ही होता है । लिंग चयन तथा लिंग जानकारी द्वारा जन्म से पूर्व ही लड़कियों को अदृश्य या गायब कर देने के साथ तो कोई वैसा अपराध बोध नहीं जुड़ा होता, जो जन्म के पश्चात मारने या मारने की स्थिति में छोड़ देने के साथ जुड़ा होता है । क्या यह अमानवीय व्यवहार महिलाओं के विरुद्ध अकेला अपराध है । नहीं, सभी सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां इस बात का प्रमाण है कि यह अमानवीय अपराध महिलाओं के प्रति भेदभाव से भरे रवैये की विभिन्न दिशाओं में एक मात्र दिशा है । दहेज, घरेलू हिंसा, बलात्कार, दहेज हत्या, सम्पति पर कानूनी अधिकार होना, कार्यस्थल पर यौन शोषण, एकल महिलाओं की समस्या, भेदभाव भरे कानून, सरकारी नीतियां, दो बच्चों का परिवार आदि जैसी ऐसी कितनी ही स्थितियां महिलाओं के भेदभाव का उदाहरण हैं । महिलाओं का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक मौन यातनामय यात्रा है । स्पीकर सर, भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले हमेंशा कम रही है परन्तु 2000 के आकड़ों के अनुसार 0 से 6 साल तक की लड़कियों के अनुपात में कमी हो जाना चिंता का विषय है जहां सन् 2000 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की कुल गिनती में राष्ट्रीय स्तर पर सुधार हुआ है वहां दूसरी ओर 0 से 6 साल की लड़कियों की गिनती में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दोनों में गिरावट आई है । मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि पंजाब का हाल हमारे से बुरा है । पंजाब में जिला फतेहगढ़ में और हरियाणा में कुरुक्षेत्र में सैक्स रेसो सबसे कम है । पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात का देश में सबसे कम सैक्स रेशो है। भारत के 591 जिलों की 0 से 6 तक वर्ष की लड़कियों की संख्या 2001 जनसंख्या आंकड़ो के अनुसार निम्नलिखित है :-

0-6 साल की लड़कियों की संख्या	जिलों की संख्या
800 से कम	16
800 से 849 के बीच	33
850 से 899 के बीच	72
900 से 949 के बीच	213
950 से 999 के बीच	245
1000 से 1049 के बीच	12

यहां मैं बताना चाहता हूं कि केरल एक ऐसा राज्य है जिसकी हमें नकल करनी चाहिए। केरल में 1000 लड़कों के मुकाबले 1058 लड़कियां हैं । मैं बजट पर भी इस बात को बोलना

[डा० शिव शंकर भारद्वाज]

चाहता था कि हमें पर कैपिटा इन्कम बढ़ाने का जोर देना ही चाहिए । हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ाने पर जोर देना चाहिये because ultimately these should be quality of life, उसमें literacy भी आती है, उसमें maternal mortality rate भी है, उसमें बहुत से फैक्टर हैं और ultimately जो मैटर करता है वह पैसा नहीं है वह quality of life है । इनमें सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पंजाब का फतेहगढ़ साहिब और दूसरा जिला पटियाला है । क्या लिंग भेद को आर्थिकता के साथ जोड़ा जा सकता है ? लिंग भेद को क्षेत्र के आर्थिक स्तर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता । उदाहरणतय: केरला में महिलाओं की संख्या पंजाब से बेहतर है और दूसरी तरफ पंजाब जैसे समृद्ध प्रान्त की संख्या राष्ट्रीय स्तर से भी कम है। वास्तव में इसका कारण पितृसत्तात्मक ढांचा हैं जिसमें विभिन्न कारणों से पुत्र की कामना गहरे स्तर तक समाई रहती हैं । महिलाओं/लड़कियों की गिरती जनसंख्या के कुछ और भी कारण रहते हैं । इन कारणों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

छोटी लड़कियों की विभिन्न ढ़गों से अवहेलना करना जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रसव के दौरान महिलाओं की भारी संख्या में मृत्यु होना, जन्म के बाद लड़कियों को मार देना। भ्रूण हत्या और परिवार के सदस्यों की गिनती लिखाते समय लड़कियों का जिक्र ही न करना। गांवों में तो कहते हैं कि इसका नाम किस लिए लिखवाना यह तो पराया धन है थोड़े दिन में चली जायेगी ।

नई प्रजनन तकनीक तथा परम्परा का अनैतिक गठबन्धन -70 के दशक में प्रजनन से जुड़ी विभिन्न तकनीक जैसे एमनियोसिनटीसिस, सोनाग्राफी आदि का आगमन जिससे गर्भस्थ शिशु के विकारों की जानकारी प्राप्त की जा सके, एक बड़ी प्राप्ति थी । परन्तु इन तकनीकों का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान ही भ्रूण के विकारों की जानकारी प्राप्त करना था, लेकिन इनका इस्तेमाल अपने उद्देश्य से हटकर, भ्रूण के लिंग की जानकारी प्राप्त करना हो गया और उनके बाद अगर भ्रूण बालिका है तो उसे गर्भपात के द्वारा समाप्त करने के लिए किया जाने लगा ।

कानून पास किए जाना :- इस बिगड़ते अनुपात से भविष्य में आने वाले कुप्रभावों को पहचानते हुए, सन् 1994 में सामाजिक जागरूक लोगों तथा महिला संगठनों में एक लम्बे संघर्ष के बाद एक केन्द्रीय एक्ट जिसे प्री-नेटल डायग्नोस्टिक रेगुलेशंज एंड प्रीवेन्शन तकनीक अर्थात पूर्व प्रसव नैदानिक तकनीकें और निषेध के नाम से जाना जाता है, पास करवाने में सफलता प्राप्त की। यह एक्ट 1994 में बना, 1996 में पास हुआ और 2002 में इसमें संशोधन हुआ, मैं इसकी बारीकियों में नहीं जाऊंगा । लेकिन उसका संक्षिप्त में जिक्र करूंगा । राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का लक्ष्य केवल लिंग संतुलित जनसंख्या को स्थिरशील करना ही नहीं बल्कि अन्य मुद्दों पर भी गौर करना है । जैसे शिशु जीवन रक्षा, माता का स्वास्थ्य और गर्भ निरोध और साथ ही साथ शिक्षा के प्रसार तथा व्यवस्था में उन्नति, सफाई, शुद्ध पेयजल एंव आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के अलावा स्त्री शक्ति का विकास तथा उनके लिए रोजगार की सुविधाएं प्राप्त करना है । प्री-नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक सुधारीकण एक्ट, 2002, 14 फरवरी, 2003 को लागू हुआ । प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट, 1994 का नाम बदलकर प्री कान्सीवन प्री नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक एक्ट दिया गया यह एक्ट गर्भाधारण से पहले या बाद में लिंग चुनाव को निषिद्ध करता है । यह एक्ट अल्ट्रा साउंड आदि जन्म से पहले लिंग निर्धारण पद्धतियों को जो भ्रूण अनुवांशिक अनियमितताएं या थीन संबधी दूसरी अनियमितताओं के निर्धारण के लिए आवश्यक हों, को निषिद्ध नहीं करता परन्तु

नियंत्रित करता है । इसका लक्ष्य एक लिंग निर्धारण तकनीकों के अपव्यय को बन्द करना है, जिसके द्वारा स्त्री भ्रूणों की हत्या हो लिंग असंतुलित समाज की उत्पत्ति हो । स्पीकर सर, इस एक्ट के तहत जो व्यक्ति लिंग चुनाव में मदद मांगता है उसे उसके पहल जुर्म के लिए तीन वर्ष की कैद हो सकती है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है और संबंधित राज्य चिकित्सक परिषद् इससे जुड़े चिकित्सा पंजीकरण को निलम्बित कर सकती है और दोषी करार दिए जाने की स्थिति में उसका नाम कौंसिल रजिस्ट्रेशन से हटा सकती है । परम्परा और तकनीकों का अनैतिक गठबन्धन डिप्टी स्पीकर सर, बेशक बालिका वध या फिर विभिन्न ढंगों से उसे मरने के लिए छोड़ देना, हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, किन्तु फिर भी प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों तथा प्रजनन से जुड़ी हुई तकनीकों के गलत प्रयोग तथा बालिकाओं की गिर रही जनसंख्या के बीच में गहरा सम्बन्ध है । कोई भी तकनीक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संदर्भों के बीच में ही इस्तेमाल की जाती है । बेशक प्रजनन से जुड़ी ये तकनीकें यह दावा क्यों न करें कि यह उन दम्पतियों को बच्चा प्राप्त करने में मदद करती है जिनके यहां कोई बच्चा नहीं होता, परन्तु वास्तव में इन तकनीकों को अधिकतर बेटा प्राप्ति के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि डाक्टर विभुति पटेल का पोलिटीकल इकोनोमी ऑफ दि मिसिंग गर्ल इन इंडिया में कहना है कि हमारे देश में प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकें इतनी सस्ती है कि आम आदमी भी इन सेवाओं को प्राप्त कर सकता है । बालिकाओं के गिर रहे लिंग अनुपात का दूसरा मुख्य कारण महिलाओं की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति भी रहा है । बेटियां जहां परिवार में बोझ समझी जाती हैं वहीं बेटे धार्मिक, आर्थिक कारणों से परिवार के लिए वरदान समझे जाते हैं। महिलाओं से भेद पूर्ण व्यवहार किया जाता है । उनका अपने शरीर तक पर अधिकार नहीं है न तो वह अपनी इच्छा से बच्चा पैदा कर सकती हैं न ही अनचाहे गर्भ से मनाही कर सकती है । बाल विवाह अधिनियम के रहते हुए भी देश के अधिकतर भागों में उनका छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता है । उन्हें छोटी उम्र में ही गर्भधारण करना पड़ता है, वह अक्सर घरेलू हिंसा व यौनिक शोषण का शिकार होती है । उनका सम्पति पर कोई अधिकार नहीं है । घरेलू कामों की कोई कीमत ही नहीं आंकी जाती । महिला के विरुद्ध विडम्बना यह नहीं है कि वह सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों की ही शिकार है बल्कि कानूनी स्थिति भी उसके पक्ष में नहीं है । विभिन्न पर्सनल लाज को राजनैतिक और धार्मिक नेता अपने स्वार्थ वश बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते । तलाक हो जाने पर अक्सर सभी धर्मों में इकट्ठे अर्जित की गई सम्पत्ति पुरुष को ही मिलती है । महिलाओं का खर्चे का कानून भी काफी कमजोर है । अगर कुछ कानून महिलाओं के पक्ष में भी हैं तो वह उन अधिकारों को या तो विभिन्न दवाबों के चलते वह उनका इस्तेमाल नहीं कर पाती या फिर उन्हें इतना पेचीदा कर दिया जाता है कि वह उनकी क्षमता से बाहर होता है।

गर्भपात बनाम गर्भ रोकू साधन-कानून ही नहीं बल्कि सरकारी नीतियां भी महिलाओं के पक्ष में नहीं रही हैं । उन्हें जनसंख्या नियंत्रण का सुगम तरीका बना दिया गया है उनके शरीर पर विभिन्न गर्भ रोकू साधनों का प्रयोग किया जाता है । दो बच्चों के परिवार की धारणा का भी महिलाएं ही शिकार हो रही हैं, क्योंकि परिवार में बेटा तो चाहिए ही और पहला बच्चा बेटी होने की स्थिति में उसे टैस्टो के लिए मजबूर किया जाता है, मजबूर कर देते हैं घर के सदस्य या सासू कहती है कि जाकर टैस्ट करा ले और वह बेचारी आ जाती है उसका कोई जोर नहीं चलता और अगर फिर से गर्भ में बेटी हो तो महिला को उसके स्वास्थ्य यहां तक कि उसके जीवन को खतरा होने पर भी लिंग आधारित गर्भपात के लिए सीधे या असीधे तौर पर विवश किया जाता है या फिर सामाजिक

[डा० शिव शंकर भारद्वाज]

सांस्कृतिक जीवन-मूल्यों के कारण वह अपने आपको उसके लिए प्रस्तुत कर देती है । स्थानिक स्वशासन संस्थाएं जैसे पंचायत, नगर निगम आदि की सदस्यता के लिए भी बहुत सारे राज्यों में दो बच्चों से ज्यादा बच्चों के माता-पिता चुनाव के लिए खड़े नहीं हो सकते । ऐसी स्थिति में भी महिलाओं को लिंग आधारित गर्भपात करवाना पड़ता है, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान या स्वास्थ्य की ही कीमत क्यों न देनी पड़े।

गर्भ का चिकित्सीय समापन तथा लिंग निर्धारित गर्भपात-गर्भ का चिकित्सीय समापन तथा लिंग निर्धारित गर्भपात का भी आपसी सम्बन्ध है । परन्तु हम सिर्फ लिंग निर्धारित गर्भपात का भी आपसी सम्बन्ध है । परन्तु हम सिर्फ लिंग निर्धारित गर्भपात को ही अनैतिक मानते हैं और यह गैर कानूनी भी है परन्तु जहां तक गर्भके चिकित्सीय समापन के कानून का प्रश्न है, यह कानून महिलाओं ने मुश्किल से पाया है और वह सामाजिक व्यवस्था जिसमें अनचाहे गर्भ चाहे वह बलात्कार का परिणाम रहे हों चाहे वह वैवाहिक बलात्कार जिनको हमारा कानून बलात्कार ही नहीं मानता, के कारण हों, जहां पर महिलाओं द्वारा अपने साथी से गर्भ रोकू साधन को इस्तेमाल के लिए कहना ही गलत माना जाता हो आदि जैसे कारण मौजूद हैं कम से कम गर्भपात बल्कि सुरक्षित गर्भपात का अधिकार तो महिलाओं को मिलना ही चाहिए । इसमें हम कुछ सकारात्मक हस्ताक्षेप कर सकते हैं । लिंग चयन तथा लिंग आधारित गर्भपातों को मात्र महिलाओं का मुद्दा नहीं समझ कर इसे मानवीय अधिकार और विकास के मुद्दे के रुप में देखना होगा इसके लिए महिलाओं का सशक्तिकरण तथा लिंग समानता के प्रति समाज के सभी वर्गों को संवेदन करने के लिए सभाएं, कार्यशालाएं आदि का आयोजन करना चाहिये । दहेज, घरेलू हिंसा तथा अन्य महिला विरोधी सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने के लिए विभिन्न माध्यमों से अभियान छेड़ने की जरुरत है । इसके अतिरिक्त गायब लड़कियों की स्थिति से आने वाले समाज का चित्रण विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए । गर्भ का चिकित्सीय समापन तथा प्रसव पूर्व तैदानिक तकनीकों द्वारा लिंग चयन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी देनी चाहिए । विभिन्न माध्यमों द्वारा लिंग निर्धारित गर्भपातों के कुप्रभाव की जानकारी देनी चाहिए । लिंग निर्धारित टैस्टों के बाद बार-बार करवाये जाने वाले गर्भपातों के द्वारा कुप्रभाव की जानकारी देनी चाहिए । प्रजनन से जुड़ी नई तकनीकों के गलत प्रयोगों के द्वारा आने वाले समाज पर पड़ने वाले कुप्रभावों की भी चर्चा होनी चाहिए । लिंग चयन तथा प्रसव पूर्वमैदानिक तकनीकें अधिनियम को शक्ति से लागू करवाना चाहिए । सरल भाषा में साहित्य निकालना चाहिए । महिलाओं से जुड़े अन्य कानूनों की पालना करवानी चाहिए । जजों, जिला अटॉरनीज, पुलिस कर्मचारी/अधिकारी, मानवीय अधिकारों से जुड़े एक्टीवीस्टों, महिला संस्थाओं तथा सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाये । उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रशासन के सकारात्मक हस्तक्षेप के बारे में बताना चाहूंगा कि डाइग्नोस्टिक केन्द्रों के रिकार्ड को समय पर चैक करना चाहिए और केन्द्रों के पंजीकरण से जुड़े कामों को तीव्र करना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, ये सकारात्मक सुझाव हैं जो प्रशासनिक तौर पर दूर किये जा सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं की स्थिति जो भी रही हो लेकिन हमारे देश की महिलाओं ने देश में विदेश में काफी नाम कमाया है । कुछ महिलाओं पर हमें बड़ा गर्व है यदि पहले भी कन्या भ्रूण हत्याएँ हुई होती तो शायद ऐसी वीरांगनाएँ न होती । जैसे मदर टैरेसा :—

मदर टैरेसा नारी नहीं, वो थी देवी एक,
उसके आंचल में पले गरीब अनाथ अनेक ।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि मदर टैरेसा जैसी नारी पैदा हुई नहीं होती तो जो काम उन्होंने किया वह कौन कर सकता था । उन्होंने चैरेटी चलाये और अनाथों तथा गरीबों की मदद की ।

सानिया मिर्जा

लॉन टेनिस में नाम कमाया,

भारत मां का मान बढ़ाया ।

महारानी लक्ष्मी बाई

खूब लड़ी मरदानी, वह तो झांसी वाली रानी थी,

महिलाओं के गौरव की, उसी ने लिखी कहानी थी ।

कल्पना चावला

आसमान पे थे थी छाई, पूरी दुनियां की छवि बढ़ाई ।

कर्णम् मल्लेश्वरी

जोर लगाके वजन उठाया,

ओलम्पिक में तिरंगा फहराया ।

लता मंगेशकर

सुर लहरों की थे है रानी,

आवाज ही कहे इसकी कहानी ।

सन्तोष यादव

माउण्ट एवरेस्ट पर चढ़कर दिखाया,

हरियाणा और देश का मान बढ़ाया ।

पी टी उषा

पी टी ऊषा ऐसी दौड़ी,

मैडल लाकर कर दी, देश की छाती चौड़ी ।

तीजन बाई

स्टेज पर महाभारत गाकर धाक जमाई,

नाम है इसका तीजन बाई ।

किरण बेदी

पुलिस की सबसे पहली महिला अफसर,

अपराधी जिससे रहते हैं डरकर ।

इनके अतिरिक्त हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी देश के लिए जान दी । यदि इंदिरा गांधी जी नहीं होती तो शायद आज हमारे देश में जितनी तरक्की की है वह नहीं कर पाता । इसके अतिरिक्त मैं हमारी लीडर सोनिया गांधी जी का भी नाम लेना चाहूंगा । जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और यहां हमारी सरकार बनी जो आज हम यहां बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय कम होने के कारण मैं एक

[डा० शिव शंकर भारद्वाज]

कविता जरूर कहना चाहूंगा । बेटी के बारे में यह एक कविता है जो मै आपको सुनाता हूं :—

मैया । जन्म से पहले मत मार
बाबूल । जन्म से पहले मत मार ।
चाहे मुझको प्यार न देना
चाहे तनिक दुलार न देना
कर पाओ तो इतना करना
जन्म से पहले मार न देना
मैं बेटी हूं, मुझको भी है
जीने का अधिकार ।
मेरा दोष बताओ मुझको
क्यों बेबात सताओ मुझको
मै भी अंश तुम्हारा ही हूं
तजकर फेंक न जाओं मुझको
जीने का जो हक दे दो तुम
देख लूं ये संसार
थोड़ी नजर बदलकर देखो
संग समय के चलकर देखो
बेटी से भी नाम चलेगा
ठहरो जरा संभलकर देखो
बुढ़ापेपन की लाठी बनकर
दूंगी दृढ़ आधार ।
मैं जब आंगन में डोलूंगी
पिताजी की बोली बोलूंगी ।
दया, करुणा, त्याग, तपस्या,
के नूतन द्वारे खोलूंगी
दोनों कुल के मान की खातिर
तन-मन दूंगी वार ।
मैया । जन्म से पहले मत मार
बाबूल । जन्म से पहले मत मार ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

Mr. Deputy Speaker : Thank you very much.

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समाज में नारी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है लेकिन बड़ी विडम्बना यह है कि In fact it is very ironical that on one side our Vedas place the women on a pedestal and no religious ceremony is complete without them and on the other side conversely we have the Sage Manu Waxing eloquent saying that women should be treated as cattle and other household goods. उपाध्यक्ष महोदय, नारी के बारे में हमारे ग्रन्थों में बहुत कुछ लिखा हुआ है और यहां तक कहा गया है कि यत्र नारीस्य पूज्यंते, रमन्ते तत्र देवता अर्थात जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां पर देवताओं का वास होता है । लेकिन बड़े दुख की बात है कि नारी के बारे में हमारे ग्रन्थों में इतना कुछ लिखा गया है । Infact Our Pantheon of Gods is also headed by a women deity . But inspite of all this दुर्भाग्य की बात है कि नारी के प्रति इतनी दुर्दशा आज की जा रही है । हम जानते हैं कि आज के दिन हरियाणा में लड़कियों की गर्भ में ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है और गर्भ में ही उनको खत्म कर दिया जाता है । सब कुछ होने के बाद, कानून बनने के बाद और इन सारी चीजों के बावजूद इतना सब कुछ होता चला आ रहा है । मैं जानना चाहती हूं कि इस सब का जिम्मेदार कौन है ? अगर हम अपने आप को और अपने मन को झंझोड़ कर देखें और अपने मन को टटोलें तो मैं समझती हूं कि इसके उत्तरदायी हम सब हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछती हूं कि यह सब कुछ कब तक होता रहेगा ? नारियों के साथ इस तरह का अन्याय कब तक चलता रहेगा ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न आज सदन के सामने रखती हूं । उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि कन्या के पैदा होते ही उस के अन्दर हीनता की एक भावना पैदा कर दी जाती है । घर में जब छोटा बच्चा पैदा होता है बड़े ढोल नगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया जाता है (विघ्न) थालियां बजाई जाती हैं, लड्डू बांटे जाते हैं और पूरे गांव के अन्दर खुशियां मनाई जाती हैं और घर-घर में मिठाई बांटी जाती है । लेकिन जब किसी घर में कन्या का जन्म होता है तो वहां पर बहुत ही मायूसी का माहौल पैदा हो जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, लड़कों की तुलना में लड़कियों को हीनता की भावना से तो देखा ही जाता है । दोनों के पालन पोषण में भी लड़कों को आगे रखा जाता है । घर में जो अच्छा वस्त्र होगा वह लड़के को पहनाया जाएगा, दूध दही खिलाने की बारी आएगी तो वह भी लड़कों को ज्यादा खिलाया पिलाया जाएगा । महिलाओं और नारिगों को हमेशा पीछे रखा जाता है और यहां तक कि घर में बेटी को बुरी तरह से दुत्कारा जाता है । उनके मन के अन्दर साईकॉलोजीकली इस तरह की एक बात पैदा कर दी जाती है कि वह बेटे से तुच्छ है, बेटे से हीन और कमजोर है तथा वह बेटे से आगे नहीं बढ़ सकती है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति केवल ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उन्हीं में ही नहीं बल्कि जो परिवार अच्छा खाते पीते हैं, जो परिवार शहरों में रहते हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं उनकी मानसिकता भी इसी तरह की है । बड़े दुख की बात है जिसके बारे में मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि हम लोग सबसे बड़े हिपोक्रिटस हैं , हम भी दो तरीके के मापदण्ड रखते हैं । जब हम अपने हल्के में जाते हैं तो लोगों को महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ी बातें कहते हैं और जब हम अपने घर जाते हैं तो घर में महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ अलग तरीके का मापदण्ड प्रयोग करते हैं हम लोग ही दोहरे मापदण्डों का प्रयोग करते हैं । हम सबको

[डा० शिव शंकर भारद्वाज]

[श्रीमती किरण चौधरी]

मिलकर इस दोहरे मापदण्डों को बदलना चाहिए । जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक नारियों का उत्थान नहीं हो सकता । उपाध्यक्ष महोदय, हम भूल जाते हैं कि इन्सान की उन्नति के पीछे नारियों का कितना बड़ा योगदान है । सभी की खुशहाली के लिए और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आज नारी की जरूरत है । आज अगर नारी नहीं रहेगी तो जीवन आगे कैसे चल पाएगा । फिर भी आज हम नारी का मान सम्मान नहीं करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में 1000 लड़कों के पीछे 823 लड़कियां हैं । यह बहुत ही गम्भीर समस्या है । अगर इस समस्या का समाधान जल्दी नहीं किया गया तो इस वजह से एक ऐसा प्रपोशन पैदा हो जाएगा जिसको हम सम्भाल नहीं पाएंगे । इसकी वजह से स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो जाएगी । आज हमें नारियों को सम्मान देना चाहिए, बच्चियों को प्यार देना चाहिए और समाज में उन्हें उनकी असल जगह देनी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं के लिंग अनुपात को ठीक करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं और नारियों के उत्थान के लिए बहुत से काम शुरु किए हैं । अगर किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो उस लड़की के मां-बाप को 5000 रुपए देने का प्रस्ताव किया है । इसके साथ ही एक इन्दिरा गांधी शगुन योजना के तहत 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी यह बहुत ही सराहरणीय कदम है । इन सब चीजों के वजह से बच्चियों के मां-बाप को बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी शादी के लिए उन पर किसी भी प्रकार का जोर नहीं आएगा और इसके लिए सरकार उनकी मदद भी करती रहेगी । उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सरकारी कर्मधारियों को भी लड़की की शादी के लिए पहले 30 हजार रुपए की राशि वितरित की जाती थी उसको भी इस सरकार ने बढ़ाकर एक लाख रुपया कर दिया है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस सरकार ने लड़कियों के लिंग भेद अनुपात को समाप्त करने के लिए शिक्षा के महकमें में 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया है यह जो 33 प्रतिशत का आरक्षण है, यह सचमुच में बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और इसको देखते हुए दूसरे राज्यों में भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे । उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार का यह पाथ ब्रेक कदम हैं । हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन करती हैं । जहां पर भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, वह महिलाओं को प्रोत्साहन देती हैं जहां पर भी महिलाओं के उत्थान की बात होती है वे सबसे पहले उनके उत्थान के लिए कदम बढ़ाती हैं और शायद इसी का नतीजा है कि आज हमारे सदन में इतनी सारी महिलाएं विधायक बनाकर आयी हैं। पिछली सरकार में यह नहीं था। इसलिए मैं कांग्रेस सरकार को बधाई दूंगी और अपनी पार्टी को जिसने इतनी टिकटें महिलाओं को दी । आज काफी महिलाएं बढ़ चढ़ कर सदन की कारवाई में हिस्सा ले रही हैं । मैं यह कहना चाहती हूं कि जहां पर महिलाएं हैं वहां पर हमेशा काम ईमानदारी से होता है तथा पारदर्शिता के साथ काम होता है । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने महिलाओं की प्रगति के लिए जो महिला सहकारी विकास बैंक नाम की योजना शुरु की है उससे और भी महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि बैंक का सारा मैनेजमैंट उन्हीं के हाथ में होगा । खास तौर से जो गरीब महिलाएं हैं और जो माता बनने वाली हैं उनको सुरक्षित डिलीवरी केन्द्र की सुविधा भी सरकार प्रदान करवा रही है इस तरह के तीन सौ केन्द्र बनाये जाएंगे । प्रसूति गृहों को बनाने की योजना बनायी गयी है इससे भी महिलाओं को बहुत फायदा पहुंचेगा । हमारे मुख्यमंत्री जी और भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि कल उन्होंने शौचालय बनाने के बारे में अनाउंस किया था । कई हमारे माननीय सदस्यों जैसे सुरजेवाला जी ने सदन में शौचालयों को बनाने का सवाल उठाया था और कहा था कि आज भी महिलाओं के

लिए शौचालय नहीं है, यह बडे दुख की बात है । I don't think there can be any more cruelty to human being more than this, that women have to go in dark to answer to natural call. कल मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है और कहा है कि गांव-गांव के अंदर शौचालय बनाए जाएंगे। मैं इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं और उनको बहुत बधाई भी देती हूं कि उन्होंने महिलाओं के इस दुख: की तरफ ध्यान दिया है जो कि आज बहुत ही बेसिक अमेनिटी है जिसके बिना शायद Civilized Human being can not exist. हैरानगी की बात यह है कि आज तक हरियाणा के अंदर महिलाएं इस सुविधा से वंचित रही हैं और अपना गुजारा करती आयी हैं। अध्यक्ष महोदय, हम कितने भी कानून पास कर लें, हम कितनी भी योजनाएं बना लें, अगर उन योजनाओं के बारे में पब्लिक अवेयरनैस नहीं होगी तो वे योजनाएं सारी विफल हो जाएंगी और वे कभी कामयाब नहीं होंगी । सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी है और बहुत सारे प्रोग्राम भी चले हुए हैं जिनके तहत अवेयरनैस लायी जा रही है । मैं कहना चाहूंगी कि खास तौर से इस बारे में अलग से प्रोग्राम शुरु किया जाए जिसके तहत इस बारे में दर्शाया जाए। चाहे ये प्रोग्राम पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से चलाया जाय या किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से चलाया जाय लेकिन इस बारे में प्रोग्राम जरूर चलाया जाना चाहिए और इसमें इस बारे में बात स्पष्ट की जानी चाहिए । गांव-गांव में ये अवेयरनैस प्रोग्राम चलाएं जाने चाहिएं । मैं सारे सदन से एक बात कहना चाहूंगी । सारे सदन में मेरे भाई बैठे हुए हैं मेरे कुलिग्ज बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी और हमारा भी यह दायित्व बनता है कि लोगों में अवेयरनैस लाएं । जितने विधायक है, जितने सांसद हैं, जितने गांवों के सरपंच या पंच लोग हैं उनको भी इस बारे में हिदायत दी जानी चाहिएं कि वे अपनी तरफ से अपने -अपने हल्कों के अंदर इस तरह का जनसम्पर्क प्रोग्राम चलाएं और इस बारे में अवेयरनैस फैलाएं। जनता को भी इसमें शामिल करें ताकि जनता को इस बारे में पता चले कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को आगे लाना है । बेटियां तो बेटों के बराबर है और मैं तो यह समझती हूं कि वे बेटों से भी आगे हैं । स्पीकर सर, हमने यह मैसेज पहचाना है कि बेटी और बेटा दोनों बराबर हैं । सबसे जरुरी बात तो यह है कि हम सबको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप वाईड अप करें ।

श्रीमती किरण चौधरी : सर, मैं वाईड अप ही कर रही हूं । मैं एक सुझाव रखना चाहूंगी और सरकार से आग्रह करूंगी कि जिस तरह प्लस पोलियों के बारे में प्रोग्राम चलाएं जाते हैं उसी तरह परिवार नियोजन के लिए भी एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया जाए और परिवार नियोजन के ऊपर कार्य किया जाए । उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्वाइंट के बारे में कहना चाहूंगी कि हमने अपने ऐक्ट के अंदर जो अमैंडमैंट की है वह सचमुच बहुत सराहनीय है । मेरे से पहले बोलते हुए शिव शंकर भारद्वाज जी ने पांच प्रावधान पढ़कर बताए जिन प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी लेकिन इसके अंदर एक बड़ा लैकुना है जिसे भारद्वाज जी ओवरलुक कर गए क्योंकि खुद भी डॉक्टर हैं और मैं इसे बहुत जरूरी चीज समझती हूं । हर दोषी पर तीन वर्ष का कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है । दोबारा दोषी होने पर 5 साल की सजा व 1 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के विरुद्ध खाली प्रशासनिक कार्यवाही चलेगी । डॉक्टर इसका जानकार है । डॉक्टर एक शिक्षक की भांति है उसको पता है कि इसके नतीजे क्या हो सकते हैं उसी डॉक्टर के खिलाफ इतनी थोड़ी सी कार्यवाही की बात कही गई है ।

[श्रीमती किरण चौधरी]

मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि एक और अमैंडमैंट इसमें कराई जाए इसके अंदर इतनी सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि यदि डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे ऐसी और कार्यवाही करते रहेंगे और अपनी रिपोर्ट भेजते रहेंगे इसी तरीके से काम आगे चलता रहेगा और खत्म नहीं होगा । मैं समझती हूं कि ज्यादा से ज्यादा सख्ती से और 5 वर्ष की सजा दी जाए और उसके ऊपर जुर्माना इतना मोटा ठोका जाए कि अगली बार वह इस धंधे में दखल देने की कोशिश भी न करे । हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है इस समस्या का समाधान हम सबने मिलकर करना है इसलिए जब तक हम सब की नीयत साफ नहीं होगी तब तक यह नहीं हो पाएगा । केवल बोल बोल देने से या लिप्स सर्विस देने से यह काम पूरा नहीं हो सकता । माननीय हुड्डा साहब की सरकार इस बारे में वचनबद्ध है और इस लिंग अनुपात के असंतुलन को ठीक कराया जाएगा, उसकी तरफ कार्रवाई की जाएगी । पिछली बार चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी इलैक्शन में वोट मांगने गए थे उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा एक सपोर्टर मुझे वोट देने के लिए तैयार नहीं है वह कहता है कि मैं वोट उसको दूंगा जो मेरा ब्याह करा दे । उसने कहा चौटाला साहब ने मेरा ब्याह कराने की हां भर ली है । यही हालात रहे तो अगली बार हम भी पांच साल बाद जब वोट मांगने जाएंगे तो हमारे वोटर यही कहेंगे कि हमारा ब्याह करा दो तभी वोट देंगे । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेती हूं ।

कुमारी शारदा राठौर (बल्लभगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. शिवशंकर भारद्वाज जी ने जो प्रस्ताव इस सदन में रखा है मैं उसका अनुमोदन करती हूं लिंग अनुपात के अन्तर से एक बहुत भयंकर व भयावह स्थिति आज हमारे हरियाणा प्रदेश में पैदा हो गई है । लिंग अनुपात में एक इतना बड़ा अंतर व असंतुलन पैदा हो गया है जो कि हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ है और हमारे समाज के ताने-बाने को भी यह छिन्न-भिन्न करती है । हमारे तो शास्त्रों में भी जब भगवान का नाम लेते हैं तो महिलाओं को सबसे आगे रखा जाता है । जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमेशा सीता राम, और राधा-कृष्ण का नाम पुकारा जाता है । यहां भी महिलाओं को पहले ही पुकारा जाता है और पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है । परन्तु बड़े अफसोस की बात है कि जिसे अर्धांगिनी कहा जाता है जिसका नाम पुरुष से पहले लिया जाता है आज उसकी पैदा होने से पहले ही कोख में ही हत्या कर दी जाती है । उस फूल को खिलने नहीं दिया जाता जो कली के रूप होता है अक्सर यह देखा जाता है बेटों में मॉ-बाप का ध्यान रखने की परवाह नहीं होती । जब पिता काफी समय के बाद घर में आता है तो बेटा भागकर पानी लेकर नहीं आता । कभी बेटा भागकर चाय बनाकर नहीं लाता। हमेशा बेटी भागकर आती है और पिता से लिपटकर हाल पूछती है उसके लिए पानी लेकर आती है, उसके लिए चाय बनाकर लेकर आती है । पिता की दिन भर की थकान उस बेटी के प्यार से और बोली से पल भर में दूर हो जाती है । यह सोचनीय विषय है कि नारी को हमेशा ही पुरुष से नीचे क्यों समझा गया है । प्राचीन काल से ही हमारा पुरुष प्रधान समाज नारी के लिए हीन भावना पैदा करता रहता है । यहां तक कि हमारे ग्रन्थों में भी आया है और कई जगह नारी को नीचे दिखाया है और यहां तक कि महाकवि तुलसी दास ने भी एक जगह लिखा है कि ढोल,गंवार, पशु,शूद्र, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी । यह कभी सोच हुआ करती थी लेकिन अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं । हमें सीख लेनी चाहिए कि यूरोपियन कन्ट्रीज के देशों में जो विकसित देश हैं वे विकसित क्यों हुए क्योंकि उन्होंने अपनी आधी आबादी को जो नारियां और महिलाएं हैं उनको

कभी पीछे नहीं रखा वहां पर 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है यूरोप की महिलाएं पुरुषों से कन्धे से कन्धे मिलाकर काम करती हैं और उनके हर कार्य में उनकी बराबर की हिस्सेदारी होती है इसलिए वे लोग विकसित हैं और हम अब भी विकासशील हैं हमें विकसित होना होगा और हमें अपनी आधी आबादी को पूरा सम्मान देना पड़ेगा । उन्हें अपने बराबर समझना पड़ेगा तभी इस देश का विकास संभव है । जैसा कि किरण चौधरी जी ने बताया कि आज प्रति हजार लड़कों के पीछे 823 लड़कियां हैं । आज यह विषम स्थिति हो गई है । मैं अपने जिले की बात करती हूं । हमारे यहां लड़कों की शादी के लिए बिहार से या बंगाल से लड़कियां लाई जाती हैं । इससे कम से कम यह फायदा तो हो गया है कि अब जाति प्रथा का प्रचलन खत्म हो रहा है और अन्तर्जातीय विवाह होने लगे हैं क्योंकि अपने प्रदेश में लड़कियां मिलती नहीं । इसके साथ-साथ दूसरी कुरीतियां भी जन्म ले रही हैं बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं और महिलाओं की खरीद-फरोख्त होती है । कुछ लोग सन्तान उत्पत्ति के लिए किराए की मां ला रहे हैं । उनकी किराए की कोख लेते हैं और महिलाओं को किराए पर लाते हैं । वे बच्चा पैदा करवाने के बाद उनसे पशुओं जैसा बर्ताव करते हैं और उन्हें पशुओं के तबेले में छोड़ दिया जाता है । उनके जीने-मरने की, उनकी रोजी-रोटी की और उनके गुजर-बसर की जिम्मेवारी को वो परिवार नहीं लेते जो उन महिलाओं से अपना नाम चलाने के लिए, अपना वंश चलाने के लिए बच्चे पैदा करवाते हैं । आज यौन शोषण का शिकार महिलाएं हो रही हैं । जगह-जगह पर हिंसा हो रही है । उन महिलाओं के साथ जो बेटियां पैदा करती हैं और जिन के बेटा नहीं होता उनके परिवार के लोग और उनकी ससुराल के लोग उन्हें दिन भर जीने नहीं देते । उन्हें तरह-तरह की बातें सुनाते रहते हैं और समय-समय पर उनके साथ हिंसा भी करते रहते हैं, उनके साथ मार पीट करते रहते हैं ऐसी महिलाओं के साथ दहेज की भी प्रोब्लम है जो महिलाएं लड़का पैदा नहीं कर पाती उनके मां बाप को, उनके मायके वालों को तंग किया जाता है और बार-बार दहेज लाने के लिए बाध्य किया जाता है । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस समस्या से निजात के लिए तरह-तरह की योजनाएं बनाई हैं । आते ही सरकार ने लड़कियों की पैदाइश को बढ़ावा देने के लिए दूसरी लड़की पैदा होने पर 500 रुपये प्रति माह 5 साल तक लड़की के परिवार को देने की प्रोत्साहन योजना शुरु की है । जिनके परिवार में एक ही बेटी है उनको भी पैंशन देने की योजना बनाई गई है । इन्दिरा गांधी विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति और गरीबी रेखा से नीचे के घरों की लड़कियों को विवाह के समय जो पहले 5100 रुपये दिए जाते थे उसको बढ़ाकर 15000 रुपये किया गया है । महिला सहकारी विकास बैंक खोलने की घोषणा की गई है जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा । अभी 13 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गई है उसमें 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है इससे हमारी बालिकाओं और महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा । खास तौर से स्वर्गीय राजीव गांधी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें आज मौका दिया है कि आज हम जैसी महिलाएं भी विधान सभा तक पहुंची है । मैं बहुत सी महिला विधायकों को जानती हूं जो सीधे तरह कोई स्थानीय निकायों से चुनकर आई हैं जैसा कोई जिला पार्षद की चैयरमैन बनी । मैं भी आरक्षण के तहत नगर निगम की पार्षद बनी और आज जिसका नतीजा यह है कि मैं यहां विधान सभा तक पहुंची । हमें स्वर्गीय राजीव जी का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने पंचायती राज के तहत महिलाओं को आरक्षण दिया । इससे महिलाओं का मान-सम्मान बढ़ा है, हमारी आज पूछ हुई है और लोग हमें पूछते हैं । आज महिलाओं की आवाज उठाने का हमें अधिकार है । हमें सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करना चाहिए जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए

[श्री रणधीर सिंह सुरजेवाला]

33 प्रतिशत आरक्षण करने के लिए कटिबद्ध है और उन्होंने इसके लिए कई बार पहल भी की कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए क्योंकि जब तक उन्हें राजनैतिक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक वे सामाजिक, शैक्षणिक, और आर्थिक अधिकारों से वंचित रहेगी । इसके लिए हमें तथा अपनी पार्टी को सोनिया जी का धन्यवाद करना चाहिए । मैं जब महिला अधिकारियों को देखती हूं तो मैंने पुरुष अधिकारियों के मुकाबले में महिलाएं ज्यादा योग्य पाई है । कोई महिला अधिकारी भ्रष्ट नहीं पाई गई है, जितने भी भ्रष्टाचार के मुकदमें होते हैं, गबन के केस होते हैं या राजनेताओं से सम्बन्धित बातें हों उनमें महिलाओं के नाम न के बराबर होते हैं। पुरुषों का नाम ही भ्रष्टाचार के मामले में आता है। जब-जब भी महिलाओं को मौका मिला तब-तब महिलाओं ने अपनी योग्यता को साबित किया है और प्राचीन काल से ही महिलाएं अपनी योग्यताएं साबित करती आई हैं ।

प्रो० छतर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर ये किसी को जैण्डर के आधार पर करप्ट या फेवर कह रही हैं तो ठीक नहीं है ।

कुमारी शारदा राठौर : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कम्पैरीजन किया है, मैंने तो तुलना की है और कोई बात नहीं की । अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करूंगी कि जिन्होंने PNDT एक्ट को और अधिक तर्कसंगत बनाया है । मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इन मामलों से संबंधित किसी भी अपराधी को नहीं बख्शना चाहिए । इस मामले में यदि हम कानून को और सख्त बना सकते हैं तो बनाना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि हमारी सरकार ने सबको साथ लेकर चलने का निर्णय लिया है और उसमें सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को भी जोड़ा है मैं तो यह कहना चाहूंगी कि हमें डाक्यूमैंट्री फिल्में बनाकर अपने गांवों में, कालोनियों में तथा उन क्षेत्रों में दिखानी चाहिए जहां जागृति की कमी है । जहां हम लिंग अनुपात समानता के लिए शिक्षा दे रहे हैं उसके साथ-साथ सेमीनार्ज और नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन करना चाहिए । सभी सदस्यों को भी यह निर्णय लेना चाहिए कि जब भी हम किसी मंच पर हों इस बात की चर्चा अवश्य करें कि इस सामाजिक बुराई को हमें कैसे दूर करना है । इसके अतिरिक्त इससे संबंधित साहित्य और पुस्तकें लोगों को उपलब्ध कराई जानी चाहिएं ताकि इस भयानक कुरीति को दूर किया जा सके । इसके अतिरिक्त मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि लड़कियों के लिए नौकरी में, चाहे अध्यापकों की हो या दूसरी नौकरी हो, रिजर्वेशन किया जाना चाहिए कि इतनी प्रतिशत नौकरियां महिलाओं के लिए हैं । इसके अतिरिक्त कानूनी अधिकारों को भी महिलाओं के प्रति और ज्यादा लिबरल करना चाहिए और महिलाओं के प्रति जो बड़े अपराध हैं उनसे संबंधित कानून ज्यादा से ज्यादा सख्त बनाने चाहिएं । उपाध्यक्ष महोदय, इस सामाजिक कुरीति को बदलने के लिए कोई एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है यह सामूहिक जिम्मेवारी है और सामाजिक सोच को बदलने की आवश्यकता है । हमें लोगों की जो पुरानी बीमार मानसिकता है उसको चुस्त-दुरूस्त करना होगा । मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहूंगी कि उन्हें अब आगे आना होगा और अपनी मदद स्वयं करनी पड़ेगी क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं की रक्षा कर सकती हैं। हमारे घरों में जो लड़कियां पैदा हो रही हैं उन बच्चियों का लालन-पालन हमें ही ठीक तरह से करना होगा । उनकी शिक्षा की तरफ भी हमें ही ध्यान देना होगा । इस तरह की जिम्मेवारी हमें खुद उठानी हैं तभी जाकर महिलाओं की दशा में सुधार होगा । अगर कहीं पुरुष इसका विरोध करते हैं या कहीं कोई और कमी आती है या जहां बच्चियां कुपोषण का शिकार हों वहां महिलाओं

को सख्ती के साथ अपनी बच्चियों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए । इसके अतिरिक्त जिन महिलाओं को भ्रूण हत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है उनको भी सख्ती से पेश आना चाहिए कि हम अपनी बेटी की कोख में हत्या नहीं करेंगी बल्कि उसको जन्म देंगी । इसी देश में मारिया,गारगी, मैत्री जैसी विद्वान महिलाएं पैदा हुई हैं जो राज दरबारों में विद्ववानों और महापुरुषों के साथ बैठकर तर्क-वितर्क किया करती थीं। इसी देश में झांसी की रानी, रज़िया सुल्तान जैसी महिलाएं पैदा हुई हैं । इसी देश में श्रीमती इंदिरा गांधी, कल्पना चावला जैसी महिलाएं भी पैदा हुई जिन्होंने देश में, विदेश में हमारा नाम रोशन किया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि हम सबको मिलकर इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए और इस बुराई को पैदा करने वाले जो मेन कारण हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए । इसके इलावा निरक्षरता और दहेज जैसी समस्याओं को भी दूर करने के लिए हमें आगे आना होगा क्योंकि दहेज की बुराई के कारण महिलाओं के सम्मान में कमी हुई हैं और भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां पैदा हुई हैं । हमें शिक्षा को भी बढ़ावा देना होगा ताकि जो अनपढ़ लोग हैं वे यह जान सकें कि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है । यह वे तभी जान पायेंगे जब वे शिक्षित होंगे । अंत में मैं यह निवेदन करुंगी कि हम सब इस प्रस्ताव का अनुमोदन करके यह संकल्प लेकर जायें कि हमेशा हमें इस बुराई को दूर करने के लिए आवाज उठानी है । मैं कहना चाहूंगी कि-

ऐ माओ, बहनों, बेटियों दुनिया की जन्नत तुम से है,

कौमों की इज्जत तुम से हैं, हम सबकी रौनक तुम से है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेती हूं।

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भ्रूण हत्या या सैक्स रेशों में जो गिरावट आई है उसके बारे में संक्षिप्त में अपने विचार आपके रुबरु रखना चाहूंगा । मुझे यहां पर यह कहना है कि हालांकि इस समाज में इस देश में औरतों की आबादी 50% है । (विघ्न)

श्रीमती प्रसन्नी देवी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है । मेरा यह कहना है कि हम औरतें इस विषय के ऊपर बेहतर ढंग से बता सकती हैं लेकिन हमारे साथ यहां भी अन्याय हो रहा है और हममें फर्क दिखाया जा रहा है । यहां पर भी पुरुष ही प्रधान हैं । आप इस विषय में कम से कम महिलाओं को तो बोलने के लिए टाईम दें ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तक तो इस विषय पर महिलाएं ही बोली हैं आपको भी बोलने के लिए टाईम दिया जाएगा इसलिए आप अभी बैठें ।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बहिन जी जो कह रही हैं यह सही नहीं है क्योंकि यह जो रैजोल्यूशन इस समय विचाराधीन है यह भी एक मेल ही लेकर आए हैं इसमें सैक्स की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मैम्बर्ज से कहना चाहूंगा और रिक्वैस्ट करुंगा कि माननीय साथी इस विषय पर बोलने के लिए मुझे पांच मिनट का समय दें और जो बीच में विचारगोष्ठी चल रही है मेहरबानी करके इसे बन्द कर दें । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि यह ऐसा सवाल है,एक ऐसा ईशु है कि इसके बारे में फौरन गहन विचार करने की बड़ी जरुरत है और इस बारे में कोई कठोर फैसला लेने की बहुत

[श्री एस०एस० सुरजेवाला]

जरूरत है । अगर इस विषय के विभिन्न पहलुओं की तरफ देखें तो मैं इसे स्त्री से ही शुरु करता हूं । भ्रूण हत्या के लिए जो सब से ज्यादा उत्सुकता दिखाती है, भ्रूण हत्या के लिए उकसाती है, दबाव डालती है और मदद करती है वह महिला ही है । आदमी भी इसमें बराबर का गिल्टी है, मैं पुरुष को एग्ज़ोनरेट नहीं करता लेकिन सास का जो रोल है, बहन का जो रोल है उस बारे में कहना चाहूंगा कि वे हमारे समाज में बजाए इसके कि शहद घोलें, ये समाज की जिन्दगी में, महिलाओं और लड़कियों की जिन्दगी में जहर घोलती हैं और महिलाएं समाज के प्रति विरोधी हैं इसलिए मैं अपनी बात यहीं से शुरु करता हूं । कृपा कर के महिलाओं को तो खुद इसके लिए आगे आना चाहिए । कम से कम महिलाओं को तो खुद ही इस स्थिति पर तथा महिलाओं पर रहम करना चाहिए जो अपनी जाति को, अपनी बिरादरी को खुद ही भ्रष्ट करने में सबसे बड़ा और अग्रणी रोल अदा करती है । दूसरे मैं यह कहना चाहूंगा कि जो यह कहते हैं कि गरीबी और समाज में पिछड़ेपन की वजह से ऐसा होता है वह सही नहीं है, इसमें भी एक बड़ी विसंगति है । गरीब से गरीब लोग ही यह तरीका नहीं अपनाते हैं जो अमीर लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, साहूकार, खूब पढ़े लिखे और हर प्रकार से जागरूक लोग हैं वे भी इस मानसिकता के शिकार हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहूंगा । यूनाईटिड नेशन्ज़ ने राजस्थान के बारे में एक सर्वेक्षण करवाया है । इस सर्वेक्षण की चार लाईने मैं यहां पर पढ़ कर सुनाता हूं । श्रीमती एण्ड श्री रवि पत्नी का नाम जानबूझ कर नहीं लिखा की तीन सन्तानें हैं । सबसे बड़ी बेटी 23 साल की है, दूसरी बेटी की आयु 21 साल है और 10 वर्ष का एक पुत्र है । अपने पुत्र को जन्म देने से पहले श्रीमती रवि ने नौ बार लिंग निर्धारण परीक्षा करवाई और अपने पुत्र को जन्म देने के पहले आठ बार उसने गर्भपात करवाया । अपने पुत्र को जन्म देने के दो दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई । (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, पुत्र को जन्म देने से पहले डॉक्टर ने उसे गर्भधारण से मना किया था क्योंकि इससे उसके जीवन को खतरा हो सकता था । अध्यक्ष महोदय, अगली लाईन काबिले गौर है । मिस्टर रवि बहुराष्ट्रीय कम्पनी में एग्जिक्युटिव आफिसर है और स्वर्गीय श्रीमती रवि एक पब्लिक स्कूल में शिक्षिका हैं । क्या यह बैकवर्डनैस की बात है, क्या यह गरीबी की बात है ? पति अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी में एग्जिक्युटिव आफिसर और बीवी पब्लिक स्कूल की टीचर हैं और उन्होंने लड़कियों को जन्म देने से रोकने के लिए आठ-आठ बार गर्भपात करवाया । (विघ्न) डॉक्टर साहब, हम आपका बड़ा आदर करते हैं । आप यह रैजोल्यूशन ले कर आए है उसके लिए मुझे बड़ा सख्त ऐतराज है । माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में हैं । मैं इनसे यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि इस बारे में जो ऐक्ट बनाया गया है उस एक्ट में सबसे बड़ी खामी यह है कि उस स्त्री को, उसके पति को या उकसाने वाले को पहली बार तीन साल की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना है । दूसरी बार के लिए 5 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है लेकिन डॉक्टर को एक दिन की भी सजा नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि वह डॉक्टर जिसने 100 लड़कियों को जान से मारा या 200 लड़कियों को जान से मारा, उस डॉक्टर को तो उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए। उसका सारा सामान, उसका क्लीनिक और उसकी सभी मशीनें जब्त होनी चाहिएं । (विघ्न) डाक्टर साहब, आपने जो रैजोल्यूशन दिया है क्या आप उसको वापिस लेते हैं ? (विघ्न)

Mr. Speaker : Please take your seat, Bhardwaj ji. you are not involved in it.

डा० शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, डाक्टर के मना करने के बावजूद गर्भपात करवाया जाता है । डाक्टर के दृष्टिकोण से तो ठीक सलाह दी जाती है । आपका डाक्टरों की तरफ इस तरह का दृष्टिकोण ठीक नहीं है ।

Mr. Speaker : Bhardwaj ji, Doctor is always a party, (Interruptions). Nothing can be done without participation of the doctor. Doctor is a principal man in such cases. (Interruptions). Please take your seat. You are not involved in it. Why you are taking it so seriously.

श्री एस० एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं डाक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि वे यह प्रस्ताव क्यों लेकर आए हैं ? (विघ्न) स्पीकर, सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले पांच-छः सालों से हरियाणा में लड़कियों की रेशो बहुत ही नीचे गिरी है और यह रेशो और भी नीचे की ओर जा रही है जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है । इसके सामाजिक कारण है । हरियाणा में जात-पात, गोत का बहुत ही वर्चस्व है । यह सब पिछड़ेपन का कारण हैं । यहां पर आज भी औरत को पैरों की जूती समझा जाता है । आदमी रोज रात को शराब पीकर आता है, चौपालों में बैठा हुक्का पीता रहता है, ताश खेलता रहता है और घर के बर्तन आदि तोड़ता है । स्पीकर सर, यह घर-घर की कहानी है । हमें सब को मिलकर इस प्रथा को बदलना पड़ेगा । यह केवल प्रचार करने से नहीं बदलेगा बल्कि इसके लिए हमें सख्त कानून बनाना पड़ेगा । आज हमारे यहां पर अगर कोई गोत्र में शादी कर लेता है तो उसको पंचायतों में बुलाकर सजा दी जाती है और तो और मां बाप ही उनका कत्ल कर देते हैं । स्पीकर सर, ऐसी हमारे लोकदल पार्टी की मानसिकता है कि वे आदमियों को औरतों के खिलाफ करते हैं, जात-पात को बढ़ावा देते हैं, परिवारवाद में विश्वास करते हैं । (विघ्न) स्पीकर सर, हमारे कुरुक्षेत्र में एक हजार लड़कों के पीछे 770 लड़कियां हैं । बाकी के हरियाणा में भी कमोवेश यही हाल है । लड़कियों के अनुपात में हरियाणा सभी राज्यों में सबसे नीचे आता है । यह केवल इनैलो की मानसिकता के कारण है जो केवल जात-पात के आधार पर पार्टी बनाते हैं, परिवार की सरकार बनाते हैं और औरतों को प्रताड़ित करते हैं । (विघ्न) स्पीकर सर, मैंने यह राजनैतिक बात नहीं कही है । मैं यह सब बहुत ही दुखी मन से कह रहा हूं और बहुत ही भरे हुए हृदय से कह रहा हूं । मैंने महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में 7-8 साल पहले भी पार्लियामैंट में भी कहा था । अगर हमें वाकई में महिलाओं के लिए कुछ करना है तो एग्रीकल्चरल लैंड का मालिक कोई आदमी नहीं बल्कि औरत होनी चाहिए । खेती तो औरतें ही करती है । आदमी तो सारा दिन हुक्का पीता रहता है, ताश खेलता रहता है, शराब पीता है और घर के बर्तन तोड़ता है । (विघ्न) स्पीकर सर, मेरा तो यह भी कहना है कि जब कोई लड़की शादी करके आती है तो एग्रीकल्चर लैंड और सारी प्रापर्टी लड़के के नाम से हटाकर लड़की के नाम पर हो जानी चाहिए । अगर ऐसा होगा तो ही औरतों की इज्जत होगी । (विघ्न) मेरी बहन करतार देवी जी कहती हैं कि पहले आप उदाहरण दें । अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता हूं । मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि मेरी जो ऐग्रीकल्चर जमीन मेरे बाप दादा से मुझे मिली थी उसकी मालिक मेरी पत्नी है । वही सारा पैसा रखती है, वही खेती करवाती है और वही मालिक है । (विघ्न) जमाबंदी में, गिरदावरी में, इंतकाल में उनका नाम है । (विघ्न)

Mr. Speaker: The seniormost member of the House is speaking. Please keep quite.

श्री एस० एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूं । मेरी दो बेटियां हैं । 1958 के दशक में जब हरियाणा पिछड़ा हुआ था, उनको उस समय भी मैंने प्राईमरी स्कूल, नरवाना में दाखिल नहीं करवाया था बल्कि उन्होने सोफिया कान्वैंट स्कूल से ही मैट्रिक की और फिर जी०सी०डब्ल्यू० स्कूल से उन्होंने ग्रेज्यूएशन किया । मेरा बेटा पहले गांव के तप्पड़ स्कूल में पढ़ा, फिर डी०ए०वी० नरवाना में पढ़ा और फिर डी०ए०वी०स्कूल चण्डीगढ़ में पढ़ा ।

वित्त मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इनके पास एक ही लड़का था इसलिए इन्होंने उसको अपने साथ रखकर ही पढ़ाया ।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है । स्पीकर सर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि गांवों में जाति - पाति का वर्चस्व, गोत-नात की बात रहती है । जब लोकदल का राज आता है तो ये इस तरह के वाकये होते हैं । कांग्रेस के राज में इस तरह की बात नहीं होती हैं क्योंकि कांग्रेस टकराव नहीं बढ़वाती है । लोकदल वाले टकराव बढ़वाते हैं, औरतों पर अत्याचार करते हैं और जात-पात की राजनीति करते हैं । यह इनकी सोच है इनकी मानसिकता है । अध्यक्ष महोदय, मैं कोई राजनैतिक बात नहीं कर रहा हूं मैं दुःख के साथ कहने लग रहा हूं ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, आप अगर न पूछें तो क्या आपका गुजारा नहीं होता ?

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अभी बताया कि लोकदल के राज में यह कमी थी । मैं चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं कि लोकदल के राज में कौन सी कमी नहीं थी?

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पंडित बोलेगा तो ज्ञान की ही बात कहेगा । इधर वालों की तरह से बिटोड़े से गोसे थोड़े ही निकालेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ऐक्ट में तरमीम करके डाक्टर को उम्र कैद और फांसी की सजा करना अनिवार्य है । जिन्होंने एक कत्ल किया होता है उनको भी फांसी तो यह डाक्टर तो सौ सौ दो दो सौ कत्ल करने लग रहे हैं । एक बार चोरी करने वाला भी पकड़ा जाता है तो चोर कहलाता है इन्होंने तो पचासों बार चोरी कर ली । ये काम ही वही करने लग रहे हैं । इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर डाक्टर इस तरह का काम करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको पूरी सजा दो । उसकी इस तरह की सारी मशीनें जब्त करना बहुत जरूरी है नहीं तो डाक्टर का लाईसैंस सस्पैंड होने के बाद उसका कम्पाउंडर यह काम करने लगेगा । इसलिए यह प्रावधान होना बहुत जरूरी है । समाज के अंदर औरतों का सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है । बाप की जमीन पर लड़कियों का हक है उनके लिए कानून है । लेकिन अभी तक इसमें कमी है अभी तक एक भी लड़की के नाम जमीन का वाकई नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मुझे समय देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी (नौलथा) : स्पीकर सर, डाक्टर भारद्वाज ने जो रैजोल्यूशन हाउस के सामने रखा है मैं उससे सहमत हूं और सदन में एक बात कहना चाहती हूं । मेरे से पहले बोलते हुए मेरी बहनों ने और सुरजेवाला जी ने अपने अलग अलग विचार रखें । सुरजेवाला जी ने यहां तक कहा कि इसकी जिम्मेवार महिला है लेकिन ये इस बात को भूल जाते हैं कि महिलाओं को कई तरह की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं । अगर उसके बेटी ही बेटी पैदा होंगी तो या तो उसको अपनी

जान खोनी पड़ेगी या फिर उसको पति की दूसरी शादी करवाने के लिए मजबूर किया जाएगा । महिलाएं कभी भी बच्चों में फर्क नहीं करती । उसके पेट से जो भी बच्चा पैदा होता है उसको औरत ही समझ सकती है उसके लिए बेटा और बेटी दोनों ही प्यारे होते हैं । अध्यक्ष महोदय, दिन पर दिन कानून जितने बनते जा रहे हैं जितनी हमें सहूलियतें मिलती जा रही है, उतना ही हमारा समाज उल्टा होता जा रहा है । केवल लड़की को ही गलत माना जाता है लड़का कहीं पर भी बीच में नहीं आता ।

मैंने अपने पहले इलैक्शन में ऐसा समय देखा है, जब मैं चौपाल में नहीं जा सकती थी क्योंकि उन दिनों पर्दा खोलकर चौपाल पर आने में ऐतराज होता था । आज भी जो लेडीज सरपंच या पंच चुनी जाती हैं चाहे जिला परिषद की चेयरमैन हो या ब्लॉक समिति की चेयरमैन हों उनका होता क्या है कि कोई पूछता है कि फलां गांव की पंच कौन है तो उस महिला का नाम नहीं लिया जाता बल्कि उसके पति का नाम लिया जाता है। जैसे मान लो कोई शकुंतला सरपंच बनी है और शमशेर उसका घरवाला है तो शमशेर का ही नाम चलेगा उनके पति की जेब में उनकी मोहर होती है जबकि उनमें काम करने की हिम्मत भी है । मैं रिवाज की बात बताती हूं वैसे तो सारे देश में यही हाल है लेकिन खासकर हरियाणा में तो किसी भी महिला को सरपंच नहीं कहेंगे, उसके घरवाले को कहेंगे । आजकल अच्छी-अच्छी व पढ़ी-लिखी सरपंच और पंच आई हुई हैं और उनमें काम करने की हिम्मत भी है । प्राचीन इतिहास देख लो, आज का देख लो, जिस महिला को काम करने का मौका मिला वह पूरा काम करती है । बुग्गी जोड़ के बेचारी उसमें गोबर डाल के ले जाएगी और आते में उसमें घास डाल के ले आएगी । सब आदमी ताश खेलते रहते हैं और शाम को शराब पीकर घर आ जाते हैं । घर का और खेत का सारा काम महिलाएं करती हैं, सबको खाना खिलाती हैं, सबकी संभाल करती है । चाहे सामाजिक क्षेत्र में देख लो, चाहे सर्विसेज के क्षेत्र में देख लो, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहीं लेकिन सि सबके बावजूद जितनी दुखद हालत समाज में महिलाओं की है उतनी समाज के अंदर किसी और की नहीं है । मैं कांग्रेस पार्टी का आभार प्रकट करती हूं कि महात्मागांधी के समय से लेकर आज तक और राजीव गांधी जी के प्रयासों से पंचायती राज के द्वारा महिलाओं के लिए काफी सुविधायें आती रहीं । राजीव जी की मेहरबानी से कानून दुरुस्त करके उन्होंने तीसरा हिस्सा कानूनी तौर से पंचायतों में महिलाओं को दिया । इसके जरिए उनमें काफी जागृति आई । सिर्फ ये भाई लोग महिलाओं के काम में दखल देना बंद कर दें तो वह इतना अच्छा काम कर सकती है जिसका कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते । जब ये हमारे साथी सोनिया गांधी जी की आवाज सुनते हैं और पार्लियामैंट में जब तीसरा हिस्सा देने की बात चलती है तो इन भाइयों की नींद खत्म हो जाती है । वैसे होना तो आधा हिस्सा चाहिए । माफ करना जितने मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैंट हैं या विधान सभा के मैंबर हैं वे नहीं चाहते कि इतनी सीटें महिलाओं की बढ़ जाएं, दिल से कोई नहीं चाहता । अभी तक महिलाओं के बारे में समाज ने भी नहीं सोचा, नहीं तो पैदा होने से पहले लड़की की हत्या हो ही नहीं सकती थी । अकेली महिला कभी ऐसा नहीं कर सकती । महिला तो डर से अपने को बसाने के लिए या अपने को बचाने के लिए ये कदम उठाती है क्योंकि उस पर लड़का पैदा करने का प्रैशर होता है । (विघ्न)

श्रीमती अनीता यादव : स्पीकर, महिला के लिए ऐसी सिचुएशन कैसे पैदा हुई कि वह अपने को बचाने के लिए ऐसा करती हो ? (विघ्न)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

Mr. Speaker : Alright, please sit down.

श्रीमती प्रसन्नी देवी : मैं यह कह रही हूं कि अकेली महिला की कुछ बात नहीं है चाहे उसको 5 बार, 10 बार गर्भ गिराने की नौबत आए उसे गिराना पड़ता है, अपनी जान को कोई खोना नहीं चाहता । उसने जीना चाहा, समाज में रहना चाहा तो उसने ऐसा किया । पुराने जमाने में जब परिवार नियोजन के साधन नहीं होते थे तब 10-10, 9-9 लड़कियां पैदा होती चली जाती थी और तब तक होती चली जाती थी जब तक लड़का पैदा नहीं होता था। क्यों वे ये तकलीफ उठाती थी क्योंकि समाज इस चीज को पसंद नहीं करता था। मैं यह समझती हूं कि आज भी अगर भाई ये सोचकर चलें कि हमने महिलाओं को पूरा सम्मान देना है तो यह नौबत नहीं आ सकती। यह बात ठीक है कि बहन किरण ने कहा था एक की नौबत भी आएगी कि वोट के वक्त लोग कहेंगे कि वोट तब देंगे जब शादी कराओगे, तो ऐसी नौबत भी कभी न कभी आएगी । लड़कियों की तादाद जितनी घटती जाएगी उसने रेप के केस बढ़ते जाएंगे । इन चीजों को कोई नहीं देखता कि इससे महिला कितनी दुखी होती है । सरकारी तौर पर या कानूनी तौर पर कितने सदस्यों ने जो मेरे भाई यहां बैठे हैं मुझे बतायें कि अपनी बेटियों के नाम कितनी जायदाद और मकान करवायें हैं। कानून तो हमने बना दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अन्दर सर्विस के लिए तो 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए कर दिया यह बहुत ही अच्छी बात है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि अगर महिलाओं को मरने से बचाना है तो उन्हें बराबरी का हक देना होगा। अगर उनको समाज में जिन्दा रखना है तो 33 प्रतिशत की बजाए 50 प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए जिससे महिलाएं बेटी पैदा करने से डरेंगी नहीं क्योंकि उसको पता होगा कि चाहे उसके चार बेटियां हो जाएं उसको सर्विस तो मिल ही जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, फिर तो ऐसा कर देते हैं कि पांच साल तक सारी औरतों का राज हो जाए और 5 साल सारे आदमियों का राज हो जाए ।

वित्त मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : आन ए प्वायंट सर । अध्यक्ष महोदय, फिर तो एक बिल भी पास नहीं होगा ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : अध्यक्ष महोदय, यह इनका ख्याल है । जितनी एकता महिलाओं में है उतनी पुरुषों में नहीं है । मैं 22 साल तक हरियाणा स्टेट कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष रही हूं । मेरे एक टेलीफोन की कॉल पर सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाती थी । (शोर एंव व्यवधान) मैंने तो वह दिन भी देखे हैं जब वोट मांगने जाते थे तो गांव की चोपाल पर भी नहीं चढ़ने देते थे । हम नीचे ही प्रोग्राम करके चले आते थे और अगर किसी साथ लगते गांव, अपनी ससुराल का गांव नहीं, उससे साथ लगते गांव में अगर सभा में भाई और बहनों कह दिया तो बात बनाते थे कि ये तो अपने देवर जेठों को भी भाई साहब कहती है ।

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । जैसा कि यहां नोंक झोंक शुरु हो गई है इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती ।

Mr. Speaker : Parsanni ji, please wind up.

श्रीमती प्रसन्नी देवी : अध्यक्ष महोदय, अगर हम कानूनी तौर पर और सामाजिक तौर पर महिलाओं को सहूलियतें दें तो कोई भी महिला बेटी की मां बनने से डरेगी नहीं । अध्यक्ष महोदय,

कोई भी माँ अपनी संतान को मारने के लिए तैयार नहीं होती, यह तो उसकी मजबूरी होती है । मैं हाऊस से एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि अगर वाकई इस रेजोलूशन के जरिए कानूनी तौर पर इस बात को लाना चाहते हैं तो आप खुले दिल के साथ महिलाओं की मदद कीजिए, नहीं तो महिलाएँ यहां देखने को नहीं मिलेंगी और फिर समाज कहां से चलेगा ।

Mr. Speaker : Before partition of the country, there was a custom कि बंगाल से महिलाओं को खरीद कर लाते थे ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : अध्यक्ष महोदय, शास्त्रों में भी यह बात है कि महिला और पुरुष गाड़ी के दो पहिए हैं । समाज को इसके प्रति ध्यान देना चाहिए । आपने मुझे बोलने के समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद ।

श्रीमती गीता भुक्कल (कलायत, एस.सी.) : स्पीकर सर, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इस सदन में लिंग अनुपात में असंतुलन पर चर्चा चल रही है और यह एक गहरी चिन्ता का विषय है। महिला सशक्तिकरण का बोलबाला बड़े जोर शोर से सारे वर्ल्ड में शुरु हुआ है। दूसरे महिलाओं के बढ़ते हुए लिंग अनुपात की चिन्ता है। यह बहुत गहरी सोच का विषय है मैं कहना चाहती हूं कि जो भी इस विषय पर बहस हो, वह न केवल सैमीनार तक या इस हाल तक सीमित रहे बल्कि समाज के हर वर्ग, हर घर, हर परिवार और हर व्यक्ति तक जानी चाहिए। मैं सदन में एक बात कहना चाहूंगी कि वैसे तो महिलाओं, हमारी बच्चियों और लड़कियों के बारे में कोई सोचता नहीं लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब उनकी बहुत ज्यादा खोज की जाती है और वह दिन होते हैं नवरात्रों के दिन कन्याओं के चरण पूजने के लिए मोहल्ले में एक खोज शुरु हो जाती है कि किस-किस के घर लड़की है, लड़की ले आओ, इसने उनकी पूजा करनी है। मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह नवरात्रों में ये कन्याएं पूजनीय हैं उसी तरह उनकी हमेशा के लिए पूजा की जानी चाहिए । जिस तरह से भगवान शिव ने कहा था कि बिना शक्ति के वह शव के समान थे उसी तरह यह समाज भी बिना महिलाओं के शव के समान है । इसलिए उनको पूरा हिस्सा नहीं तो कम से कम बराबर का हिस्सा तो जरुर मिलना चाहिए। हमारी सरकार लिंगानूपात पर गहरी चिन्ता व्यक्त कर कर रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए पूर्व प्रजनन निदान तकनीक अधिनियम का 1994 में समुचित संशोधन किया गया है। कानून तो बहुत से बनते हैं लेकिन जरुरत है कि उनको सख्ती से इम्पलीमैंट किया जाए। जरुरत है कि हर कदम को सख्ती से लिया जाए । जिस तरह से हमारी सरकार ने इस पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है, यह वाकई में ही एक गम्भीर मसला है । हरियाणा के हिसाब से देखें तो हरियाणा में लिंगानूपात संसार के किसी भी सभ्य क्षेत्र में जहां जनगणना होती है उसमें सबसे कम है। यहां 1000 पुरुषों के मुकाबले में 861 महिलाएं हैं। आने वाली पीढ़ी में 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों में देखें तो यह संख्या केवल 819 रह जाती है। शहरी क्षेत्र में यह संख्या 808 है और ग्रामीण क्षेत्र में 823 है और यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात होती है, 1761 ऐसे गांव हैं जहां 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में लिंगानुपात 750 से भी कम है यानि 25 प्रतिशत से अधिक लड़कियों का अभाव है। 4168 गांव ऐसे हैं जहां 850 से भी नीचे लिंगानूपात है अर्थात 15 प्रतिशत लड़कियों का अभाव है। केवल 1570 ऐसे गांव हैं जहां 900 से अधिक लड़कियां है। यह लिंगानूपात गिरने का मूल कारण पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को उचित स्थान न मिलना है। आने वाले समय में कानून और व्यवस्था में, विशेषकर महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या बहुत बढ़ रही है। अंदेशा है कि जिस तरह से

[श्रीमती गीता भुक्कल]

लिंगानूपात में कमी आती जा रही है उसी तरह से अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी यहां चर्चा की गई खासतौर से ग्रामीण इलाकों में बहुत दिक्कत आ रही है यह सोचने और विचारणीय योग्य बात है कि जिन क्षेत्रों से हम आते हैं, वहां सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है क्योंकि शादियों के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है, लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं। बड़ा ही विचारणीय विषय है कि इसी तरह से अगर लड़कियों की संख्या में कमी होती गई तो हमारा सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। इससे क्राइम रेट बढ़ सकता है इसलिए इसे हमें पूर्ण गम्भीरता के साथ लेना चाहिए। इस सामाजिक बुराई को दूर करना पूरे समाज की और हर व्यक्ति की जरूरत है। हमारे हरियाणा में NGOs को काफी इग्नोर किया जाता है यह काफी इग्नोर सैक्टर रहता है । NGOs के माध्यम से, वोलंट्री ओर्गेनाइजेशन के माध्यम से, सोशल एक्टीविटीज के माध्यम से या वर्कर्ज के माध्यम से इस समस्या का हमें निदान करना चाहिए। इस समस्या को हमें हर घर तक पहुंचाना चाहिए। इसके लिए बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं, जैसे रैड क्रास है, बाल कल्याण है, भारतीय ग्रामीण महिला संघ है जो कि जिला परिषद के अधीन आती है, डी.सी. इसका चेयरमैन होता है। मेरी गुजारिश है कि इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनकी बागडोर किसी सोशल एक्टिविएटस या NGOs के हाथ में होनी चाहिए ताकि इस समस्या का पूरी तरह से निदान किया जा सके। जैसा कि मैने अभी शुरु में बात की, हमारी सरकार इस विषय पर बहुत ज्यादा चिन्तत है। बहुत से कदम हमारी सरकार ने उठाए है, इसके लिए हमारी सरकार और मुख्यमंत्री चौ. भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी बधाई के पात्र हैं । हमारी सरकार ने इसकी गंभीरता को समझते हुए एक प्रोत्साहन योजना शुरु करने का निर्णय लिया है जिसके तहत दूसरी लड़की के पैदा होने पर उसके माता-पिता को पांच सौ रुपये हर महीने पांच साल तक वित्तीय सहायता देने का विचार है। लड़की और उसके माता-पिता के नाम से ज्वाइंट एकाउंट में यह पैसा जमा होगा, यह बहुत अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी प्रिय दर्शनी शगुन योजना शुरु की है जिसमें गरीब लड़की की सादी के समय अब 5100 रुपये की बजाय 15 हजार रुपये शगुन के रुप में दिए जाएँगे । हमारी सरकार ने इसमें तीन गुणा बढ़ौत्तरी की है । इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं । इसके अलावा एक बहुत अच्छी योजना सर्वोत्तम माता की हमारी सरकार ने शुरु की है । जिस तरह से हमारी सरकार ने इन सभी समस्याओं को गम्भीरता से लिया है मुझे आशा है कि जल्दी ही इनमें सुधार होगा और हमारा प्रदेश लिंग अनुपात के अन्तर सबसे आगे है उसमें कमी आयेगी । अध्यक्ष महोदय, इस सामाजिक संतुलन को सुधारने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव की जरुरत है कि लड़के और लड़की के भेदभाव को खत्म करें । इस समस्या का समाधान किसी एक व्यक्ति या केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं होगा बल्कि सभी को मिलकर इसे दूर करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है । हमारे लोक सम्पर्क विभाग द्वारा बुराई के बारे में हर गांव में,हरगली में जाकर प्रचार करना चाहिए ताकि सभी को पता चले कि यह कितनी गंभीर समस्या है और पूरे समाज के हर व्यक्ति का सहयोग इस बुराई को दूर करने में मिल सके। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बहुत सी अल्ट्रासाउंड मशीनें लगी हुई हैं उनके बारे में महिलाएं कहती हैं कि उन्हें ज्ञान नहीं था कि लिंग जांच करना कानूनी जुर्म है। इसलिए मैं चाहूंगी कि जहां भी अल्ट्रासाउंड मशीने लगी हैं वहां मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा नहीं हैं उनको भी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे अपने घर वालों को कह सकें कि हम जांच नहीं करवायेंगी यह कानूनी जुर्म है। अध्यक्ष महोदय, इस समस्या का मेन कारण यह है कि हमारे यहां साक्षरता की बहुत कमी है। पुरुष साक्षरता

75.04 प्रतिशत है और महिलाएं 49.3 प्रतिशत साक्षर हैं यानि 25.74 प्रतिशत का अंतर है। इसी कारण यह समस्या बढ़ रही है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि सरकार महिलाओं की शिक्षा पर जोर दे ताकि इस समस्या से निदान पाया जा सके। हम महिलाओं को शिक्षित करके ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और जो सैक्स रेशो में असंतुलन आया है उसमें जल्दी से जल्दी सुधार किया जा सकता है। अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान लेती हूं।

श्री धर्मवीर गाबा (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भी लिंग अनुपात के बारे में चर्चा करने के लिए समय दिया। मैं डाक्टर भारद्वाज जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक संजीदा मसले की तरफ हम सबका ध्यान आकर्षत किया। यह बहुत गंभीर मसला है इसका हम मजाक नहीं उड़ा सकते इस बारे में हम सबको संजीदगी से सोचना होगा। हमारे यहां यह समस्या इतनी गहरी है कि पिछले दिनों जब श्रीमती सोनिया गांधी जींद में आई थी उस समय उनसे इस बात का जिक्र करना पड़ा था। यह एक गंभीर समस्या है इस बारे में हमें किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराना चाहिए कि पुरूष जिम्मेवार हैं या महिलाएं जिम्मेवार हैं। बजाय किसी को जिम्मेवार ठहराया जाये क्या हम राजाराम मोहनराय और स्वामी दयानंद जी की तरह काम नहीं कर सकते। यह समस्या आज से नहीं है बहुत सालों से है। मुझे याद है मैंने किताबों में पढ़ा है। मैं बताना चाहूंगा कि एक दिन सुबह-सुबह राजाराम मोहन राय घुमने के लिए गये थे। रास्ते में उन्होंने एक 15 साल की लड़की को लाश के पास बैठे रोते हुए देखा। उसने वहां इकट्ठे लोगों से पूछा कि यह क्यों रो रही है तो किसी ने बताया कि इस लड़की का पति मर गया है और अब इसको सती होना है इसने सती होने से मना कर दिया तो इसके सिर पर डन्डा मारकर इसे लाश के साथ बिठा दिया और अब इसको सती होना पड़ेगा। राजाराम मोहन राय जी को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि जब तक वे इस बुराई को दूर नहीं करेंगे तब तक वे घर नहीं जायेंगे और उन्होंने यह समस्या हमारे समाज से दूर की यह हम सब जानते हैं। और कोई आदमी कहता है कि वह अपनी लड़की को नहीं पढ़ाएगा। महर्षि दयानन्द ने कहा था कि अगर समाज को अपनी कुरीतियां बन्द करनी हैं तो अपनी लड़कियों को पढ़ाना होगा और आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारी लड़कियां पढ़ती हैं। आज हम भ्रूण हत्या के लिए किस को जिम्मेदार ठहराते हैं ? आज बहिन जी ने एक सवाल उठाया कि सारा समाज इसके लिए जिम्मेदार है। क्या मैं यहां पर पूछ सकता हूं कि जब दहेज का मसला होता है तो बहू को मारने में सबसे आगे कौन होता है ? सबसे पहले उसकी सास का और उसकी ननद का बड़ा अहम रोल होता है। मुझे इस बात का अफसोस है कि औरत को मारने वाली हैरत है मर्द नहीं। क्या किसी औरत ने आज तक यह महसूस किया है कि हमारी बच्चियों को क्यों मारा जाता है, क्यों इन उसको मारना चाहते हैं ? अगर उसके खाविंद के कहने से मारा भी है तो क्या उसने प्रोटैस्ट किया है कि यह भी मेरी तरह औरत है, यह मेरी बहू है और मैं इसको नहीं मारूंगी, इसको जहर नहीं दूंगी और इसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग नहीं लगाऊंगी। क्या आप लोगों में से किसी ने इसका प्रोटैस्ट किया ? क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि सारी कुरीतियों को हम बन्द करें ? क्या आपने हमारा साथ नहीं देना है ? अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मसला है और इस पर संजीदगी से सोचने की जरूरत है। यह पहले भी होता रहा है और आज भी होगा लेकिन जरूरत है तो केवल जागृति की। मैं आपसे तथा सदन से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या कभी किसी ने ऐसा कोई कानून बनाया कि बारात आज जाएगी और शाम को वापिस आएगी।

[धर्मबीर गाबा]

जब हम छोटे छोटे थे और बच्चे थे तो देखा करते थे कि दिल्ली से थोड़ी दूरी तक बारात जाती थी और तीन दिन से पहले बारात वापिस नहीं आया करती थी। आज बारात सवेरे जा कर शाम को वापिस क्यों आ जाती है ? इसके लिए हमने कोई कानून तो नहीं बनाया लेकिन इस बारे में लोगों में अपने आप जागृति आने की वजह से यह सब हुआ है। लोगों ने खुद यह महसूस किया है कि यह प्रथा गलत है और लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया और नतीजा यह है कि बारात सवेरे जाती है और शाम को वापिस आ जाती है। आप यह नहीं कह सकते कि यह गलत प्रथा है और उसको समाप्त करना चाहिए। हम इस बात के लिए एक दूसरे पर निर्भर क्यों रहते हैं। आप खुद उठिए और राजा राम मोहन राय बनिये, आप खुद उठिये और महर्षि दयानन्द के नक्शे कदम पर चलिए तो मैं देखता हूं कि यह कुप्रथा कैसे खत्म नहीं होती। स्पीकर सर, मैं आज फख्र से कहता हूं कि मेरा एक ही लड़का है और लड़कियां दो हैं। I am proud of it कि वह फारेन यूनिवर्सिटी में डीन है और उसकी एक ही लड़कि है। इस बात का न उसे कोई अफसोस है और न मुझे कोई अफसोस है। घर में एक बच्चा चाहिए और इसका कोई अर्थ नहीं है कि यह लड़की है या लड़का है। इसी से हम समझते हैं कि अगर ऐसा ख्याल पैदा हो जाए, ऐसी सोच हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जब तक हमारी यह सैक्स रेशो ठीक नहीं होगी तब तक बलात्कार के केसिज बढ़ेंगे और दुनियां की सारी कुरीतियां समाज में आएंगी। मैं यह भी समझता हूं कि आज जो हमारा अनऐजुकेटिड तबका है केवल वह ही ऐसा नहीं करता है बल्कि एजुकेटिड तबके में भी यही हाल है। माननीय श्री सुरजेवाला जी कह रहे थे कि कि गरीब और अमीर दोनों ऐसा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, लोगों ने यह बात नहीं देखी यह समस्या नहीं देखी कि गरीब आदमी को यह सोचना पड़ता है कि अगर मेरे घर में लड़की पैदा हो गई तो उसको दहेज देने के लिए मेरे पैसा कहां से आएगा। इस सोच को खत्म करना होगा। मैं कसम खा कर कह सकता हूं कि मेरी दो लड़कियां हैं और एक लड़का है। मैंने एक लड़का और दो दामाद हैं लेकिन किसी के मन में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : गाबा साहब, आप क्यों एक्सपलेनेशन दे रहे हैं आपकी बात पर सब को ऐतबार है।

श्री धर्मबीर गाबा : सर, यह केवल मेरी बात नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सब लोग इस सोच पर क्यों नहीं चलते हैं। सवाल यह है कि आज जो यह समस्या है और लोगों की सोच है कि मुझे कहीं दहेज न देना पड़े इसलिए लड़की की कतल कर दिया जाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर यह दहेज का मसला न होता तो शायद यह स्थिति पैदा नहीं हुई होती।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। मैं यह कहना चाहती हूं कि बेरोजगारी इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। इस तरह की हत्याओं में यह सबसे बड़ा मुद्दा और कारण है । जो बच्चे बेरोजगार हैं अगर उनको कोई रोजगार मिल जाता है और मुखमरी खत्म होती है तो मैं समझती हैं कि वह अपनी पत्नी को पीटने या मारने का कार्य नहीं करेगा और न ही यह कहेगा कि तूं क्या लेकर आई है और वह अपनी मां तथा बहन को भी ऐसा कहने से रोक लेगा। इसलिए मेरा मानना है कि इसके पीछे बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। (विघ्न)

श्री धर्मबीर गाबा : स्पीकर सर, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार न ठहराएं इससे समस्या का कोई हल नहीं होगा। हम सबको चाहे नारी है या नर

है यह सोच कर चलना चाहिए कि इस गलत आदत को हमें खत्म करना है और सभी लोगों को यह प्रण लेना चाहिए कि हम समाज में फैली हुई इस कुरीति को खत्म करके ही रहेंगे। स्पीकर साहब, अब में मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

डा० कृष्णा पण्डित (यमुनानगर) : स्पीकर सर, आपने मुझे इस गैर सरकारी प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं आज मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का और डा० मनमोहन सिंह जी का भी धन्यवाद करती हूं कि जिन्होंने स्त्रियों को नौकरीयों में 33 प्रतिशत का कोटा देकर समाज में सिर ऊंचा करके खड़े होने का मौका दिया है, यह हम स्त्रियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है।

स्पीकर सर, जब हम सदन में एन्टर करते हैं तो लिका हुआ है कि जो सदन में आए और न बोले तो वह ठीक नहीं है और जो सदन में गलत बात बोलता है वह भी ठीक बात नहीं है।इन दोनों सूरतों में ही पाप की अधिकारी हैं। स्पीकर सर, गाईनोकोलोजिस्ट डाक्टर होने के नाते इस सदन में कुछ बातें कहना चाहूंगी। आज सदन में सभी सदस्यों ने एम0टी0पी0 को रोकने के लिए अपने विचार प्रकट किए हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से भाई डा0 भारद्वाज जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने लिंग अनुपात में आ रहे फर्क के बारे में सदन में रैजोल्यूशन रखा है। आज तो 1000 लड़कों के पीछे 865 लड़कियों का ऐशो है। यह बहुत ही दुखदाथी बात है। मेरी बहन किरण चौधरी जी ने और सदन के दूसरे साथियों ने भी एक बात कही कि लिंग अनुपात के लिए डाक्टर को सजा मिलनी चाहिए। स्पीकर सर, इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि इसमें डाक्टर्ज को सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका जो अल्ट्रासाउंड करना बाद कर दिया गया, यही उसके लिए सजा है। स्पीकर सर, आज मार्किट में ऐसी ऐसी चीजें आ गई है और रोज अखबारों में विज्ञापन आ रहे हैं। उन चीजों को कोई भी वर्कर, मजदूर या कोई भी दूसरा व्यक्ति कैमिस्ट की दुकान से खरीद कर अपनी पत्नी को दे सकता है। जिससे उनका गर्भपात अपने आप हो जाता है। जब ब्लिडिंग बहुत ज्यादा होती है और बंद नहीं होती है तो वे डाक्टर के पास जाते हैं। अब इसमें डाक्टर का क्या कसूर है। स्पीकर सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि आज समाज सुधार की जरूरत है। आज हमारे समाज में दहेज को लेने और देने की प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लड़कियों को इसकी वजह से बहुत उत्पीड़न सहना पड़ता है। स्पीकर सर, एक यह भी वजह है कि आज मां-बाप यह समझते हैं कि अगर लड़का होगा तो वह मां-बाप की सेवा करेगा और जब वे स्वर्ग सिधार जाएंगे तो लड़का ही उनका क्रियाक्रम करेगा, लड़की कुछ नहीं कर सकती है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सी०एम० साहब से और फाईनांस मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहूंगी कि वे बजट में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए पैसे का प्रावधान कर लें। इनको ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि जो लड़का एक रुपए में शादी करेगा और दहेज नहीं लेगा तो उसको सरकार की तरफ से 1,2, या 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर सरकार ऐसा करेगी तो लोगों को बहुत सी खुशी मिलेगी और यह दहेज प्रथा भी खत्म होगी। स्पीकर सर, आज हमें समाज सुधारने की जरूरत है। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहूंगी कि जिस से दहेज नहीं लेना है वह सरकार से पैसे भी नहीं लेगा। (विघ्न) स्पीकर सर, हमारी आरती में एक चीज आती है कि दूसरों की जय करने से पहले अपनी जय करो। मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले हम अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि खुद कमा सकें और हमें दूसरों से मांगने की जरूरत ही न पड़े। स्पीकर सर, आज हर लड़की पढ़ी लिखी है और वह सोचती है कि क्यों हम दहेज दें, क्यों हम इस झमेले में

[डा० कृष्णा पण्डित]

पड़ें और क्यों हम उत्पीड़न सहें। आज जो माताएं हैं वे यह सोचती हैं कि जो उत्पीड़न उन्होंने सहा है क्यों उनकी लड़की सहे और क्यों उसको गर्भपात करवाना पड़े। स्पीकर सर, आज हमें सही एजुकेशन नहीं मिलती है। दूसरी चीज ऐसी है कि जैसे ही लड़की पैदा होती है, खासकर हमारे यहां पर जो अनपढ़ मां-बाप हैं, उनको एक डर सा लगा रहता है कि जैसा आज समाज में हो रहा है और अखबारों में भी छप रहा है कि फलानी जगह पर रेप हो गया है, कहीं वैसा उनकी लड़की के साथ न हो जाए। स्पीकर सर, कम से कम दिन में 5 से 10 कैसिज ऐसे होते हैं और शर्म के मारे वे लोग इस बारे में किसी को भी नहीं बता पाते हैं मैं सी0एम0 साहब से रिक्वैस्ट करूंगी बच्चे जो सैक्स के बारे में बाहर से जानकारी लेते हैं उसकी बजाए थोड़ी बहुत सैक्स की एजुकेशन स्कूलों में ही बच्चों को दी जानी चाहिए ताकि बच्चों को यह पता चल सके कि हमें अपने आपको किस तरह से बचाना है। स्पीकर सर, हमारे साथी डाक्टर भारद्वाज जी ने 1000 लड़कों के अनुपात में 865 लड़कियों का रेशो दिया है। लेकिन आप जाकर डाक्टर से पूछिए कि किस तरह से ऐसे लाचार मां बाप अपने साथ अपनी आठ साल की बच्ची को, 10 साल की बच्ची को, 15 साल की बच्ची को लेकर आते हैं और बताते हैं कि इन्हें वहां उठा ले गए, इन्हें वहां ले गए। उन ठेकेदारों का क्या किया जाए जो ऐसे काम करते हैं उनके लिए अगर थोड़ी बहुत पनिशमैंट डाक्टर्ज की तरह से कर दें तो यह ज्यादा बैटर है ताकि उनको भी एक तरह का डर हो कि अगर हम यह कर्म करेंगे तो हमें यह सजा मिलेगी। इसके बाद एम०टी०पी० का काम खत्म हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, समाज सुधार के बारे में भी मैं कहना चाहूंगी। हम बाहर के देशों में भी गए हैं हमने वहां देखा है आप चाहें कहीं भी चले जाइये, हर जगह स्टोर्ज पर लड़कियां काम करती हुई मिलती हैं क्योंकि उनको अपने आप में आत्म निर्भर रहना सिखाया जाता है कि कैसे वे अपनी तकलीफों का सामना कर सकती हैं। हर घर में वहां पर यह लिखा जाता है कि वे कैसे सुरक्षित रहें। लड़के तो उनके बाहर रहते हैं लेकिन लड़कियां घरों में ही रहती हैं। उनके घरों में लिखा जाता है कि अगर आपको कोई तंग करता है या कोई कुछ कहता है तो 100 नम्बर घुमाओ उसी वक्त पुलिस आ जाएगी। इस तरह से मुख्य रूप से तो हमें समाज में सुधार लाना चाहिए ताकि उनको यह लगे कि हमें भी सुरक्षा मिल सकती है और हमारा जो आने वाला भविष्य है वह ठीक रहेगा। अगर हम अपनी ऐजुकेशन का स्तर ऊपर ले जाएंगे और यदि हम उनको अच्छी ऐजुकेशन देंगे तो उसके बाद काफी हद तक लिंगानुपात जैसी बातों पर और जो एम०टी०पी० होती हैं, उनमें काफी कमी आ जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारी एक बहन ने बताया कि मदर हायर कर ली जाती हैं सोरोगेटेड मदर्ज को लाकर उनको 70 हजार या 80 हजार रुपये तक दिये जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे क्या बच्चों में संस्कार आएंगे और क्या वे बच्चों में संस्कार भरेंगी ? मैं सरकार से गुजारिश करूंगी कि ऐसे कदम जरूर उठाए जाएं जिससे लड़कियों का सुधार हो। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से मैंने पहले भी एक बार रिक्वैस्ट की थी क्योंकि वैसे तो देखने में यह मसला अलग लगता है लेकिन हमें सैक्स ऐजुकेशन को स्कूलों में शुरू करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि 13 साल, 14 साल या 15 साल की बच्ची को कुछ पता ही नहीं होता है। यमुनानगर में आई०टी०आई० बिल्डिंग की दीवार और हमारे घर की दीवार एक साथ लगती है। मेरा घर उसके साथ ही है वहां पर 10 बजे या 11 बजे तक हमने कई बार देखा है कि लड़कियां अपने दूसरे कपड़े पहनकर आती हैं और वहां पर लड़के दो दो घंटे उनको लिए बैठे रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह असलियत बता रही हूं क्योंकि यहां पर सच्ची बात कहने के लिए लिखा

गया है। घरों से लड़कियां आती हैं उसके बाद अपनी यूनीफार्म बदलकर अपने घरों में चली जाती हैं तो यह हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही खराब बात है। अध्यक्ष महोदय, उन गरीब आदमियों के लिए जो हमारे तक या सरकार तक पहुंच नहीं सकते हैं और जिनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है उनके लिए कुछ न कुछ जरूर किया जाना चाहिए। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लड़कियों के लिए दिया है वह बहुत ही अच्छी बात है इससे हमारा सिर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन मैं यह बात भी जरूर कहना चाहूंगी कि इतनी ही चीजें वह हमें और दे दें कि जिन्होंने रेप किया है, जिन्होंने लड़कियों का बलात्कार किया है या जिन्होंने लड़कियों के साथ छेड़ाछाड़ी की है, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए और उनके लिए अधिकारियों को इस्ट्रक्शंज दी जाएं कि वे बख्शे नहीं जाएं। ये सारी चीजें करने के बाद जैसे ही हम सामाजिक सुधार लाएंगे वैसे ही इन बातों में फर्क आना शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सी0एम0 साहब को एक और मैंने अर्ज की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सच्चाई बता रही हूं। लोग छोटी बच्चियों को सिनेमाघरों में ले जाते हैं, बाक्सिज में ले जाते हैं क्योंकि उनमें यह धारणा है कि जो हमारे वनीरियल डिसिज हैं वे सारी उससे खत्म हो जाती है। इस वजह से उनका शोषण किया जाता है। डाक्टर उनको ऐग्जामिन करने के बाद उनको यह भी नहीं बता सकता कि क्या हुआहै। अध्यक्ष महोदय, इन हालत में आप बताइये कि क्यूं नहीं इनके मां बाप कहेंगे कि भ्रूण हत्या हम करवाएंगे ? क्योंकि समाज में लड़कियों के साथ जो होता है उसको वे सहन नहीं कर सकते और न ही उसको खत्म कर सकते हैं इसलिए आज समाज को बदलने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। लेकिन ये सारी बातें असल में होती हैं इसलिए मैं आशा करती हूं कि मुख्यमंत्री जी इस बारे में जरूर कुछ न कुछ करेंगे ताकि इस बुराई को दूर किया जा सके। स्पीकर साहब, अन्त में आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेती हूं।

श्रीमती रेखा राणा (घरोंडा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि आज सदने में चर्चा का विषय नारी क्यों रही ? आज तो नौकरियों में 33 परसैंट आरक्षण मिलने के बाद उसका आदर बढ़ गया है। अगर आज भी नारी स्ट्रिक्ट नहीं होती है तो समाज कैसे सुधरेगा ? अध्यक्ष महोदय, हमें पैदा होते ही मां की जरूरत होती है, मां अगर पढ़ी-लिखी होती है तो वह गाईड करती है, बच्चे को स्टैंड करती है और समाज में सुधरने का मौका देती है। समाज को अगर हम नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा ? सबसे बड़ी कमी मां की होती है जो नारी के अंदर ऐसे गुण नहीं भरती [redacted] वह अपनी रक्षा अपने आप कर सके। आज के समाज में यह दबी नहीं है स्वतंत्र देश में एक नारी को पूरा अधिकार है, उसे अपने अधिकार लेने होंगे, अधिकार मिलते नहीं हैं, लिए जाते हैं। समाज में जीने के लिए हमें अपनी हिम्मत और दम की जरूरत होती है। अपने अधिकार लेने की जिनमें हिम्मत नहीं है वे मेरे साथ आए मैं उनको उनके अधिकार दिलाऊंगी। जय हिन्द।

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : स्पीकर सर, सबसे पहले मैं डाक्टर शिव शंकर भारद्वाज को बधाई देती हूं। जो इतने संवेदनशील विषय के ऊपर लिंगानूपात के बारे में रैजोल्यूशन लाए हैं। यह बहुत चिंता का विषय है कि हमारे कुछ साथी इसको समझ नहीं रहे हैं व मजाक में लेते रहे हैं यह बहुत ही दुख: की बात है। हरियाणा में लड़कियों की संख्या में कमी होती जा रही है हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। यह सोचकर दिल दहल जाता है कि आने वाले समय में जब लड़कियों

[श्रीमती सुमित्रा सिंह]

कम हो जाएंगी तो क्या हम महिला सशक्तिकरण करेंगे ? यो जो हम हर बात में 33 प्रतिशत और 50 प्रतिशत आरक्षण की बात करते हैं उसका क्या फायदा है ? आज इस बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगी कि यह बहुत ही चिंता का विषय है इस पर ध्यान दें। यह जो हमारी अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं या सैक्स डिटरमिनेशन टैस्ट हैं इसके बारे में हर पिछड़े से पिछड़े इलाके की महिला को भी पता है। मैं एक ऐग्जाम्पल देती हूं। मेरे घर काम करने वाली एक महिला थी उसकी दोनों आंखें खराब हो गई उसको मैं डाक्टर के पास ले गई डॉक्टर ने उसको स्ट्रौंग एंटीबायोटिक्स लिख दीं तो वह बोली कि मैं यह एंटीबायोटिक नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने टैस्ट कराया है मेरे पेट में लड़का है । उसकी दोनों आंखें खराब हो गई लेकिन उसने दवाई खाने से मना कर दिया। अब जो कानून इस बारे में बना है यह काफी सख्त कानून है। मैं स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहूंगी अखबार में रोजाना हत्या के केसिज आते हैं उनमें गिरफ्तारियां भी होती हैं, सजा भी होती हैं लेकिन डॉक्टर जो रोजाना ऐसे काम करते हैं उनको कोई सजा नहीं दी जाती । इससे महिलाओं के साथ जितना ज्यादा अन्याय होता है। इसके अलावा जो डौमैस्टिक वॉयलैंस है यह पहले गरीब घरों में होती थी लेकिन आजकल ये बड़े-बड़े घरों में भी होती है। बल्कि उनमें डौमैस्टिक वॉयलैंस के केसिज ज्यादा मिलेंगे। जहां तक दहेज की बात है बहुत ही दुख और अफसोस होता है कि हमारी लड़कियों की शादी करने के लिए इतना दहेज दिया जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि लिंग अनुपात सैक्स डिटरमिनेशन टैस्ट आदि । हम चुने हुए नुमाईंदे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने हल्के में, अपने एरिया में, इसके प्रति लोगों को जागरूक करें कि इस प्रकार का टैस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं, सक्षम है, अपना घर चलाने के लिए सक्षम हैं और अपनी रोटी-रोजी कमाने के लिए भी सक्षम हैं। मुझे खुशी हुई जब श्री सुरजेवाला जी ने कहा कि मैंने अपनी प्रोपर्टी अपनी पत्नी के नाम करा दी है जब ये बात बोल रहे थे तो एक दो भाइयों ने यह बात कही कि क्यों हमें मरवा रहे हो, हम लोगों की यह सोच है। अगर ऐसी बात हो रही है तो हमें अपनानी चाहिए। (विघ्न) अब मेरे माननीय साथी खुश हो रहे हैं लेकिन एक समय ऐसा आयेगा जब कल को ये अपने बेटों की शादी में दहेज देंगे और हाथ जोड़कर पैर पकड़कर कहेंगे कि हमारे लड़के की शादी कर दो, हम सारी प्रोपर्टी तुम्हारे नाम करा देंगे। मैं अपनी उन बहन-बेटियों को बधाई देती हूं जिनको गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया जाता है फिर भी वे गर्भपात नहीं कराती। ऐसी बहन-बेटियां आज भी हमारे समाज में हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने शिक्षा विभाग की नियुक्तियों में 33 प्रतिशत रिजर्वेशन महिलाओं का किया हैं। मैं उनसे यह भी मांग करूंगी कि बाकी की भी जो नियुक्तियां हैं उनमें भी महिलाओं का आरक्षण किया जाये। इसके लिए हम सारी बहनें और महिलाएं आपकी आभारी होंगी। स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्रीमती राज रानी पूनम (असंध, एस०सी०) : माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से डा० शिव शंकर भारद्वाज जी का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने यहां पर यह प्वायंट उठाया उनको मैं बधाई देती हूं क्योंकि वे वाकई ही बधाई के पात्र हैं। आज हमारे समाज में भ्रूण हत्या का दोषी महिलाओं को ठहराया गया है लेकिन यह बिल्कुल गलत है। इस गलती को करने वालों में पुरुष समाज भी शामिल है। इसमें केवल महिला की गलती नहीं है। महिला अकेली अस्पताल में इस संबंध में भ्रूण हत्या के लिए कभी नहीं जायेगी और न ही गई है। इसमें पुरुष की सलाह होती है, सारे घर वालों की सलाह होती है तभी वह अस्पताल में जाती है ऐसे ही नहीं जाती। जब से स्वर्गीय

राजीव गान्धी जी ने पचायतों के माध्यम से महिलाओं को अधिकार दिया तब से महिलाएं अपने आपको आजाद समझने लगी हैं। आज महिलाएं सरपंच हैं, ब्लाक समिति की मैम्बर, प्रधान हैं जिला परिषद की मैम्बर और प्रधान हैं, यहां तक कि एम0एल0ए0 मंत्री डाक्टर पायलट सब कुछ हैं। आज हर महकमें में महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। कहीं भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। जैसे हमारे देश में हमारी माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद उन्होंने हर गरीब लड़की का सबसे पहले ध्यान रखा था। ऐसे ही आज भी हमारी वही कांग्रेस की सरकार आ गई है जो हर गरीब लड़की का पूरा पूरा ध्यान रखेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबसे पहले यह कह चुके हैं कि गांव में भी कोई महिला परेशान हीं होगी। उनकी शौचालय की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले गांवों में महिलाओं के शौचालयों बनवाने का आदेश दिया है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। 5100 रुपये की राशि जो कन्यादान के रूप में मिलती थी उसको उन्होंने बढाकर 15000 रुपये करने का सराहनीय काम किया है। हमारे पुरुष यदि यह कहें कि इसमें महिलाओं की कमी बिल्कुल नहीं है। हम यह मान कर चलें कि इसमें किसी की भी गलती हो सकती है। दोनों यानि पुरुष और महिला की हो सकती है। दोनो की फिफ्टी-फिफ्टी जिम्मेवार हैं। मैं तो बहनों को यह कहूंगी कि कोई भी बहन भ्रूण हत्या उठाती है तो उनको अवश्य सजा मिलनी चाहिए क्योंकि यदि कोई पुरुष गलती करता है तो हम भी उनको सजा दिलवाते हैं इसलिए यदि कोई बहन गलती करती है तो वह भी सजा की पात्र है। स्पीकर साहब, आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपना स्थान लेती हूं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी ने यहां चर्चा की, मैं एक दो बातें सदन में जरूर बताना चाहूंगा। महिला सशक्तिकरण का जहां तक सवाल है, हरियाणा सरकार पूरी तरह सचेत है और हमारा पूरा प्रयास है कि महिलाओं, बहनों और बेटियों को हम बराबर में लाएं। महिलाओं में अवेयरनैस की यहां बात की गई। एक तो मेरे सभी माननीय साथी यहां बैठे हैं मेरा उनसे निवेदन है कि हम हैल्थ महकमें के द्वारा अवेयरनैस वर्कशाप जो लगाएंगें, हमारी बहन जी बता देंगी। उनमें सबसे पहले विधायकों को बुलाएंगे ताकि ये लोगों को PNDT एक्ट के बारे में बताएं। हमने दूसरी कई स्कीमें बनाई जिनकी यहां चर्चा की गई जैसे इन्दिरा गांधी के नाम से कन्यादान राशि की स्कीम है या कोई और स्कीम है। हमने फैसला किया है वूमैन कोपरेटिव डिवैलपमैंट बैंक बनाएंगे जिसमें महिलाएं ही एम्पलायज होगी और पूरे प्रदेश में महिलाएं ही बैनीफिशरीज होंगी। हमने रजिस्ट्रेशन फीस में घटोतरी की है जो कोई महिला के नाम कोई प्रापर्टी करेगा तो औरों के मुकाबले 2 प्रतिशत कम उसकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। बच्चे के जन्म से ही एक और कार्यक्रम प्रदेश में हम ला रहे है जिसमें 1000 पोपुलेशन के पीछे एक लिंग वर्कर होगा। हर पंचायत में 5000 रुपये रखेंगे क्योंकि जब कभी भी किसी महिला की डिलीवरी का समय होता है उस समय तकलीफ होती है तो वह वर्कर गाड़ी लेकर और गाड़ी का किराया लेकर उस महिला को होस्पिटल तक ले जाए। हम चाहेंगे जितने जन्म बच्चों के हों वह अस्पताल में हो ताकि उस समय कोई भी प्रोब्लम न आएं जैसे सैपटिक वगैरह, उससे बचा जा सके। इस प्रकार उस समय उसी वर्कर की जिम्मेवारी होगी कि वह गाड़ी लेकर और किराया लेकर जाए और बच्चे का 13.00 बजे जन्म हस्पताल में ही हो। उसको बाद जो बच्चे के रख-रखाव की बात है, उसकी सेहत की बात है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से इस बारे में चर्चा की है।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]
हर बच्चे का हैल्थ कार्ड बनेगा। क्योंकि यह पाया गया है कि देहात में बच्चों की सेहत की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता और जो लड़कियां अनीमिक हो जाती हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जायेगा। हर बच्चे का तीन महीने में चैक अप होगा और हैल्थ कार्ड में उसकी इंटरी की जावेगी। इसके अतिरिक्त मैं पूरे सदन को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी सरकार यह भी विचार कर रही है कि घरों के बिजली के कनैक्शन यदि घर की महिला के नाम पर होगा तो उसमें 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल में छूट दी जायेगी।

श्रीमती अनिता यादव (साहलावास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, डाक्टर शिव शंकर भारद्वाज जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ी हुई हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने-अपने वक्तव्य दिए हैं। मेरा भी यह मानना है कि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है दूसरी तरफ यह कहा जाता है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहनी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के साथ अत्याचार आज से नहीं पहले से ही चले आ रहे हैं और पहले तो महिलाओं को जिंदा दिया जाता था और महिलाओं ने इसका मुकाबला भी किया है। हम सब जानते हैं कि जीजा बाई, सरोजनी नायडू, गारगी, झांसी की रानी जैसी महिलाएं हमारे देश में पैदा हुई हैं उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी। जहां तक देवताओं का सवाल है सीता, पार्वती जैसी महिलाएं भी हमारे देश में पैदा हुई हैं। जहां तक मोहमडंज की बात है इनमें कई जगहों पर पर्दा प्रथा अभी भी है। मोहमडंज में यदि कोई महिला पर्दा नहीं रखती तो उसे सजा दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम महिलाओं को 33 प्रतिशत के आरक्षण की बात राजीव गांधी जी के पंचायती राज में कर रहे हैं और दूसरी तरफ आज भी मोहमडंज में महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा की बात की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, लिंग अनुपात के बारे में मेरी बहन ने कहा कि इसमें औरतों की कोई गलती नहीं है लेकिन मेरा इसमें मानना है कि इसमें औरतों की भी गलती है। जब लड़का शादी करके घर में बहू लाता है तो सास का सबसे पहला ताना बहू को यह होता है कि तू क्या दहेज लेकर आई है ? तू तो कम दहेज लेकर आई है तूने तो समाज में हमारी नाक कटवा दी। इस तरह से सारा विधायक हैं, हम सबको अपने भी सदस्य हम यहां बैठे हुए हैं। विशेषकर जो लेडी विधायक हैं, हम सबको अपने अंदर टटोल कर देखना चाहिए और सभी को प्रण लेना चाहिए कि हमारे चाहे एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, चाहे वे लड़के हों या लड़की हो हम उन्हीं से संतुष्टी करेंगे और उनकी शादी में न दहेज लेंगे और न ही देंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो आधी समस्या का समाधान तो यहीं हो जायेगा। मैं हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हूं। मैं बहन सुमिता जी को सुझाव देना चाहती हूं कि महिला कांग्रेस की हरियाणा विंग की तरफ से महिला जागरूक अभियान के तहत वर्कशाप हर ब्लाक में और हर गांव में चलाई जाये जिसमें लिंग अनुपात के बारे में महिलाओं को जानकारी दी जाये ताकि महिलाओं में जागृति आये और इस समस्या का समाधान हो क्योंकि गांवों से ही दहेज के मामले बढ़ते हैं ज्यादातर गांवों में ही लड़के और लड़की में अंतर समझा जाता है। गांवों में मां खुद यह कहती है कि बेटी तू तो स्कूल ड्रैस ही घर की पहन लिया कर और भाई को स्कूल के अलावा और दूसरी ड्रैस भी मंगवा देते हैं। बेटी तू स्कूल से आने के बाद मेरी मरोटी लिवाने आ जाना और अपने भाई को पढ़ाई करने देना। भाई को तो जेब खर्ची भी मिल जाएगी लेकिन लड़की को कुछ नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह बात स्पष्ट कर देती

हूं कि मैं भाईयों की दुश्मन नहीं हूं लेकिन परिवारों में जो होता है मैं उसके बारे में ही कह रही हूं। भाईयों को तो जेब खर्ची भी मिल जाएगी और इसके साथभी उसको घूमने फिरने का टाईम भी मिल जाएगा। जब स्कूल जाने की बारी आएगी तो हम देखते हैं कि उसकी साईकिल रास्ते में खड़ी मिलेगी और वे वहां बैठे ताश खेलते मिलेंगे। जब रिजल्ट की बारी आती है तो जिस लड़की को जिसे दूध भी कम मिला, सरकारी स्कूल की ड्रैस मिली उसने घर का काम भी पूरा किया उसके बावजूद भी उसके नम्बर सारे स्कूल में ज्यादा आए और हमारे भाईयों ने क्या किया, ताश खेल कर और दूसरे अनाप-शनाप तरीके से अपना टाईम पास किया और स्कूल का रिजल्ट जीरो। उसकेबाद कालेज बमें गये तो वहां पर भी रिजल्ट जीरो या कम्पार्टमैंट भी आ गया इसके बावजूद भी भाईयों की इस नालायकी को इग्नोर कर मांए भाईयों को ज्यादा प्रोत्साहन देने की बात करती हैं। आप अपने आप इस बात पर भी विचार करें। आज जब हम लोग गांवों में वोट मांगने के लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति आम परिवारों में देखने को मिलती है और इस समस्या का सामना भी हम सभी को करना पड़ता है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज पर अपना वक्तव्य देना चाहती हूं। आपने इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। (विघ्न) स्पीकर सर, हमारी बड़ी बहिन जी ने भी कहा आज 33% आरक्षण का हक महिलाओं को मिला है और यह हक लेकर हम लोग क्या करती हैं पंच बन गई, सरपंच बन गई या एम0एल0ए0 बन गई। उसके बावजूद अगर मेरे डाक्टर साहब मेरी मोहर लेकर बैठ जाते है तो मैं क्या करूंगी। किसी डोमिसाईल सर्टिफिकेट बनवाना है या किसी का और कुछ सर्टिफाई करना है और मैं उन लोगों को यह कहूं कि मोहर तो डॉक्टर साहब जेब में ले गये हैं इसलिए मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूं। हमें इस स्थिति से अपने आप को मुक्त करना होगा। अगर आपने पंचायती राज को कामयाब करना है तो खुद को इसके लिए सक्षम बनाना होगा। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह कहना चाहती हूं। कि 33% आरक्षण का हक हमें नौकरियों, जे0बी0टी0 के एडमिशन में और दूसरी संस्थाओं में भी मिला है। हमें अपनी बागडोर खुद ही सम्भालनी पड़ेगी में दूसरी संस्थाओं में भी मिला है। हमें अपनी बागडोर खुद ही सम्भालनी पड़ेगी तभी हम इस प्रथा से बच सकती हैं और माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से 50% आरक्षण को जो दावा हम रखने वाले हैं वह हम तभी ले सकती हैं। स्पीकर सर, बहन जी ने भी इस बात को कहा है कि औरत और मर्द एक ही गाडी के दो पहिये होते हैं।

Mr. Speaker : Anita Ji, please try to wind up.

श्रीमती अनीता यादव : हम 50% का रिजर्वेशन माननीय मुख्य मन्त्री जी से तभी ले सकती हैं जब हम 33% रिजर्वेशन पर अपने आप सम्भालेंगी। स्पीकर सर, इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं।

स्वास्थ्य मन्त्री (बहिन करतारी देवी) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सदन के सामने जो रैजोल्यूशन आज विचाराधीन है यह प्रस्ताव में ही बहुत चिन्ता का विषय है। जनगणना 2001के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे कम है । हर कार्य में हरियाणा का नाम पूरे देश में सबसे आगे आता है। गांव गांव में बिजली है, गांव गांव तक सड़क है, गांव गांव में स्कूल और कॉलेज हैं लेकिन जब लिंग अनुपात के बारे में चर्चा होती है तो हमारा नम्बर देश में सबसे लास्ट में आता है। 1991 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 1000 पुरुषों के पीछे 865 महिलाएं थीं और वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार

[बहिन करतारी देवी]

इनकी संख्या घट कर 861 रह गई है। अगर हम एक वर्ष से छः वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों पर दृष्टि डालते हैं तो हमारा लिंग अनुपात और भी कम हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसका अर्थ साफ है कि दिन प्रति दिन इस अनुपात और भी कम हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसका अर्थ साफ है कि दिन प्रति दिन इस अनुपात में कमी आती ही जा रही है। केवल इतनी ही बात नहीं है। आज हम सब के लिए सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है। आप उस समय की कल्पना करें जब बेटियों की संख्या बिल्कुल कम हो जाएगी तो अपराध तो बढ़ेंगे ही साथ में बेटियों से इतना प्यार दुलार करने वाले लोगों के सामने बड़ी गम्भीर समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए समाज में यह सन्तुलन बनाए रखना अत्यावश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन समय कम है इसलिए मैं केवल इतना ही कहूंगी कि हमारे 19 में से जो 9 जिले हैं पंचकूला, कैथल, पानीपत, जीन्द, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर तथा हिसार में लिंग अनुपात राज्य में औसत से कम है। हमारे माननीय उप-मुख्य मन्त्री जी के जिला पंचकूला में इस समय यह सबसे कम है यानि 823 महिलाए स्पीकर सर, मैं यह बात इसलिए कहना चाहती हूं कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हमारा यह दायित्व बनता है कि समाज के अन्दर जो अपराध प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और इसमें भी महिलाओं पर अत्याचार ज्यादा बढ़ रहे हैं इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमारा बहुत बड़ा दायित्व बनता है और वह तभी बनेगा जब हम महिलाओं और बेटियों को उचित आदर देने लगेंगे। स्पीकर सर, भारत हमारी मातृभूमि है और यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि हमारा भारत मातृ प्रधान प्रदेश है। इसको फादर लैंड क्यों नहीं कहा जाता है। स्पीकर सर, मां को भारत में कितना ऊंचा दर्जा मिलना चाहिए यह इस बात से जाहिर हो जाता है। स्पीकर सर, इतना ही नहीं अगर हम महाभारत की तरफ दृष्टि डाल कर देखें तो अर्जुन जैसे शूरवीर को कुन्ती पुत्र के नाम से पुकारा जाता है यानि की मां का नाम पहले लिया जाता है। स्पीकर सर, भारतीय संस्कृति स्पष्ट दर्शाती है कि राम को भले ही मर्यादा पुरूषोत्म माना जाता है लेकिन राम के नाम से पहले सीता का नाम लिया जाता है यानि की सीताराम, इसी तरह से राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है यानि की उस समय में भी पहले महिलाओं को दर्जा दिया गया है। लेकिन आज के समाज में ऐसी गिरावट आ गई है कि आज महिलाओं का स्वतन्त्र असतित्व ही खत्म हो गया है। जब वह पैदा होती है तो कहा जाता है कि फलाने की बेटी है। जब जवान हो जाती है और ब्याह कर दूसरे घर में जाती है तो कहा जाता है कि फलाने की पत्नी है और जब वह बूढ़ी हो जाती है तो कहा जाता है कि फलाने की मां है। आज उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। इनने तो यहां तक आज सोच लिया है कि औरत का नामोनिशान नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, मैं भाई वीरेन्द्र की आभारी हूं कि उन्होंने कहा है कि आज फिर समय आ गया है कि राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानन्द जी की तरह से हम इनको समझें। स्पीकर सर, मुझे गर्व है कि हमारी दादी की वजह, महात्मा गांधी जी की वजह से जब शराब हिन्दुस्तान में पीक पर चल रही थी। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह काम भाई नहीं कर सकते हैं, यह काम मेरी बेटियां करेंगी। उस समय में महात्मा गांधी जी महिलाओं को आगे लेकर आए थे। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहूंगी कि राजा की बात अलग है कि जिस राजा ने अपनी लड़की का पालन-पोषण जिस ढंग से किया वह उसी राह पर आगे बढ़ गई। लेकिन साधारण घरों में लड़कियों को घर की चार दीवारी को लांघना भी बहुत मुश्किल रहा है। लेकिन मैं यह गर्व का साथ कहना चाहती हूं कि जो भी बहन चार दीवारी को लांघ कर आगे चली गई है वह पीछे नहीं हटी है। उसने अपने अपने क्षेत्र

में अच्छा काम किया है, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे कोई और क्षेत्र हो। स्पीकर सर, मैं सदन में बड़ी नम्रता से मंत्री होने के नाते से नहीं बल्कि बहन होने के नाते यह कहना चाहूंगी कि हमें आज अपने दृष्टिकोण को इसी बात पर ले आना चाहिए ।

यत्र नारी स्तु पूज्यंते, रमंते तत्र देवतम्।

स्पीकर सर, इसका मतलब यह है कि देवताओं का वास वहीं पर होगा जहां पर नारी की पूजा होगी।

वास्तव में अगर आप अच्छी बुद्धि चाहते हैं, धन चाहते हैं, सुख-समृद्धि चाहते हैं, न्याय से लड़ने की शक्ति चाहते हैं तो आप किस की प्रार्थना और अराधना करेंगे ? आप दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती देवियों की पूजा और अराधना करेंगे तभी आपको जो चीज आपने मांगी है वह प्राप्त होगी।

आज हमें चाहिए कि हमें अपनी माताओं का, बहनों का और बेटियों का, वे जिस भी रूप में हमारे घर में हैं उनका पूरा मान-सम्मान करना चाहिए। कुछ भाईयों ने यहां पर बोलते हुए महिलाओं को इसके लिए जिम्मेवार माना है और कुछ ने पुरूषों को जिम्मेवार माना है। मैं यह कहती हूं कि इसके लिए दोनो ही जिम्मेवार हैं। स्पीकर सर, महिलाओं की तो मजबूरी होती है। इस बारे में मैं एक बात सदन में कहना चाहूंगी कि मैंने एक साधारण सी महिला से बात करी कि आप खुद महिला हो तो आप क्यों भ्रूण हत्या के लिए राजी होती हो ? स्पीकर सर, इस बात का जवाब जो उस औरत ने मुझे दिया वह हमारी आज की व्यवस्था की पोल खोलता है। उस औरत ने कहा कि बहन मैं आपको क्या बताऊं कि हमने कितने दुख सहे हैं। ब्याह कर जब लड़की घर आती हैं तो बहुत से ताने सुनने को मिलते हैं कि यह नहीं लाई, वह नहीं लाई और अगर उसके बेटी हो जाएगी तो घर में जीना ही मुश्किल हो जाएगा। उसने आगे यह कहा कि जो दुख मैंने सहे हैं वह मेरी बेटी न सहे। अगर वे जन्म नहीं लेगी तो वह इन दुखों को सहने से तो बच जाएगी। स्पीकर सर, आज उनकी मानसिकता यह है और आज हमारी सब की मानसिकता यह है कि अगर बेटा होगा तो वह हमारा परिवार आगे चलाएगा और कुल का नाम रोशन करेगा और अगर लड़की होगी तो वह परिवार पर बोझ होगी। जबकि मैं यह कहना चाहती हूं कि ये दोनो बातें ही गलत हैं। बेटा अगर गलत विचारों का पैदा हो गया हो गया तो वह आपका नाम रोशन करने की बजाए आपका नाम डूबो देगा और अगर बेटी अच्छे विचारों वाली हो गई तो वह आपका नाम रोशन कर देगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जवाहर लाल नेहरू जी की एक ही बेटी श्रीमती इन्दिरा गांधी जी थीं और विश्व में सबक उनको नमन करते हैं, हम भी उनको कदम कदम पर याद करते हैं। जब भी कोई संकट आता है तो हम सोचते हैं कि अगर इन्दिरा जी होतीं तो यह कमी हो नहीं सकता था। तो यह तो आप पर डिपेंड करता है कि आपने बेटी लिए क्या किया और उसको क्या दिया क्या किस तरह से उसका पालन पोषण किया। हम हर दृष्टि से बेटी को ही कसूवार नहीं कह सकते। मैं तो इस भाषा में भी थोड़ा परिवर्तन करना चाहूंगा। जब हम कहते हैं कि लिंग अनुपात में महिलाओं की कमी हो गयी है। तो उतना दर्द नहीं होता। जब हम मिसिंग गर्ल्ज कहते हैं तो भी उतना दर्द नहीं होता ये तो हमारी मिसिंग बच्चियां हैं। अगर बेटी गम है या बेटी अगर कम हैं तो आपके धन में, आपके बल में या आपकी बुद्धि में हर तरह से कमी आएगी। हमें पुराने अंध विश्वासों में नहीं फंसना चाहिए। हमें उच्च दृष्टि से देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती सोनिया गांधी की आभारी हूं और डा0 मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस सरकार की आभारी भी हूं क्योंकि कांग्रेस ने

[बहिन करतारी देवी]

ही शुरू से यह बीड़ा उठाया है कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना ही चाहिए। विशेष तौर पर राजीव गांधी जी ने राजनीति में ऐसा प्रयास किया कि इनकी भागेदारी हर काम में हो ताकि समाज का विकास संतुलित तरीके से हो सके। उनका ख्याल था कि ऐसा करने असंतुलन नहीं आएगा। हमारी सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है क्योंकि सरकार ने सबसे पहले लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया है। लड़कियों की वर्दी फ्री की है, पुस्तकों का, स्टेशनरी का जो पैसा मिलता था वह सौ रुपये से बढ़ाकर दो सौ रुपये कर दिया है। और वर्दी का भत्ता भी 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया है। जो लड़कियां नौवीं या दसवीं में पढ़ती हैं उनके लिए भी यह 200 रुपये कर दिया है। इसके अलावा जिन लड़कियों को एक या दो किलोमीटर स्कूल जाना पड़ता है उनके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से फ्री साईकिल दी जाएंगी ताकि उनकी शिक्षा बीच में अधूरी न रह जाए। भ्रूण हत्या को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी दोनों तरफ से काम शुरू किया है। यह ठीक है कि केवल कानून से बात नहीं बनेगी क्योंकि कानून तो बहुत हैं लेकिन समाज जब तक उनको मान्यता नहीं देता तब तक कानून कागजों में ही रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, कानून बन भी जाते हैं लेकिन कमी फर भी रह जाती है। अब यह देखा जाएगा कि कौन इस प्रकार से परीक्षण करके यह बता देता हैं कि तेरे लड़की होने वाली है। इस पर कई तरह की रोक लगायी भी गयी हैं। कई मशीनें सीज़ भी की गयी है और करीब 23 के लगभग एसे केसे भी चले हैं। सबसे पहले हरियाणा में इस तरह के कदम उठाए गए थे। मैं भाई सुरजेवाला जी की इस बात से सहमत हूँ कि डाक्टर जिनको परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा प्राप्त है, उनको इस कार्य से जरूर बचना चाहिए। अगर अनजाने में उनसे गलती हो जो तब तो वह माफ हो सकती है लेकिन जो जानबूझकर गलती करते हैं वे तो सजाके हकदार होने ही चाहिएं। ऐक्ट में अमैंडमैंड की जरूरत होगी तो हम उसको करने की कोशिश करेंगे। 18 फरवरी, 1996 से यह ऐक्ट लागू हैं और इसमें संशोधन 2002 में किया गया था। इसके तहत एक तो कमेटी ऐडवाइजरी बोर्ड के नाम से स्टेट लेवल की होगी जो संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में होगी तो समय समय पर इसका प्रचार प्रसार का काम विशेष रूप से देखेगी और निर्देशन का कार्य भी कार्य करेगी। इस बोर्ड में जहां कमिश्नर और दूसरे ओफिसर्ज होंगे वहीं समाज कल्याण विभाग का भी इसमें सदस्य होगा। तीन महिलाएं सदस्य जो चुनकर आयी हैं वे भी इस बोर्ड में शामिल होंगी ताकि समय समय पर वे इस बारे में बात करें। इसके अलावा जिला स्तर पर सिविल सर्जन की अध्यक्षता में भी कमेटीज बना दी गयी है जिसमें जिले के फैमिली प्लानिंग विभाग के अधिकारी, सिविल सर्जन, बच्चों को देखने वाला डाक्टर और तीन सोशल वर्कर्ज इसमें शामिल होंगे जो समय समय पर इसको चैक किया करेंगे। जैसा मुख्यमंत्री जी ने अभी अनाउंस किया है तो हमारा प्रयास होगा कि एक हजार के ऊपर एक लिंग वर्कर हम बनाएंगे जो इस प्रकार की बात रखेंगे।

डा० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं बीच में ही उनको रोककर एक सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि मैं डाक्टर भी हूं और मैं इस बारे में जानता भी हूं।

श्री अध्यक्ष : इस समय सुझाव की बात नहीं है आप बताएं कि आपका प्वायंट ऑफ आर्डर क्या है ?

डा० सुशील इंदौरा : मैं यह कहना चाहता हूं कि सिविल सर्जन्स को ज्यादा वैस्टेड पॉवर्स दी गई हैं उनको चैक करवा लिया जाए।

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, यह जो संगठन बनाए गए हैं इनमें दो तरह के काम करेंगे। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, पहले जो सेमीनार होगी वह हम विधायकों और पार्लियामैंट के मैंबर्स की करेंगे। इसके लिए सैंटर से ऐक्सपर्ट्स को बुलाएंगे ताकि वास्तविक स्थिति देश की क्या है, क्या कानून है, क्या हम कर सकते हैं इस बारे में उस दिन ये बातें डिसकस हो जाएंगी। जो हमारी बहनें हैं, चुनी हुई मैंबर हैं और जितने भी मैंबर हों, चाहे महिला हों या पुरुष हों, चाहे पंचायतों की सदस्य हैं उन सबको बुलाकर के इस प्रकार के सेमीनार्स का गठन किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के नाम से हर जगह कोशिश की जाएगी कि महिलाओं को उनके स्वरूप का ध्यान दिलाया जाए। जो अल्ट्रासाउंड मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन संस्थाओं और व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर लिया गया है। प्रदेश में 831 आनुवांशिक क्लीनिक हैं और 666 आनुवांशिक परामर्श केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। सभी जिला विशिष्ट प्राधिकारियों द्वारा प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की उल्लंघना करने वाले क्लीनिकों के अतिरिक्त अपंजीकृत तथा खराब पड़ी 51 अल्ट्रासाउंड मशीनों को जब्त और सील कर दिया गया है। सभी जिला विशिष्ट प्राधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले क्लीनिकों पर छापे मारें और व्यक्तिगत रूप से रूचि लेकर सक्रियता से काम करें। फर्जी मरीज बनाकर क्लीनिकों में भेजे जाने के परिणामस्वरूप प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की उल्लंघना करने के अपराध में 22 अभियोजन जिला फरीदाबाद और गुड़गांव में 6-6, रिवाड़ी और रोहतक में 2-2, अम्बाला, भिवानी, झज्जर और कुरुक्षेत्र, पानीपत व यमुनानगर में 1-1 शिकायत दर्ज की गई है। इस तरह के तीन मामले पहले से कोर्ट में विचाराधीन है लेकिन अफसोस है कि इसमें किसी को सजा नहीं हुई। हमारा प्रयास होगा कि इस पर सही पाबंदी तभी लगेगी जब उन लोगों को भी सजा मिले जो ये ऐबोर्शन करते हैं, उनको भी सजा में साझीदार बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मात्र अधिनियम में संशोधन किये जाने से पूर्णत: उन्मूलन नहीं हो पाएगा इसलिए जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं व समाज के प्रत्येक नागरिक से मैं यह आह्वान करना चाहूंगी कि अपने प्रदेश का नाम इस बारे में नीचा है इसलिए इसे ऊपर उठाने के लिए हम कार्य करें। इसके साथ-साथ हमारे ऊपर तो आर्य समाज का भी काफी प्रभाव रहा है। घर-घर में महर्षि दयानंद को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने कन्या की शिक्षा को चाहे वह छोटी हो फिर भी मात्र स्वरूप मानकर अपना स्थान दिया था। हम अपने पुराने स्वरूप को पहचानेंगे और इस बुराई को सबसे पहले अपने प्रदेश से बंद करके भारत में अपना नाम ऊंचा करेंगे और दिखायेंगे कि आज भी जो हरियाणा की आत्मा है वह मरी नहीं है। आज भी हम बेटी का पूरा सम्मान करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं डॉ शिव शंकर भारद्वाज जी का भी आभार प्रकट करते हुए अपना स्थान लेती हूँ।

श्री हरबीर सिंह (बादड़ा) : सभ्यक्ष महोदय, डॉ० शिव शंकर भारद्वाज ने हाउस के अंदर एक गंभीर मसला पेश किया है, खासकर हमारे देश के लिए और वह भी उस वक्त जबकि हम सब जानते हैं कि काम करने की क्षमता आदमी की तुलना में महिलाओं की ज्यादा है। यह उदाहरण हमारे सामने है। जब भी स्कूल या कालेज का रिजल्ट आता है तो सबसे ज्यादा मैरिट में आने वाली लड़कियां होती है जबकि घर का काम भी वही करती हैं। घर में लड़का दस साल का हो और उससे पानी का गिलास मांगो तो वह अपनी 15 साल की बहन से कह देगा कि पानी दे दो। पढ़ाई-लिखाई में लड़कियां हमेशा अच्छी नंबर पर आती हैं। उसके बावजूद हम नहीं समझ पाते खासकर उत्तरी भारत में लिंग अनुपात जिस प्रकार से गिरता जा रहा है उसका नतीजा क्या होगा।

[श्री धर्मवीर सिंह]

मेरी बात पर गौर करें। मैं उदाहरण देता हूं कि इस देश में रामायण और महाभारत का क्या था, जिससे इस देश का खातमा हुआ। खात्मा किस कारण हुआ था ? उस वक्त भी लिंग अनुपात इसी प्रकार गिरा था। चार-चार भाइयों के एक महिला होती थी बाकी सब रण्डूवे होते थे और आपस में लड़ा करते थे। मेरा तो यही मानना है कि इस खतरे से बचने के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। मां-बाप बेटी पैदा करने से डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि कल बेटी की शादी में दहेज देना पड़ेगा। आजकल दहेज के मामले में भी कम्पीटिशन चल रहा है इसमें कोई माननीय सदस्य बुरा न माने। खासकर दिल्ली के आसपास हरियाणा के अहीरवाल और राजपूतों में इस बात का कम्पीटिशन है कि उसने अपनी बेटी की शादी में मारूती दी है तो मैं उससे भी लम्बी गाड़ी दूंगा। उनके पास अनाप-शनाप पैसा है और जिसके कारण उस बात का असर हमारे रोहतक, भिवानी और सिरसा के लोगों पर ज्यादा पड़ता है। क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है तो वे रिश्ता कैसे करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्टेट लेवल पर कानून में संशोधन करें कि कि जो लड़का अपनी शादी में दहेज लेगा तो उसकी नौकरी बर्खास्त कर दी जायेगी। आज से 15 या 20 साल पहले शायद 1980 से 1985 तक हमारे समाज में पंचायत लेवल पर यह प्रथा चली थी कि कोई भी अपने लड़के की शादी में पांच से ज्यादा बाराती नहीं ले जायेगा और दहेज बिल्कुल नहीं लेगा यदि वह ऐसा करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जायेगा। इस बात का असर चार-पांच साल तक तो रहा परन्तु फिर थोड़े दिन बाद दहेज लेने का प्रचलन फिर शुरू हो गया। सरकार को इसके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए और पंचायत लेवल पर या सामाजिक संगठनों के जरिये इस मुहिम को दोबारा चलाया जाये नहीं तो आपको पता है कि पहले यह तो सुनते थे कि किसी लड़के ने जयदाद के लिए या पैसों के लिए अपने मां बाप का कत्ल कर दिया लेकिन अब दहेज के लिए लड़कियां भी अपने परिवार का कत्ल कर रही हैं। यह बात अखबारों में भी देखने को मिली है।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से केसिज कोर्ट में हैं जिसमें महिलाओं ने अपने पूरे परिवार का कत्ल किया है।

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 17th June, 2005

*13.30 hrs. (The Sabha then *adjorned till 9.30 A.M. on Friday, the 17th June, 2005.)

40707—H.V.S.—H.G.P.—Chd.